

प्रश्नोत्तरमाला

क्षतिकृत्यों का कानून

(THE LAW OF TORTS)

[नवीनतम अधिकृत निर्णयो से समन्वित सरल व्याख्या]

सेन्ट्रल ला एजेन्सी
यूनिवर्सिटी रोड
इलाहाबाद

प्रकाशक
सेट्रल सा एजेन्सी
यूनिवर्सिटी रोड
इलाहाबाद

मर्यादाधिकार प्रकाशक के अधीन

मुद्रक —
श्रीराम प्रेस
जीरो रोड,
इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१—	सामान्य सिद्धांत (General Principles) ✓	१
२—	क्षतिकृ या का वर्गीकरण और उनके प्रति उपाय (Classification of torts and Remedies) ✓	५०
३—	शरीर के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to person)	५८
४—	मानहानि (Defamation) ✓	६६
५—	पारावारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to Domestic Relations)	८०
६—	स्वतंत्रता व प्रास्थिति पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्य (Wrongs affecting freedom and Status)	८५
७—	सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to property)	९३
८—	बाधा (Nuisance) ✓	१०४
९—	असावधानी (Negligence) ✓	११२
१०—	सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य (Torts founded on Contracts)	१२५
११—	व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य (Torts relating to business)	१२८
१२—	विविध (Miscellaneous)	१३१





सामान्य सिद्धान्त

(GENERAL PRINCIPLES)

प्रश्न —‘टाट’ (क्षतिवृत्त्य) शब्द की परिभाषा लिखिए और उसके विभिन्न तत्त्वों का वर्णन कीजिए ।

उत्तर परिभाषा—‘टाट’ शब्द की योपत्ति लैटिन भाषा के ‘टाटम’ (Tortum) शब्द से हुई है । इस शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द (Wrong) है और हिन्दी पर्यायवाची शब्द ‘क्षतिवृत्त्य’ है । अंग्रेजी कानून व साहित्य में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नामन विधिशास्त्रियों ने किया । उनके मतानुसार इस शब्द का अर्थ उस वृत्त्य से है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष का विधिवत् क्षति (Legal damage) पहुँचे और क्षतिकर्ता को उसकी क्षतिपूर्ति करना पड़े । समाजशास्त्र की बृहत् पाल संहिता (Encyclopaedia of Social Sciences) में कहा गया है कि टाट-सम्बन्धी दायित्व सविदा भंगोकरण (Breach of Contract) दायित्व से भिन्न ऐसा दायित्व है जो कानूनी सामान्य कर्तव्यों का पालन न करने व कारण होता है और जिसका प्रतिकार क्षतिपूर्ति देकर हा सकता है । चम्बस के शब्दकोष में ‘टाट’ शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है—‘टाट, वह क्षतिपूर्ण या अनुचित वृत्त्य है जिसका उदय सविदा को भंग करने के कारण न हुआ हो और जिससे पहुँचो क्षति को पूरा करने का एकमात्र उपाय क्षतिपूर्ति देना हो ।’

प्रसिद्ध विधिशास्त्री डा० अन्डरहिल (Dr Underhill) ने ‘टाट’ की परिभाषा देते हुए कहा है कि ‘टाट’ सविदा से पूर्णतया स्वतन्त्र ऐसा वृत्त्य है जो किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार (Absolute right) को भंग करता है या किसी व्यक्ति के परिमित अधिकार (Qualified right) को भंग करके उसका क्षति पहुँचाता है अथवा किसी सार्वजनिक अधिकार (Public right) को इस प्रकार अक्षत बनाकरता है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष का सामान्य व्यक्ति या को अपेक्षा अधिक क्षति पहुँचती है और जिसके परिणामस्वरूप वह क्षतिकर्ता (Tortfeasor, के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाने का अधिकारी हो जाता है ।

उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भूमि पर अनाधिकार प्रवेश (Trespass करे और कुछ समय तक उस पर अधिकार (Possession) रखने के

बाद बिना हानि पहुँचाये जाती बर द हो एसी स्थिति में उस व्यक्ति का जिसकी भूमि पर घनाधिकार प्रवेश किया गया उस व्यक्ति पर जिम्मे घनाधिकार प्रवेश किया टाट के कानून के अन्तर्गत मुआदमा बनाने का अधिकार है क्योंकि घनाधिकार प्रवेशकर्ता (Trespasser) ने उक्त इस कानूनी अधिकार को बिना वह अपनी भूमि पर किसी को न घात द, भंग किया ।

समरूप रह कि 'टाट' की एक सुनिश्चित घोर व्यापक परिभाषा देना कठिन है । इसका कारण यह है कि इस विषय का कानून अभा विधान की परिपक्व अवस्था की प्राप्त नहीं हुआ है घोर न कानून की इस भाषा का अभी संहिताकरण (Codification) ही हुआ है । इन विषय का मस्य कानून इंग्लैंड के सवसाधारण कानून (Common Law) पर अवलम्बित है । भारत में भी अपनी टाट सम्बन्धी कोई विधायक अधिनियम (Legislative enactment) नहीं है । इसलिए भारत में भी कानून को इन छाया के व हो गिदा त लागू किया जाते हैं जो इंग्लैंड में प्रचलित हैं । लेकिन परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्यायालयों का अधिकार है कि व अमरजो कानून के ऐसे सिद्धान्तों का उल्लंघन कर सका है जो भारतीय जीवन व रीति रिवाज आदि से मत नहीं खाते [अवलम्बित प्रति रामस्वर, ए० आर्द० भार० १९५५ पृष्ठांक ५६४]

सूत्रों की व्याख्या—उपयुक्त विवेचना से यह अलाभित स्पष्ट है कि 'टाट' अथवा अतिक्रमण से पूणनया स्वतः प्र ऐसा कृत्य है जो किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को प्रत्यक्ष या परा । रूप में भंग करे अथवा अवहेलना कर शक्ति पहुँचावे घोर अतिक्रमण द्वारा पहुँची शक्ति का पूरा करने का एक मात्र कानूनी उपाय शक्तिपूर्ति देना हो । अतएव उसमें निम्नलिखित तीन तर्कों का हास आवश्यक है—

- (१) प्रतिशान्ति द्वारा एक कृत्य का किया जाना जो किसी व्यक्ति को दातों का भंग करने के कारण हो शक्तिपूर्ण न हो गया हो, अर्थात् पूरा कृत्य किसी व्यक्ति के अतिक्रमण न किया गया हो घोर प्रतिशान्ति को एकाकृत्य करत का प्रत्यक्ष या परा रूप में कानूनी अधिकार प्राप्त न हो ,
- (२) ऐसे कृत्य में या । को प्रत्यक्ष या परा रूप में विधिगत शक्ति पहुँची हो, अर्थात् उक्त किसी कानूनी अधिकार को भंग किया गया हो अथवा उक्त अवहेलना कर शक्ति पहुँचाया गया हो, एवं
- (३) ऐश कृत्य द्वारा पहुँची शक्ति का पूरा करने का एक मात्र कानूनी उपाय शक्तिपूर्ति देना हो ।

प्रश्न २—घन्तर स्पष्ट कीजिये—

(अ) क्षतिकृत्य (Tort) और सविदा भंगकरण (Breach of Contract),

(ब) क्षतिकृत्य (Tort) और अपराध (Crime),

(स) क्षतिकृत्य (Tort) और प्रयास भंगकरण (Breach of trust)

उत्तर (अ) क्षतिकृत्य (Tort) और सविदा भंगकरण (Breach of Contract) में अन्तर—क्षतिकृत्य और सविदा भंगकरण अलग अलग कोर्ट के क्षेत्र हैं, जिनमें अंतर निम्नलिखित है —

(१) क्षतिकृत्य के मामले में कोई व्यक्ति उन कृत्यों को भंग करता है जिन्हें कानून ने प्रत्यक्ष अथवा पराक्ष रूप से निर्धारित किया है, लेकिन सविदा भंगकरण के मामले में वह उन कृत्यों का भंग करता है जिन्हें करने या न करने का उसने स्वयं वचन दिया है।

(२) क्षतिकृत्य जनसाधारण के प्रति कानूनी कृत्यों का उल्लंघन है लेकिन सविदा भंगकरण में जिस कृत्य का उल्लंघन किया जाता है वह एसा कृत्य होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति विशेष के प्रति है।

(३) क्षतिकृत्य के मामले में अक्सर अतिवृत्ता व उद्देश्य पर विचार किया जाता है लेकिन सविदा भंगकरण के मामले में सविदा की शर्तों का तोड़ने वाले व्यक्ति के उद्देश्य पर विचार नहीं किया जाता है।

(४) क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति दण्ड के रूप में दी जाती है, लेकिन सविदा भंगकरण के मामले में सविदा की शर्तों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति प्रतिपक्षी को उसकी हानिपूर्ति करने के लिए प्रतिफल (Compensation) के रूप में अधिकतर सविदा के अंतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति देना है।

(५) क्षतिपूर्ति की धनराशि का मापण्ड क्षतिकृत्य एवं सविदा भंगकरण के मामलों में विभिन्न नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट होता है। क्षतिकृत्य के मामलों में क्षतिपूर्ति की धनराशि सदा पूर्वनिश्चित नहीं होती, जबकि सविदा भंगकरण के मामलों में वह प्रायः पूर्वनिश्चित होती है।

स्मरण रहे कि यद्यपि क्षतिकृत्य और सविदा भंगकरण विभिन्न कोर्ट के क्षेत्र हैं, फिर भी एसे मामले हो सकते हैं जिनमें एक ही कृत्य का क्षतिकृत्य और सविदा भंगकरण के अंतर्गत रखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोई पिता अपने बीमार पुत्र का चिकित्सा के लिए किसी डॉक्टर की नियुक्ति करता है और डॉक्टर के किसी अविश्वसनीय कृत्य से पुत्र का मरण पाव जाता है, तो एसी स्थिति में पिता डॉक्टर

के विरुद्ध सविदा के आधार पर मुकदमा चला सकता है और पुन डाक्टर के अधिवेक-पूण कृत्य से पड़ने के आधार की दातवृत्ति के लिए दातवृत्त्य के आधार पर मुकदमा चला सकता है। [ग्लडवेल प्रति स्टगल, ८ एल० ज० सी० पी० ३६१]।

(घ) दातवृत्त्य (Tort) और अपराध (Crime) में अन्तर—साधुनिष्मानून के अन्तर्गत दातवृत्त्य और अपराध में भारी अन्तर है जो निम्नलिखित है —

(१) दातवृत्त्य सबसाधारण क प्रति कानूनी वस्तुओं का उल्लंघन करने से उद्दिष्ट होता है, लेकिन अपराध वह गैरकानूना कृत्य है जो कानून द्वारा इस प्रकार सजित है कि वह समाज के लिए प्रत्यक्ष क्षयवा परोक्ष रूप से घातक है।

(२) दातवृत्त्य व्यक्ति विशेष के कानूनी अधिकारों को भंग करता है, लेकिन अपराध समस्त समाज के विपरीत गैरकानूनी व अनैतिक कृत्य है।

(३) दातवृत्त्य के मामले में दातकर्ता (Tortfeasor) को दातप्राप्त (Aggrieved) व्यक्ति को दातवृत्ति देकर मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अपराधी व्यक्ति को राज्य दण्डित करता है।

(४) दातवृत्त्य का मुकदमा चलाना व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है लेकिन अपराधी को दण्ड देने के लिए उस पर मुकदमा चलाने का उत्तरदायित्व राज्य पर है।

(५) दातवृत्त्य के मामले में दातकर्ता से जो धनराशि दातवृत्ति के रूप में प्राप्त की जाती है वह दातप्राप्त व्यक्ति को मिलती है, लेकिन अपराध के मामले में अपराधी से क्षयदण्ड क रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है वह राजकीय कोष में जाती है।

(६) दातवृत्त्य के मामले में दातप्राप्त व्यक्ति को दातवृत्ति करना याचप्रमाण का मुख्य उद्देश्य होगा है लेकिन अपराध के मामले में याचप्रमाण का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दण्ड देकर अपराध की प्रवृत्ति को रोकना है।

स्मरण रह कि जो कृत्य अपराध होता है वह अकार दातवृत्त्य भी होगा है। उदाहरणार्थ, धातमण, अनधिकार प्रवेग, जुगानरसानी व मानहानि आदि सभी प्रकार क कृत्य हैं। इन कृत्यों का करनेवाला दोषी व्यक्ति क विरुद्ध मुकदमा चलाकर क्षीयानो याचानय से दातवृत्ति या प्रतिभर की रिक्री प्राप्त की जा सकती है और पीडनारी याचानय से सजा निमायी जा सकती है।

(घ) दातवृत्त्य (Tort) और प्रत्यास भंगीकरण (Breach of Trust) में अन्तर—गामण्ड (Salmond) के मतानुसार दातवृत्त्य और प्रत्यास भंगीकरण में अन्तर मान ऐतिहासिक है। दातवृत्त्य कानून मूलतः अद्वैती सव-

साधारण कानून (English Common Law) का एक भाग है जिम्मा अधिक्षेत्र सर्वसाधारण न्यायालयों (Common Courts) को प्राप्त था। इसके विपरीत प्रत्यास भगोकरण का दायित्व निरपेक्ष न्याय (Equitable justice) का विषय है जो केवल चांसरी न्यायालयों (Chancery Courts) के अधिक्षेत्र में था। विनफील्ड (Winfield) ने क्षतिकृत्य और प्रत्यास भगोकरण में क्षतिपूर्ति के विषय में भी धतर किया है। उसके मतानुसार प्रत्यास भगोकरण के मामले में क्षतिपूर्ति के लिये प्रतिकर को धनराशि गवन हुई प्रत्यासगत सम्पत्ति के मूल्य के धरार होती है, लेकिन क्षतिकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति को धनराशि को निश्चित करने के लिये ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है।

प्रश्न ३—क्या एक ही कृत्य क्षतिकृत्य, अपराध तथा सविदा भगोकरण तीनों हो सकता है ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर व्याख्या—क्षतिकृत्य, अपराध तथा सविदा भगोकरण तीनों अलग अलग कोटि के कृत्य हैं। लेकिन ऐसा भी कृत्य हो सकता है जो एक साथ क्षतिकृत्य, अपराध तथा सविदा भगोकरण तीनों हो। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति एक मोटरकार खरीदता है और अपने नगर की नगरपालिका (Municipal Board) से यह सविदा करता है कि वह सविदा के अतगत निर्धारित गति से ही नगरपालिका के क्षेत्र में मोटरकार चलायगा। उस राज्य की दण्ड संहिता में यह प्रविधान भी है कि यदि कोई व्यक्ति असावधानी और तीव्र गति से मोटरकार चलायेगा तो उस दण्ड दिया जायगा। मान लीजिए कि वह व्यक्ति उक्त सविदा में निर्धारित गति की उपेक्षा कर असावधानी और तीव्र गति से नगरपालिका के क्षेत्र में मोटरकार चलाना है और किसी व्यक्ति को घायल कर देता है तो उसके इस एक कृत्य के लिये उस पर क्षतिकृत्य, अपराध और सविदा भगोकरण तीनों प्रकार का दायित्व धा जायगा। क्षतिकृत्य कानून के अतगत वह घायल व्यक्ति उसके विरुद्ध दीवानो न्यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये दावा करेगा, राज्य की सरकार दण्ड-संहिता के प्रविधानों का उल्लंघन करने के अपराध में उसके ऊपर फौजदारी न्यायालय में मुकदमा चलायगी धार नगरपालिका उस पर इस बात का मुकदमा चलायगी कि उसने सविदा की धर्तों को तोडा है। इस प्रकार एक ही कृत्य में क्षतिकृत्य, अपराध और सविदा भगोकरण तीनों का समन्वय हो सकता है।

स्मरणयोग्य बात यह है कि उपर्युक्त कृत्य को वैयक्तिक दृष्टिकोण से देखने पर दीवानो दायित्व और सामाजिक दृष्टिकोण से देखने पर फौजदारी दायित्व उदित होता

है। सालमंड (Salmond) का कथन है कि दोषाती और फौजदारी दायित्व एक दूसरे के वैकल्पिक (Alternative) नहीं, बल्कि समर्थनी (Concurrent) हैं। इंग्लैण्ड में कानून का यह रस प्रवाद है कि इन प्रकार के मामले में दोषी व्यक्ति पर उस समय तक दोषाती न्यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उक्त विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में मुकदमा न चलाया जाय। लेकिन भारत में कानून का यह रस नहीं है। यहाँ क्षतिप्राप्त व्यक्ति क्षतिवृत्तता के विरुद्ध सीधे दोषाती न्यायालय में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है और यह जरूरी नहीं है कि वह पहले फौजदारी न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाये। उदाहरणार्थ, बुकशामरखानी, मानहानि चोरी आदि के मामलों में फौजदारी प्रदासलत में मुकदमा चलाये दिना भारत में आमतौर पर दोषाती न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जाता है।

प्रश्न ४—क्षतिवृत्त्य (Tort) के विभिन्न भेदों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये।

उत्तर क्षतिवृत्त्य के भेद—साधारणतः क्षतिवृत्त्य दो प्रकार के होते हैं—

(१) स्वतः अभियोज्य क्षतिवृत्त्य (Torts actionable per se), अर्थात् ऐसे क्षतिवृत्त्य जो स्वयं अभियोज्य (Actionable) हैं और जिनमें क्षति की प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती एवं (२) ऐसे क्षतिवृत्त्य जो स्वतः अभियोज्य नहीं होते और जिनमें क्षति की प्रमाणित करना जरूरी होता है।

प्रथम प्रकार के क्षतिवृत्त्य को समझने के लिए उदाहरणार्थ मान लीजिए कि आपका कोई मित्र उस निर्वाचन क्षेत्र से जिनके आप निवासी हैं और आपको मत देने का अधिकार है विधान सभा की सदस्यता के लिए खड़ा होता है। आप भी मतदान के लिए खाने हैं। लेकिन मजाल-अधिकारी आपको मत देने से रोक देता है। चुनाव का परिणाम घोषित होने पर आपको पता होता है कि आपका मित्र चुनाव में विजयी हुआ। एनी स्थिति में आपको मतदान अधिकारी द्वारा मत देने से रोक देने पर भी किसी प्रकार की क्षति नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप मत देना चाहते थे वह आपके मन के बिना भी विजयी हो गया। फिर भी आप मतदान-अधिकारी के विरुद्ध क्षतिवृत्त्य कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके मत देने के कानूनी अधिकार को नग्न किया। इस प्रकार का क्षतिवृत्त्य स्वतः अभियोज्य क्षतिवृत्तियों की श्रेणी में आता है।

दूसरे प्रकार के क्षतिवृत्तियों के लिए हम तभी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं जब हम यह प्रमाणित कर सकें कि अमुक क्षतिवृत्त्य से हमें वास्तव में क्षति पहुँची है।

मानहानिकारक वचन (Slander) इसी प्रकार का क्षतिकृत्य है, क्योंकि वचन द्वारा मानहानि करने वाले व्यक्ति पर हम तभी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं जब हम यह प्रमाणित कर दें कि हमें उसके उस वचन से वास्तविक क्षति पहुँची है। इस कोटि में वास्तविक क्षति (Actual damage) का परिस्थिति में अभियोच्य क्षतिकृत्य रहे जायेंगे।

प्रश्न ५—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के आधार के विषय में जो दो प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

उत्तर—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व का आधार—क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के आधार के विषय में बड़ा मतभेद है। हम मतभेद को दूर करने के लिए दो प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

प्रथम सिद्धान्त—यह सिद्धान्त सर फ्रेडरिक पोलॉक (Sir Fredrick Pollock) का है। इस सिद्धान्त के अनुसार सभी प्रकार की क्षति जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहुँचाना है और जिसके लिए कोई कानूनी बचाव नहीं है क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के अंतर्गत आती है। उदाहरणार्थ, यदि 'क' अपने पड़ोसी को कोई क्षति पहुँचाता है तो वह पड़ोसी 'क' के विरुद्ध क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत मुकदमा चला सकता है, चाहे उस क्षति को मानहानि, छल मानहानि आदि कोई विशेष नाम दिया जाय अथवा कोई विशेष नाम दिया हो न जा सक। ऐसी स्थिति में यदि 'क' कोई कानूनी बचाव प्रमाणित नहीं करता तो उस पर क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व प्रा जायगा। इस सिद्धान्त के एक समर्थक लॉर्ड काम्डन (Lord Camden) ने कहा है कि क्षतिकृत्य अनंत है और उन्हें परिमित नहीं किया जा सकता। नए नए क्षतिकृत्यों का आविर्भाव इस सिद्धान्त की विशेषता है।

द्वितीय सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार क्षतिकृत्यों की संख्या परिमित है और उनके अनिश्चित अर्थ किसी कृत्य के लिए क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व नहीं आता। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक सर जॉन सालमंड (Sir John Salmond) और डॉक्टर जेक्स (Dr Jenks) हैं। इस सिद्धान्त के समयन में सर जॉन सालमंड (Sir John Salmond) ने ऐसे मामलों को उद्धृत किया है जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य हानिकारक तो हो किन्तु क्षतिकृत्य न हो। हम बिना क्षति के हानिकारक कृत्य (Damnnum sine injuria) क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन बिना क्षति के हानिकारक कृत्यों के य मामले जिन पर सालमंड (Salmond) का समर्थन निभर करता है इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करते।

बात यह है कि वास्तव में कानून कानूनी अधिकारों के भंगोकरण को ही विधिक क्षति (Legal damage) मानता है। यह विधिक क्षति न तो वास्तविक क्षति (Actual damage) के अनुरूप है और न ही इसका तात्पर्य धार्मिक क्षति (Peruniary damage) से होता है। वास्तव में कानूनी अधिकारों को किसी प्रकार भांग करने को क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत विधिक क्षति कहते हैं, चाहे उन अधिकारों के इस प्रकार भंग करने से वादा को गारंटीर प्रकृति धार्मिक क्षति न पहुँची हो।

डॉक्टर जैक्स (Dr Jenks) का मत है कि इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह नहीं है कि नए अनियमितों का प्राविभाव ही नहीं सकता, बल्कि बात यह है कि नए क्षतिकृत्य माँगता प्राप्त मूल क्षतिकृत्यों से ही उदित होने हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नए क्षतिकृत्यों का मूल इस सामान्य सिद्धान्त पर निर्भर नहीं करता कि हरेक अनियमित हानि क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के अन्तर्गत आती है। डॉक्टर जैक्स (Dr Jenks) की यह दलील बलशाली प्रकृति है किन्तु सभी मामलों में समयानुसूल प्रतीत नहीं होती। उदाहरणार्थ, पशु प्रनाधिकार प्रवेश (Cattle trespass) के क्षतिकृत्य का दायित्व जैसा कि प्राधुनिक व प्राचीन कानूनों में है उसमें कोई बुनियादी समानता नहीं दी जाती। [रिलेडस प्रति पंचर, (१८६८) ३७ एल एर ३ एच एल २०] यह बात भी है कि कानून इतना क्षतिकृत्य प्रमाणित नहीं हुआ है कि नए दायित्व और नए कृत्यों का प्राविभाव न कर सके। [डायमू प्रति स्टीवेंसन, (१९३२) एस सी ६१६] विकास कानून का नियम है। कानून उपाय-उपाय विवक्षित हो रहा है क्षतिकृत्य सम्बन्धी दायित्व के लिए सामान्य सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो रहे हैं।

प्रश्न ६—क्षतिकृत्य और हानिकृत्य में क्या अन्तर है ? क्या न्याययुक्त प्रतियोग्यता से पहुँची हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा चल सकता है ? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

उत्तर—क्षतिकृत्य (Wrongful) कृत्य और हानिकृत्य (Harmful) कृत्य—सरसरी दृष्टि से देखने पर क्षतिकृत्य कृत्य व हानिकृत्य कृत्य एक ही प्रतीत होते हैं। लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं है। क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत क्षतिकृत्य कृत्य से तात्पर्य उन कृत्यों से है जो हमारे कानूनी अधिकारों को भंग करते हैं, चाहे उन कृत्यों के परिणामस्वरूप हमें कोई हानि न पहुँची हो। इससे विपरीत कुछ कृत्य हानिकृत्य प्रतीत होते हैं किन्तु कानून की दृष्टि से वे क्षतिकृत्य नहीं होते। ऐसे कृत्य क्षतिकृत्य कानून में हानिकृत्य कृत्य कहलाते हैं।

क्षतिकृत्य कृत्यों के विषय में यह बात स्मरणीय है कि जब कोई क्षतिकृत्य कृत्य किया जाय तब किसी को वास्तविक हानि पहुँचे ही, यह जरूरी नहीं है। इस कृत्य की

एकमात्र पहचान यह है कि उससे हमारे किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। उदाहरणार्थ, अनाधिकार प्रवेश बिना हानि पहुँचाये भी क्षतिग्रस्त कानून के अंतर्गत अभियोज्य है।

अब किमी कृत्य द्वारा किमी व्यक्ति को हानि तो पहुँची हो किंतु उसका कोई कानूनी अधिकार नग्न न हुआ हो तो हानि प्राप्त व्यक्ति का क्षतिपूर्ति पान का अधिकार नहीं होता। क्षतिग्रस्त कानून में यह बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक कृत्या (Damnum sine injuria) का सिद्धान्त कहलाता है। इस सिद्धान्त के विपरीत एक और सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार भंग किया गया है और उसके द्वारा उसे कोई हानि नहीं पहुँची है तो भी वह अपने कानूनी अधिकार को भंग करने वाले के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। इस सिद्धान्त को 'बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण कृत्यो' (Injuria sine damno) का सिद्धांत कहते हैं। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति का दावा करनेवाले व्यक्ति को केवल इतना ही सिद्ध करना होता है कि उसका कानूनी अधिकार को भंग किया गया है और यह बात महत्वहीन है कि उस कानूनी अधिकार को भंग किए जाने से उसको वास्तव में हानि हुई है अथवा नहीं। [एचबी प्रति ह्याइट, २ लिट० रेयम० ६३८]

न्यायुक्त प्रतियोग्यता क्षतिपूर्ण कृत्य नहीं—यामयुक्त प्रतियोग्यता को कानून में सख्त मायता दी जाती है। अतएव ऐसी प्रतियोग्यता (Competition) के परिणामस्वरूप किसी को हानि पहुँचे तो हानिकर्ता उस हानि को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात् उसने विरुद्ध उसके हानिपूर्ण कृत्य से पहुँची हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं सकता। एक प्रसिद्ध मामला इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। जलयान की कुछ प्रतिद्वंद्वी कम्पनियों में यह प्रतियोग्यता हुई कि प्रतिपक्ष की कम्पनी को व्यवसाय से जनकलन पर विवश किया जाय। एक पक्ष की चार कम्पनियों के स्वामियों ने यह घोषणा की कि प्रतिपक्षी की पाँचवीं कम्पनी के द्वारा माल न भेजकर यदि उनकी चार कम्पनियों के द्वारा माल भेजा जायगा तो विनाय छूट दी जायगी। इस पर पाँचवाँ जलयान कम्पनी को ध्यापार में हानि हुई और उसने प्रतिद्वंद्वी कम्पनियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मामले में निरणय हुआ कि ध्यापारिक प्रतियोग्यता द्वारा पहुँची हानि अभियोज्य (Actionable) नहीं है, क्योंकि उससे पाँचवीं कम्पनी का कोई कानूनी अधिकार भंग नहीं हुआ। [मोगुल स्टीम शिप कम्पनी प्रति एम० प्रजर, (१८८२ ए० सी० २५)]

परन्तु ७—“जिस प्रकार ऐसे मामले हैं जिनमें क्षति क्षतिग्रस्त के

सामान्य म विणय दिया गया कि वाययुक्त प्रतियोग्यता (Fair Competition) के द्वारा विपक्षों को चाहे कितनी भी हानि क्या न पहुँचे पर वह मुकदमा चलाकर क्षति-पूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न ८—'कानूनी अधिकार' और 'कानूनी क्षति' से आप क्या समझते हैं? इस रुढ़ि में निम्नलिखित सिद्धान्तों का विश्लेषण कीजिए —

(अ) बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण वृत्त्य (Injuria sine damno, एव
(ब) बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक वृत्त्य (Damnum sine injuria)।

उत्तर कानूनी अधिकार—कानूनी अधिकारों की विवद-यास्या विधि-शास्त्र (Jurisprudence) का विषय है। लेकिन क्षतिवृत्त्य कानून व अध्ययन के लिए भी कानूनी अधिकारों की प्राकृति को समझ लेना नितांत आवश्यक है। विधि शास्त्रियाँ न कानूनी अधिकार की जो परिभाषाएँ दी हैं वे लगभग सभी स्रूपण हैं। सालमंड (Salmond) ने कानूनी अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक ऐसा स्वयं (Interest) है जिसे कानून द्वारा भायता प्राप्त है और जिसे कानून रक्षित करता है। पैटन (Paton) के मतानुसार कानूनी अधिकार कानून द्वारा स्वीकृत ऐसा वृत्त्य है जो कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित मान (Standard) के अनुसार हो। हालैण्ड (Holland) ने कानूनी अधिकार की परिभाषा इस प्रकार दी है कि कानूनी अधिकार एक मनुष्य व द्वारा दूसरे मनुष्य व वृत्त्यों की समाज व मत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता को कहते हैं।

उपयुक्त परिभाषाओं के चिंतन से यह निष्कष निकलता है कि कानूनी अधिकार समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने व सम्वाधत ऐसी भागों हैं जो कानून द्वारा समाज हित की भावना से स्वीकृत कर ली गयी है। ऐसा भागें या अधिकार अनगिनती हैं। उनका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक वग व अलगगत व्यक्तियत अधिकार (Personal rights) माने हैं और दूसरे वग में सात्रजनिक अधिकार (Public rights) हैं। व्यक्तियत अधिकार ही क्षतिवृत्त्य कानून के लिए सामग्री प्रस्तुत करते हैं। य निम्नलिखित तीन विभागों में विभाजित किए गए हैं —

- (१) शारीरिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता का अधिकार (Right of bodily security and freedom),
- (२) सम्पत्ति का अधिकार (Right of property), एव
- (३) प्रतिष्ठा का अधिकार (Right of reputation)।

कानूनी क्षति—कानूनी अधिकारों के भंगोकरण को कानूनी क्षति कहते हैं। यह न ता वास्तविक क्षति (Actual damage) के अनुस्यू है और न ही इसका तात्पर्य आर्थिक क्षति (Pecuniary loss) से होता है। वान्नी क कानूनी अधिकारों को किसी प्रकार भी भंग करने को दातिवृत्त्य कानून में कानूनी क्षति कहेंगे, चाहे उन अधिकारों क इस प्रकार भंग किए जान से वादी को कोई आरीरिक अथवा आर्थिक क्षति न पहुँचा हो। यदि वान्नी यह सिद्ध कर दे कि उसक किसी कानूनी अधिकार का भंग किया गया है तो कानून विधिक क्षति का अनुमान कर लेगा।

कानूनी क्षति क मन्म म 'विना हानिकारक क्षतिपूण कृत्य' (Injuria sine damno) और 'विना क्षतिपूण हानिकारक कृत्य' (Damnum sine injuria) के सिद्धान्तों का विश्लेषण श्रेयस्कर होगा जो निम्नलिखित हैं —

(अ) 'विना हानिकारक क्षतिपूण कृत्य' (Injuria sine damno)— इस सिद्धान्त क अनुसार यह व्यक्ति जिसका कोई पूण कानूनी अधिकार (Absolute legal right) भंग किया गया हो और उसने द्वारा भंग ही उसे क्षति न पहुँचा हो, फिर भी वह क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है। कानून व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकारों को व्यक्ति और समाज के हित में विशेष रूप से आरक्षक मानता है। अत एव अधिकारों का भंगोकरण स्वत अभिधीय (Actionable per se) है और ऐम मामलों म वादी का बयन इतना ही सिद्ध करना होता है कि उसने इस प्रकार के किसी कानूनी अधिकार को भंग किया गया है तथा यह बात महत्वहीन है कि उसे कोई वास्तविक या आर्थिक क्षति पहुँची है अथवा नहीं। अनाधिकार प्रवेश, मानहानि आदि इसी प्रकार के स्वत अभिधीय क्षतिग्रहों के उदाहरण हैं।

(ब) 'विना क्षतिपूण हानिकारक कृत्य' (Damnum sine injuria)— इस सिद्धान्त क अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी अथ व्यक्ति क कृत्य द्वारा हानि तो पहुँची हो किन्तु उसका कोई कानूनी अधिकार भंग न हुआ हो ता उस क्षतिपूर्ति पान क लिए दावा करने का अधिकार नहीं है। आधिकारिक प्रतियोग्यता के मामले इसके उदाहरण हैं। कानून उपयोगता क हित में एम कृत्यों का दातिवृत्त्य नहीं मानता। अतएव दातिवृत्त्य कानून के अन्तर्गत ऐसे मामले अभिधीय नहीं हैं।

दोनों सिद्धान्तों में अन्तर—मधेप में उस्यु क दोनों सिद्धान्तों में अन्तर निम्नलिखित है —

बिना हानिकारक क्षतिपूर्ण वृत्त्य (Injuria sine damno)	बिना क्षतिपूर्ण हानिकारक वृत्त्य (Damnun sine injuria)
१ कानूनी अधिकार का भंगोकरण, चाहे हानि अथवा क्षति पहुँची हो या नहीं।	हानि अथवा क्षति का पहुँचना, किंतु कानूनी अधिकार भंग न हुआ हो।
२ स्वतः अभियोग्य।	अभियोग्य नहीं।
३ केवल कानूनी अधिकार का भंगोकरण सिद्ध करना अनिवाय।	कानूनी अधिकार के भंगोकरण के बिना वास्तविक हानि का सिद्ध करना निरर्थक।
४ ऐसे कानूनी अपवृत्त्या की कल्पना जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।	ऐसे नैतिक उपवृत्तियों की कल्पना जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं हैं।
५ कानूनी अधिकारों का विषय।	नैतिक अधिकारों का विषय।

प्रश्न ६—‘प्रत्येक कानूनी क्षति के साथ साथ कानूनी उपाय भी अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं।’—(Ubi jus ibi remedium)

उपर्युक्त कथन का स्पष्टीकरण करते हुए कानूनी उपायों (Legal remedies) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर स्पष्टीकरण — विधिसास्त्रियों का कथन है कि प्रत्येक कानूनी क्षति के साथ-साथ कानूनी उपाय भी अभिन्न रूप से सम्बद्ध हैं। उनके इस कथन ने ‘जहाँ वही क्षतिपूर्ण वृत्त्य है वहाँ उसका उपाय भी है’ (Ubi jus ibi remedium) की कहावत का रूप ल लिया है। क्षतिवृत्त्य कानून की लगभग सभी सामग्री इसी कहावत का विकसित रूप है। प्रसिद्ध विधिसास्त्री श्री रत्नलाल धीरजलाल ने अपनी क्षतिवृत्त्य कानून सम्बन्धी पुस्तक में यथाय ही कहा है कि जहाँ कानूनी उपाय प्राप्त नहीं है वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि कोई कानूनी क्षति भी नहीं हुई है। क्योंकि कानून में कोई अधिकार बिना उपाय के नहीं है और यदि किसी अधिकार का भंग किये जाने पर कोई भी उपाय उपलब्ध न हो तो समझ लेना चाहिये कि कानून की दृष्टि से वह अधिकार है ही नहीं।

कानूनी उपाय (Legal remedies)—यद्यपि यह सच है कि सभी क्षतिवृत्त्य दीवानो क्षति (Civil injuries) है पर सभी दीवानो क्षतिवृत्त्य कानून के अन्तर्गत अनिवायत नही आएंगी। बात यह है कि जब तक किसी

मुद्दमें में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयत्न न हो तक तक यह क्षतिवृत्त्य कानून के अंतर्गत नहीं माना। अतएव ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि कानून क्षतिपूर्ति पाने के लिये कानूनी कार्यवाही करने व साथ साथ दूसरे कानूनी उपायों (Legal remedies) के लिये भी कार्यवाही करता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अभावधानी से मोटर चलाकर किसी की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाये और साथ-साथ उस व्यक्ति को पारोरीक चोट भी पहुँचाय तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को क्षतिवृत्ति के विच्छेद न केवल क्षतिपूर्ति का दावा करने का कानूनी उपाय ही उपलब्ध होगा, बल्कि वह पीड़ितारी कानून व अंतर्गत कार्यवाही करने व लिये भी राज्य का बाध्य कर सकता है।

प्रश्न १०—द्वेष (Malice), संकल्प (Intention) और मन्तव्य (Motive) को व्याख्या करते हुए क्षतिवृत्त्य सम्बन्धी मामलों में उनकी संगतता पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—द्वेष (Malice)—आमतौर पर द्वेष (Malice) शब्द से 'ईर्ष्या' अथवा 'वैर' का भाव प्रकट होता है। लेकिन कानून में यह दो विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक अर्थ में "संज्ञा" से तात्पर्य ऐसे क्षतिपूर्ण कृत्य से है जिसे करने का कोई प्रोचिन्तन (Justification) न हो तथा दूसरे अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य ऐसे क्षतिपूर्ण कृत्य से है जो किसी अनुचित उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया हो। इस प्रकार इस शब्द का दो अर्थ होते हैं। एक तो जानबूझ कर किया गया ऐसा क्षतिपूर्ण कृत्य जिसमें ईर्ष्या या वैर का तत्त्व प्रिद्यमान हो और दूसरा यह कि ऐसा क्षतिपूर्ण कृत्य जिसमें ईर्ष्या या वैर का कोई भावना न हो पर वह इस प्रकार के उद्देश्य से किया जाय जिसका कानून अनुचित समझता हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी के जानवर को जानबूझ कर जहर दे द तो यह कहा जायगा कि उसका यह क्षतिपूर्ण कृत्य द्रवपूर्ण (Malicious) है। [ब्राम्ज प्रति ग्राम, (१८२४) ४ बी० एच सा० २४७]।

द्वेष का उपयुक्त कानूनी अर्थों के आधार पर विधिसाहित्यों ने उसका दो भेद कर लिये हैं जो निम्नान्वित हैं—

(१) वास्तविक द्वेष (Malice in fact,—आधारण भाषण में हम द्वेष शब्द से ईर्ष्या या वैर का जो तात्पर्य समझते हैं वह वास्तविक द्वेष (Malice in fact) है। यह वास्तविक द्वेष केवल निम्नलिखित क्षतिवृत्तियों में ही अपना संगत तत्त्व (Relevant element) माना जाता है—

- (क) द्रवपूर्ण समियाजन (Malicious prosecution),
- (ख) क्षतिजनक मिथ्याता (Injurious falsehood),

(स) षड्यन्त्र (Conspiracy), एवं

(द) किसी विशेष अधिकारयुक्त अवसर पर मानहानि (Defamation on a privileged occasion) ।

यह बात स्मरणीय है कि एक ऐसा कृत्य जो अथवा कानूनी दृष्टि से उचित है वह केवल इस कारण गैरकानूनी नहीं हो जाता कि उसको द्वेष भयवा डह (Ill will) से प्रेरित होकर किया गया है। इस आधार पर यह एक सामान्य सिद्धांत है कि द्वेष क्षतिकृत्य के लिए एक असंगत (Irrelevant) तत्त्व है। एक अंग्रेजी प्रमुख मामले में इस विषय की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यदि सामान्यतः किसी व्यक्ति का कोई कृत्य क्षतिकृत्य नहीं है तो वह कृत्य इस कारण क्षतिकृत्य नहीं बन जाता कि उसके बरतने वाले ने उसे द्वेष से प्रेरित होकर किया है। [ब्रेडफोर्ड मेयर प्रति पिक्वित्स, (१८६५) ए० सा० ५६७]

उपयुक्त विवचना से हम यह निष्पन्न निकाल सकते हैं कि क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत स्वतः द्वेष (Malice per se) से प्रेरित होकर किया गया कोई कानूनी कृत्य गैरकानूनी नहीं हो जाता, चाहे उससे वादी को हानि ही पहुँची हो।

(०) विधिक द्वेष (Legal malice)—विधिक द्वेष का अर्थ वास्तविक द्वेष व अथ सवधया विपरीत है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को भंग कर उसको क्षति पहुँचाना है तो क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत क्षतिकर्ता का वह कृत्य द्वेषपूर्ण समझा जाता है, चाहे उसने वह कृत्य क्षति पहुँचाने का नीयत से न किया हो या उस उसके कृत्य से किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का इच्छा पूर्वज्ञान न हो। अण्डरहिल (Underhill) के मतानुसार यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को भलाई व उद्देश्य से भी ऐसा कृत्य किया है जिससे उस दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँच जाता है तो कानून की दृष्टि में ऐसा कृत्य द्वेषपूर्ण हो कहलाएगा। उदाहरणार्थ, यदि 'क' बिना किसी औचित्य के 'ख' को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वह 'ग' से अपना कोई सविदा तोड़ दे और इसके परिणामस्वरूप 'ग' को क्षति पहुँचे तब यह कहा जायगा कि 'क' का कृत्य 'ग' के प्रति क्षतिकृत्य है और 'क' यह दलील दकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जायगा कि उसने जो कुछ किया वह सद्भावना से प्रेरित होकर किया या यह कि उसकी नीयत 'ग' के क्षति पहुँचाने की नहीं थी।

संकल्प (Intention)—सालमण्ड (Salmond) के मतानुसार जिस इरादे से कोई कृत्य किया जाय उस इरादे का संकल्प (Intention) कहते हैं।

इरादे का पूर्वज्ञान और उसको कृत्य द्वारा कार्यान्वित करने की आकांक्षा सकल्प के आवश्यक तत्व हैं।

यह बात विदोष रूप स स्मरणाय है कि कोई कृत्य पूर्णतया सकल्पहीन (Unintentional) भा हा सकता है अथवा पूर्णरूपेण सकल्पपूर्ण (Intentional) भी हो सकता है। इसी प्रकार ऐसा कृत्य भी हो सकता है जिसका कुछ भाग सकल्पहीन हो तथा कुछ भाग सकल्पपूर्ण हो।

विधिसाक्ष का यह एक धुनियादो सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किये हुए कृत्य के स्वाभाविक परिणाम का ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति बिगो कुत्ते को भगाने के लिए उस पर गाली चलाए और कुत्ता गोली से मर जाय तो कानून यह कभी नहीं मानेगा कि गोली चलाने वाले व्यक्ति का सकल कुत्ते की हत्या करने का नहीं था। अतएव किसी कृत्य को सकल्पहीन ठमो कहा जायगा जब कर्ता को उक्त कृत्य के स्वाभाविक परिणाम का पूर्वज्ञान न हो। इस विषय में एक अग्रजो मुकदमा का घटनाएँ विरोध रूप से उल्लेखनीय हैं जो निम्न प्रकार हैं —

प्रतिवादी ने वादी को जो एक सम्भ्रान्त महिला को यह झूठी सूचना दी कि उसका पति जा विदेश में या बुरी तरह घायल हो गया है और उसके दोनों पैर टूट गए हैं। इस सूचना से वादी को स्नायुविक शैम (Nervous Shock) पड़ेची और कई दिन तक उसके प्राण भी सवट में पड गए। प्रतिवादी द्वारा दी गई सूचना के झूठी होने की बात ज्ञान होने पर वादी ने प्रतिवादी पर दातित्व का मुकदमा चलाया। प्रतिवादी ने अपने बचाव में यह दलील दी कि उसका इरादा वादी को किना प्रकार भी हानि पहुँचाने का नहीं था। विद्वान आयाचोग न इस मामले का नियम देने हुए कहा कि कोई व्यक्ति जब कोई कृत्य करता है तो उसके स्वाभाविक परिणाम का पूर्वज्ञान रखता है। इस मामले में प्रतिवादी ने जानबूझ कर ऐसा कृत्य किया है जिससे कि वादी को दारिद्रिक दातित्व पड़ेची है और इस प्रकार उसके वैयक्तिक सुरक्षा (Personal Safety) का कानूनी अधिकार को भंग किया गया है। अतएव प्रतिवादी के कृत्य से वादी का विधिक हानि पड़ेची है जिसको दातित्व का दायित्व प्रतिवादी पर है भल ही यह प्रतिवादी का प्रति किसी प्रकार का द्वेषपूर्ण सकल्प न रखता हो। [विकिंगन प्रति डाउनटन, (१८६७) २ क्यू० बी० १७]

अन्तर्द्वय (Motive)—यह एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी स्वेच्छा से किया गया कृत्य बिना मन्तव्य (Motive) के नहीं हो सकता। सेडिन बेंचम (Bentham) का मतानुसार हम कृत्य से प्राप्त फल को उस के किय जान का मन्तव्य नहीं समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार साधारण बोधधान में मन्तव्य (Motive)

घोर सक्ल्य (Intention) एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, पर कानून की दृष्टि में इन दोनों में अन्तर है। विधिशास्त्रियों का मत है कि मतव्य दूरस्थ (Ulterior) सक्ल्य है। पैटन (Paton) इस प्रकार क भेद से महमत नहीं है।

क्षतिवृत्तय कानून में मतव्य पर विचार किया जाना महत्वहीन समझा जाता है, क्योंकि इस कानून के अन्तगत केवल यह तथ्य विनिय रूप में विचारणीय होता है कि जो वृत्तय किया गया है, वह कानून की दृष्टि से अधिकृत है अथवा नहीं। अतएव किसी वृत्तय क किये जाने का मतव्य कितना ही भला क्या न हा, किन्तु यदि वह वृत्तय किसी कानून के विपरीत किया गया है तो क्षतिवृत्तय कानून के अन्तगत उससे जो क्षति पहुँचेगी, उसके लिए क्षतिवर्ता (Tortfeasor) क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ अनाज भूल जाय और उस अनाज की रक्षा के लिए कोई याकत उसे खलिहान में रखवा दे तो भी वह किसान उस व्यक्ति के विरुद्ध अपने खेत में अनधिकार प्रवेश (Trespass) और अपने अनाज के प्रति अनधिकृत हस्तक्षेप (Unauthorised interference) क लिए क्षतिपूर्ति का मुकद्मा चला सकता है।

प्रश्न ११—क्या किसी गैरकानूनी वृत्तय का किया जाना (Malice) किसी वृत्तय का गैरकानूनी ढंग से किया जाना (Misfeasance) तथा किसी वृत्तय के करने अथवा न करने के कानूनी कर्तव्य की अवहेलना करना (Nonfeasance) क्षतिवृत्तय कानून के अन्तर्गत एक समान ही अभियोज्य (Actionable) हैं? अपने उत्तर की अधिष्ठित निर्णया से पुष्टि कीजिए।

उत्तर—विवेचना—किसी गैर कानूनी वृत्तय का किया जाना (Malfeasance), किसी वृत्तय का गैर कानूनी ढंग से किया जाना (Misfeasance) तथा किसी वृत्तय क करने अथवा न करने क कानूनी कर्तव्य का अवहेलना करना (Nonfeasance) क्षतिवृत्तय कानून क अन्तगत एक समान ही अभियोज्य (Actionable) नहीं हैं। किसी गैरकानूनी वृत्तय का किया जाना क्षतिवृत्तय कानून में स्वतः अभियोज्य (Actionable per se) है और एक मामले में किसी प्रकार की असावधानी (Negligence) तथा ड्रॉप इत्यादि को साबित कराने का प्रावधान नहीं होता। किन्तु वृत्तय क करने अथवा न करने क निस्वार्थ बर्ताव्य की अवहेलना करने से बर्ताव्य पर कानूनी रूप से कोई दायित्व नहीं आता, लकिन किसी वृत्तय का गैर कानूनी ढंग से किया जाने पर बर्ताव्य क्षतिपूर्ति क लिए जिम्मेदार होगा। [एनबी प्रति गुटनारड (१७०३), ५ टी० डार०]। यदि किसी वृत्तय की करने के बर्ताव्य पर कानूनी दायित्व]

है और वह उस कानूनो ढंग से न करके किसी व्यक्ति को दातृ पढ़ाया है तो दातृ-पूर्ति के लिए उसका कृत्य उसी प्रकार अभिवाज्य है, जिस प्रकार किसी गैरकानूनी कृत्य का किया जाना दातृत्व कानून के अन्तगत अभिवाज्य होता है। [बैली प्रति मैट्रोपोलिटन रेलवे कम्पनी (१८६५), ४५० बो० ६४४]

अन १२—उन व्यक्तियों का वर्णन कीजिए जो दातृत्व कानून के अन्तगत (अ) दाया करने के लिए अयोग्य ममके जाते हैं, तथा (ब) जिनके विरुद्ध दाया नहीं किया जा सकता।

उत्तर—(टिप्पणी)—दातृत्व कानून के अन्तगत दावा करने और किया जाने की व्यक्तिगत योग्यताया और अयोग्यताया के आधार पर समाज को तीन विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—पहले वर्ग में वे व्यक्ति हैं जिनको दातृपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार प्राप्त है और जिनके विरुद्ध भी दावा किया जा सकता है। दूसरे वर्ग में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो व्यक्तिगत अयोग्यताया के कारण दातृत्व कानून के अन्तगत दावा करने की कानूनी क्षमता (Legal Competence) नहीं रखते। तीसरे वर्ग में वे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध दातृत्व कानून के अन्तगत दावा नहीं किया जा सकता।

(अ) दाया करने के लिए अयोग्य व्यक्ति—निम्नलिखित वर्ग के व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अयोग्यताया के कारण दातृत्व कानून के अन्तगत दावा करने की कानूनी क्षमता नहीं रखते —

(१) विदेशी शत्रु (Alien enemy)—यह एक सामान्य सिद्धांत है कि विदेशी शत्रु शांतकाल कानून के अन्तगत अधिकार के रूप में दावा करने का हक नहीं रखता लेकिन भारत की दावानी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) का धारा ८३ के अन्तगत विदेशी शत्रु के द्वारा सरकारी पूरे अनुमति प्राप्त करने के बाद दावा कर सकता है।

(२) दण्ड प्राप्त अपराधी (Convict)—एक दण्ड प्राप्त अपराधी अपने सम्पत्ति के प्राप्ति के लिए दावा नहीं कर सकता, परन्तु यदि वह शांतकाल कृत्य उसकी सम्पत्ति के प्राप्ति के द्वारा उस व्यक्ति (Person) के ही प्राप्ति होता है वह दातृपूर्ति का दावा कर सकता है। श्री रमलाल पारखाना के महापुस्तक भारत में सन् १८२१ ई० तक यह नियम था कि कुछ अपराधों के द्वारा प्राप्त अपराधी के सम्पत्ति हस्तगत कर ली जाती थी, परन्तु अब यह नियम समाप्त हो गया है। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा १२१, १२३ धारा १२६ के प्राविधानों का हटाने पर सम्पत्ति हस्तगत करी जाने का नियम

नहीं है। मग उक्त अन्वयों का छोडकर दण्ड प्रात अघराधो भी भारत में दतिवृत्त्य कानून के अन्तगत करने शरीर और सम्पत्ति दोनों क विरुद्ध किये गय दतिपूरण कर्त्यों के लिए दतिपूरति का दावा कर सकता है।

(३) पति और पत्नी (Husband and wife)—दतिवृत्त्य कानून में ता पति अपनी पत्नी के विरुद्ध और न पत्नी अपने पति क विरुद्ध दतिपूरति का दावा कर सकते हैं, क्योंकि कानून की दृष्टि म पति पत्नी एक इकाई (One Unit) मान जाते हैं। लकिन विवाह विच्छेद हा जान पर पत्नी अपने पति क विरुद्ध उन दतिपूरण कर्त्यों क लिए दतिपूरति का मुकदमा चला सकता है जिनका कि पति न उन समय किया था जबकि उनक वैवाहिक सम्बन्ध टूट नहीं थे। भारतीय विधिशास्त्री भी भावनाला के मतानुसार भारत में पति-पत्नी के कानूनी एक्य (Legal identity) की बात लागू न हान क कारण वे एक दूसरे के विरुद्ध दतिवृत्त्य कानून के अन्तगत जायवाही कर सकते हैं।

(४) निगम (Corporation)—कानून की दृष्टि म निगम व्यक्तियों का एक एसा संगठित सघ है जिसके कर्त्तव्य और अधिकार उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व कर्त्तव्यों और अधिकारों स भिन्न होत हैं जिनस मिल कर निगम बनता है। दतिवृत्त्य कानून के अन्तर्गत निगम वैयक्तिक दति (Personal wrongs) क लिए दतिपूरति का दावा नहीं कर सकता, किंतु एस मानहानिकारक लेख (Libel) के लिए जिसके द्वारा निगम की सम्पत्ति का दति पहुँचो हा अथवा उसका व्यावसायिक हानि हुई हो ता वह दतिपूरति का दावा कर सकता है। [मिनचस्टर का मगर प्रति विलियम्स (१८६१), १ एल० बी० ६४]

(५) गर्भस्थ बालक (Child in womb)—माता के गर्भ क भीतर का बालक ज म होने के पश्चात् उस दति के लिए दतिपूरति का दावा नहीं कर सकता जो उस उस समय पहुँचो जबकि वह माता क गर्भ म था। [वायन प्रति ग्रेट नादन रेलवे, (१८८०), एल० मार० प्रायरिंग ६६]

(६) दिवालिया (Insolvent)—दिवालिया व्यक्ति अपना सम्पत्ति क प्रति किय गय दतिपूरण कर्त्तव्य क लिए दतिवृत्त्य पर दतिपूरति का दावा नहा कर सकता, किन्तु वैयक्तिक दति (Personal wrong) की दगा म उन पूण अधिकार है कि वह दतिवृत्त्य पर दतिपूरति क लिए मुकदमा चलाय।

(७) व्यक्ति जिन पर दावा नहीं चलता —निम्ननिमित्त व्यक्ति दतिवृत्त्य कानून के अन्तगत दावा किय जात स उन्मुक्त (Immune) समझ जात है —

(१) सम्राट (Crown)—सम्राट का दावा है कि सम्राट स किसी का दति

नहीं पढ़े सकती (King can do no wrong) अतएव संवैधानिक कानून का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि सम्राट अथवा राज्याध्यक्ष (Head of the Government) अक्षर कानूनी दायव्यवहारी से उन्मुक्त समझे जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रायः राज्याध्यक्ष मन्त्रिमण्डल (Cabinet) की सलाह पर कार्य करता है और जो भी आदेश अथवा आदेश दिये जाते हैं, उन पर केवल सरकार के प्रतीक के रूप में उग्रहा नाम होता है।

(२) विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष (Foreign Sovereigns)—साधारणतया विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्ष पर अतिक्रमण कानून के अंतर्गत दायव्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वह स्वयं ही अपनी उन्मुक्ति (Immunity) का स्वेच्छा से परित्याग कर दे तो उग्र पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह कानूनी उन्मुक्ति विदेशी सत्ताधारियों के अनिश्चित राजदूतों को भी प्राप्त है।

भारतीय संविधान की धारा १६१ के अनुसार भारत का राष्ट्रपति (President of India), राज्या के राज्यपाल (Governors of the States), तथा राज्यप्रमुखों पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

एक बात जो हम सम्बन्ध में विचार रूप से स्मरणीय है वह यह है कि किसी भी देश के राज्याध्यक्ष चाहे वह किसी छोटे देश के हों अथवा बड़े देश के, मरना एक समाज ही माना जाते हैं, अर्थात् देश के छोटे बड़े होने के आधार पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाता।

(३) राजदूत (Ambassador)—विदेशी सत्ताधारी राज्याध्यक्षों की भाँति ही राजदूतों को भी कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त है तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी यही ही दीयाती तथा फौजदारी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः उन पर दक्षिण कर्म कानून के अंतर्गत दक्षिण कर्म के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वे स्वयं उन उन्मुक्तियों का परित्याग न कर दें।

(४) राजकीय कर्मचारी (Public or State officials)—यदि कोई राजकीय कर्मचारी सरकारी कर्म के अंतर्गत से कोई ऐसा कृत्य कर जिसमें किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचा तो वह उग्र कर्म के लिए दक्षिण कर्म कानून के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं माना जायगा। लेकिन यदि उग्रने ऐसा कर्म अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किया है तो वह दक्षिण कर्म के लिए जिम्मेदार होगा। यह भी ध्यान रखिए कि कोई सरकारी कर्म चाहे अपने अधीन कर्मचारियों के कर्मों के प्रति उग्र दायव्य उत्तरदायी नहीं है जबकि उग्रने उनको कर्मित कर्मों के करने का स्वयं आदेश न दिया हो। [मर्सी दासदा ट्यूटोरियल प्रति विद्या (१८९९), एल० धार० प्राचरित० एच० एल० ६३]

(५) निगम (Corporation)—दार्ढिकृत्य कानून के अन्तर्गत निगम पर दार्ढिकृति का दावा करन क लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह कृत्य जिससे दार्ढिकृति पट्टुवी, निगम के अभिकर्ता (Agent) अथवा कर्मचारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में नहा, यरन् निगम के अभिकर्ता अथवा कर्मचारी की हैसियत में निगम के हित में किया है।

(६) श्रमिक संघ (Trade union)—भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ (Indian Trade Unions Act, 1926) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड श्रमिक संघ के विरुद्ध संघ के रजिस्टर्ड नाम से दावा किया जा सकता है और उसके सदस्य व कर्मचारी केवल कुछ विशिष्ट दार्ढिकृत्यों के दायित्व से मुक्त हैं।

(७) पागल व्यक्ति (Lunatic)—यह एक सामाय नियम है कि पागल व्यक्ति दार्ढिकृत्य कानून क अन्तर्गत उन कृत्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जिनके प्रति वह फौजदारी कानून में उत्तरदायी नहीं है। यही बात मदाय (Drunk) व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन यह बात अभाव के लिए तब तक पर्याप्त नहा हागी जब तक यह सिद्ध न हा जाय कि उस व्यक्ति ने मद्यपान अपनी इच्छा क विरुद्ध किया था।

(८) शिशु (Infant)—साधारणतया शिशु तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों पर दार्ढिकृत्य कानून क अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिस दार्ढिकृत्य कृत्य में पूरवान या ट्रेप आवश्यक तत्व हों, वहां शिशु या अल्पवयस्क होता एक अच्छा अभाव (Defence) है।

(९) विवाहित स्त्री (Married woman)—दण्डेय क सामयिक कानून (Common law) में विवाहित स्त्री पर अनेके मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसने पति की भी प्रतिवाणी के रूप में सम्मिलित न कर लिया जाय, किन्तु सन् १८८२ ई० क विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम (Married Women's Property Act, 1882) के अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अनेके भी मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में भी विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ क अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अनेके भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यह अधिनियम हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन और सिक्ख स्त्रियों पर लागू नहीं होता। विवाहित स्त्रियाँ एव दार्ढिकर्ता अधिनियम, १९३५ (Married Women and Tortfeasors Act, 1935) के अन्तर्गत स्त्रियों द्वारा किए गये दार्ढिकृत्यों के लिए अपने पति उत्तरदायी नहीं माने जाते।

(५) निगम (Corporation)—दतिवृत्त कानून के अन्तर्गत निगम पर दतिपूर्ति का दावा करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह वृत्त जिससे दति पट्टेको, निगम का अभिकर्ता (Agent) अथवा कर्मचारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में नही, बरन् निगम के अभिकर्ता अथवा कर्मचारी की हैसियत में निगम का हित में किया है।

(६) श्रमिक संघ (Trade union)—भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ (Indian Trade Unions Act, 1926) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड श्रमिक संघ के विरुद्ध संघ के रजिस्टर्ड नाम से दावा किया जा सकता है और उसके सदस्य व कर्मचारी केवल कुछ विगिण्ट दतिवृत्तों के दायित्व से मुक्त हैं।

(७) पागल व्यक्ति (Lunatic)—यह एक सामान्य नियम है कि पागल व्यक्ति दतिवृत्त कानून के अन्तर्गत उन कृत्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं टहराया जा सकता जिनके प्रति वह फौजदारी कानून में उत्तरदायी नहीं है। यही बात मदाप (Drunk) व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकती है। लकिन यह बात यथावत् के लिए तब तक पर्याप्त नहीं होगी जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि उस व्यक्ति ने मद्यपान अपनी इच्छा के विरुद्ध किया था।

(८) शिशु (Infant)—साधारणतया शिशु तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों पर दतिवृत्त कानून के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिस दतिपूर्ण कृत्य में पूनज्ञान या ड्रेप आवश्यक तत्व हो, वहाँ शिशु या अल्पवयस्क हाना एक अच्छा बचाव (Defence) है।

(९) विवाहित स्त्री (Married woman)—इंग्लैण्ड के सामान्य कानून (Common law) में विवाहित स्त्री पर अपने मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसके पति को भी प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित न कर लिया जाय, किन्तु सन् १८८० ई० के विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम (Married Women's Property Act, 1882) के अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अपने भी मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में भी विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ के अन्तर्गत विवाहित स्त्री पर अपने भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यह अधिनियम हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन और सिक्ख स्त्रियों पर लागू नहीं होता। विवाहित स्त्रियों का दतिकर्ता अधिनियम, १९३५ (Married Women and Tortfeasors Act, 1935) के अन्तर्गत स्त्रियों द्वारा किए गये दतिवृत्तों के लिए उनके पति उत्तरदायी नहीं माने जाते।

प्रश्न १३—उन परिस्थितियों का विवेचनात्मक उल्लेख कीजिए जिनमें क्षतिकर्ता क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होने पर भी इस उत्तरदायित्व से स्वतः मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने उत्तर में तत्सम्बन्धी अंग्रेजी और भारतीय कानून का अन्तर भी स्पष्ट कीजिए।

उत्तर—नतिवृत्त्य सम्बन्धी दायित्व से मुक्ति—निम्नलिखित परिस्थितियों में क्षतिकर्ता क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होने पर भी इस उत्तरदायित्व से स्वतः मुक्ति प्राप्त कर लेता है —

(१) नतिवृत्ता या क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु—कानून का यह एक सामान्य सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा उतारना का दायित्वगत अधिकार उस व्यक्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाता है (Actio personalis moritur cum Persona—A personal action dies with the parties to the cause)। यह सिद्धांत अंग्रेजी सावजनिय कानून (English Common Law) का एक सामान्य नियम था। नतिवृत्त कानून सुधार (विधिवि प्राविधान) अधिनियम, १९३४ [The Law Reforms (Miscellaneous Provisions) Act, 1934] ने उक्त सिद्धांत में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है। इस अधिनियम के बनने के बाद अंग्रेजी कानून में यह एक सामान्य नियम हो गया है कि प्रत्येक क्षतिवृत्त्य के मामले में क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी (Legal representative) को क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला कर क्षतिकर्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा और क्षतिकर्ता की मृत्यु से यह अधिकार समाप्त न होगा। लेकिन निम्नांकित क्षतिवृत्तियों के लिए यह नियम लागू न होया और क्षतिप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु के साथ साथ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी समाप्त हो जायगा —

- (अ) जब क्षति प्राप्त व्यक्ति की मानहानि की गयी हो,
- (ब) जब बहकाव द्वारा क्षति पहुँचायी गयी हो,
- (स) जब दम्पति में से किसी को अलग होने के लिए बहकाव कर क्षति पहुँचायी गयी हो, तथा
- (द) व्यभिचार (Adultery) द्वारा की गयी क्षति।

प्राणघातक दुर्घटना अधिनियम, १८८६ (The Fatal Accidents Act, 1846) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाय तो जिस व्यक्ति का क्षतिवृत्त्य उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, उसने उपर

दति प्राप्त मृतक व्यक्ति के पति, पत्नी, बच्चे या उसका सम्पत्ति का व्यवस्थापक (Administrator) दतिपूति के लिए मुकदमा चला सकते हैं। सेवायोजक दायित्व अधिनियम, १८८० (The Employers' Liability Act 1880) के अन्तर्गत यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति काल में ऐम किसी भी कारण से मृत्यु हो जाय जिनका कारण इस अधिनियम में है, तो मृतक कर्मचारी का वार्ड नो कानूनी उत्तराधिकारी स्वाम्याजक (Employer) पर दतिपूति का मुकदमा चला सकता है। श्रमिक प्रतिभर अधिनियम, १९२५ (The Workmen Compensation Act, 1925) के प्राविधानों के अनुसार यदि किसी श्रमिक कर्मचारी की कारखाने में काम करते समय दुर्घटनाएँ मृत्यु हो जाय तो उस श्रमिक कर्मचारी के आश्रित (Dependent) व्यक्ति कारखाने के मालिक से दति प्राप्त करने के लिए उन पर दावा कर सकते हैं।

दतिकर्ता (Tortfeasor) की मृत्यु का परिणाम अग्रजो कानून के अनुसार यह है कि उसका दतिपूण कृत्य के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन यह नियम उस परिस्थिति में लागू नहीं होता है जबकि मृतक दतिकर्ता न अपना जीवनकाल में दति प्राप्त व्यक्ति की सम्पत्ति या उसकी आय (Proceeds) का स्वायत्तीकरण (Appropriation) कर लिया हो और उस सम्पत्ति अथवा आय को अपना सम्पत्ति अथवा आय में मिला लिया हो।

भारतीय कानून

भारतीय कानून में उपरोक्त सामान्य सिद्धान्त के, कि दति प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप उसका मुकदमा चलाने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है, निम्नलिखित अपवाद (Exceptions) हैं —

(अ) कानूनी प्रतिनिधिवाद अधिनियम, १८५५ (The Legal Representative's suits Act, 1855) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि अपना उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी दतिकर्ता के विरुद्ध दतिपूति का दावा कर सकता है, यदि अनिश्चित दति प्राप्त मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति के प्रति किया गया हो।

(ब) प्राणघातक दुर्घटना अधिनियम, १८५५ (The Fatal Accidents Act, 1855) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति की जो कारखाने में काम करता है, काम करते समय किसी दुर्घटनाएँ मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारी, पति, पत्नी व सन्तान दतिकर्ता के विरुद्ध दतिपूति के लिए उस

व्यक्ति की मृत्यु के दिन से दो वर्ष का अवधि के भीतर मुकदमा चला सकता है। नवीन अवधि अधिनियम, १९६३ (The Limitation Act, 1963) में अवधि दो वर्ष निर्धारित की गयी है।

(स) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९५५ (The Indian Succession Act, 1925) को धारा २०६ के अंतर्गत किसी व्यक्ति के कुछ या नकलान घायक उधकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं है। अतएव उसकी मृत्यु के बाद का व्यवस्थापक (Administrator) को क्षतिकृत्य के लिए जो उस मृतक व्यक्ति के जीवनकाल में किया गया है और जो मानहानि (Defamation) मानमरण या प्रहार (Assault) तथा व्यक्तिगत क्षति (Personal injury) के वर्ग का क्षतिकृत्य न है, क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है।

क्षतिकर्ता का मृत्यु के परिणाम के विषय में भारतीय कानून यह है कि किसी क्षतिकर्ता के व्यवस्थापक (Administrator) या प्रतिनिधि (Representative) पर मृतक क्षतिकर्ता का क्षतिकृत्य का क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो मृतक क्षतिकर्ता ने अपने जीवन काल में किया है और जो मानहानि, मानमरण या प्रहार तथा व्यक्तिगत क्षति के वर्ग का क्षतिकृत्य न रहा हो।

() निर्वाचन द्वारा परित्याग (Waiver by election)—जब किसी क्षतिकर्ता के व्यक्ति का किसी क्षतिकृत्य का प्रतिकार करने के लिए अनेक कानूनी उपाय उपलब्ध हो और वह उनमें से किसी एक का वापसवाही के लिए चुन ले तो दूसरे उपायों के लिए यह समझा जायगा कि उसने निर्वाचन के द्वारा उक्त परित्याग कर लिया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई क्षतिकृत्य करके क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत भी अभिगम्य (Actionable) हो और उसके लिए सविनाशकारण (Breach of Contract) के अंतर्गत भी वापसवाही की जा सकती है तथा क्षतिकर्ता व्यक्ति क्षतिकर्ता उपाय की वापसवाही करना चुन ले तो वह फिर क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत क्षतिकर्ता का मुकदमा नहीं चला सकता, परंतु वह वैकल्पिक दादरसी (Alternative reliefs) अवश्य ले सकता है। [नीचे प्रति हाडिंग (१८५१), सी० एच० १४६]

(३) समझौता एवं सन्तोष (Accord and satisfaction)—यदि वादी और प्रतिवादी में परस्पर समझौता हुआ जाता है जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से क्षतिकर्ता के क्षतिकृत्य दूर करने को सन्तुष्ट कर देता है तो वादी का क्षतिकर्ता प्राप्त करने के लिए मुकदमा चलायान का अधिकार समाप्त हो जाता है। म्यरल यह कि परस्पर समझौता बिना क्षतिकर्ता द्वारा वादी का सन्तुष्ट किया भी अनियमित नहीं

है। [लो प्रति लकाशायर एण्ड याक रेलवे कम्पनी (१८७१), एल० धार० ६ चासरी डि० ५२७]

(४) मुक्ति (Release)—वादी अपने प्रति किय गये क्षतिपूर्ण कृत्य की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार को स्वयं भी छोड़ सकता है। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी कानून यह है कि इस प्रकार का मुक्ति पत्र या तो लिखित होना चाहिए या इस प्रकार की मुक्ति के लिए वादी को कुछ प्रतिदान (Consideration) अवश्य प्राप्त होना चाहिए। लेकिन भारतीय कानून में मुक्ति के बदले में कोई प्रतिदान लेना अनिवार्य नहीं है।

(५) मौन सम्मति (Acquiescence)—यदि क्षति प्राप्त व्यक्ति अपने क्षति पूर्ति पाने के अधिकार को जानते हुए भी एक लम्बे समय तक कोई कायवाहो नहीं करता और चुप्पी साध लेता है तो विपक्षी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सम्भवतः उसने अपना क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के अधिकार को त्याग दिया है। लेकिन मौन सम्मति का यह सिद्धांत अधिकतर वादी के व्यवहार और अधिकार के प्रति सचेत पान पर धवलम्बित है।

(६) न्यायादेश का निष्पादन (Execution of judgment)—कानून का यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी एक व्यक्ति एक क्षतिवृत्त्य के लिए केवल एक बार ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उस पर बार-बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद भी हैं —

(अ) यदि किसी क्षतिपूर्ण कृत्य से लगानार किसी व्यक्ति को नित्य क्षति पहुँचती जा रही हो तो एक बार क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के बाद क्षतिपूर्ति के लिए पुनः दावा किया जा सकता है।

(ब) यदि एक ही क्षतिवृत्त्य द्वारा किसी व्यक्ति के दो विभिन्न अधिकारों को भंग किया गया हो तो क्षतिवृत्त के विरुद्ध एक से अधिक मुकदमे भग किये गये अधिकारों के अनुसार चलाये जा सकते हैं।

(स) उन मामलों में जिनमें वास्तविक क्षति (Actual damage) मुकदमे का मूल तथ्य नहीं है बल्कि उन मामलों में जिनमें क्षति ही अभियोग्य कृत्य का मूलाधार है, परिस्थिति के अनुसार मुकदमे चलाये जा सकते हैं।

(७) समादी (Bar of limitation)—यदि क्षति प्राप्त व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उचित न्यायालय में मुकदमा दायर करने में

असमय रहे तो तमादी द्वारा उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

भारत का १वीं अविधि अधिनियम, १९६३ (The Limitation Act, 1963) में विभिन्न प्रकार के दत्तकृत्यों की कायवाही के लिए विभिन्न अवधि निर्धारित की गयी है।

प्रश्न १४—विदेश में किये गये दत्तकृत्यों के कानून पर जैसा कि इंग्लैण्ड और भारत में प्रचलित है, अधिदृत निर्णयों से पुष्टीकरण करते हुए सन्निप्र टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—विदेश में किये गये दत्तकृत्यों का कानून—विदेश में किये गये दत्तकृत्या का कानून जो इंग्लैण्ड में प्रचलित है, वही भारत में भी है। अंग्रेजी कानून का यह एक सामान्य नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अचल सम्पत्ति (Immovable property) के प्रति कोई दत्तकृत्य करे तो दत्त प्राप्त यत्ति दत्तकर्ता पर तब तक दत्तपूति का मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह विदेश में हो, भले ही दत्तकर्ता इंग्लैण्ड का नागरिक हो। लेकिन यदि दत्तकृत्य किसी की चल सम्पत्ति (Movable property) या शरीर (Person) के प्रति किया गया हो तो दत्त प्राप्त व्यक्ति को दत्तकर्ता पर दत्तपूति प्राप्त करने के लिए केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में मुकदमा चलाने का अधिकार है, भले ही दत्तकर्ता विदेश में हो —

(म) प्रतिवादी ने जो दत्तकृत्य करे किया है, वह उस देश के कानून के विचार से गैरकानूनी हो, जहाँ वह किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति इंग्लैण्ड में गैरकानूनी है कि तु भारत में कानून सम्मत है तो ऐसे कृत्य के लिए इंग्लैण्ड में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा यदि वह कृत्य भारत में किया गया हो। इस सम्बन्ध में एक प्रमुख मामले का अधिदृत निर्णय उल्लेखनीय है। वांग ने जमैका के राज्यपाल (Governor of Jamaica) पर अवैध कारावास (Illegal detention) के लिए दत्तपूति का मुकदमा चलाया जिसमें राज्यपाल की ओर से यह दलील दी गयी कि उसने वादी को राजद्रोह का दमन करने के सिलसिले में कारावासित किया था और जमैका के कानून के अन्तर्गत उसको ऐसा करने का अधिकार था। इस मामले में निर्णय देते हुए विद्वान् 'यामायोज' ने कहा कि यदि किसी अवैध देश के कानून में कोई कृत्य वैध (Lawful) है तो उसके लिए इंग्लैण्ड में दत्तपूति का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही वह कृत्य इंग्लैण्ड के कानून में अवैध हो। [किनिप्प प्रति भावर (१९७०), ६ वृ० बी० १]

(ब) प्रतिवादी ने जो क्षतिपूर्ण कृत्य किया है, वह इस प्रकार का होना चाहिए कि यदि वह इंग्लैण्ड में किया जाता तो अभियोग्य (Actionable) होता। उदाहरणार्थ, यदि किसी अज्ञेय ने भारत में ऐसा कृत्य किया है जो भारतीय कानून के अंतर्गत तो अभियोग्य है किंतु इंग्लैण्ड के कानून के अंतर्गत अभियोग्य नहीं है तो वादी को जिम्मेवारी बल सम्पत्ति या शरीर की क्षति पहुँचो है, इंग्लैण्ड में उक्त कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं है। कारण यह है कि इंग्लैण्ड अपने देश का कानून ही अपने देश में लागू कर सकता है, विदेश का कानून नहीं। एम कृत्य के लिए, यदि वादी को कानूनी क्षति प्राप्त है, तो भारत में ही क्षतिपूर्ति का मुकदमा चल सकता है।

प्रश्न १५—'जान वूम कर आपत्ति लेना' (Volenti non fit injuria) के सिद्धान्त की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर—जान वूम कर आपत्ति लेना (Volenti non fit injuria) — अतिकृत्य कानून का यह एक बुनियादी सिद्धान्त है कि यदि कोई व्यक्ति जान वूमकर अपने ऊपर आपत्ति लेता है और उस देश में उस कोई क्षति पहुँचती है तो उस क्षति के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। यह सिद्धान्त 'जान-वूमकर आपत्ति लेना (Volenti non fit injuria)' का सिद्धान्त कहलाता है। इस सिद्धान्त के अंतर्गत केवल शरीर (Person) का पहुँचो क्षति ही विचारणीय नहीं है, प्रायुक्त सम्पत्ति को भी पहुँचो क्षति पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस सिद्धान्त के लागू करने के लिए दो बातें विशेष रूप से विचारणीय हैं। एक तो यह कि क्षति प्राप्त व्यक्ति ने अपने आपका जान वूमकर आपत्तिजनक परिस्थिति में डाला हो, और दूसरी यह कि आपत्तिजनक परिस्थिति में जो क्षति उसको पहुँचो हो, उसका पूरापूर भी उस हो। यह बात भी विचारणीय है कि क्षति प्राप्त व्यक्ति ने अपने को आपत्तिजनक परिस्थिति में डालने की सहमति (Consent) स्वच्छापूर्वक और स्वतन्त्रतापूर्वक दी हो। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रहे कि केवल जोखिम के ज्ञान होना वा अर्थ ही सहमति नहीं है। [हिंस प्रति हारबुड, (१९३५), १ के० बी० १४६]

उपरोक्त सिद्धान्त को भली प्रकार समझने के लिए एक उदाहरण देना आवश्यक है। मान लीजिए कि किसी बगीचे के मालिक ने अपने बगीचे की रक्षा के लिए बुत्ते पाल रखे हैं और बगीचे के बाहर दरवाजे पर यह तस्वी लिख कर टाँग दी है कि हम बगीचे में बुत्ते पाल हैं। अब यदि उक्त बगीचे में कोई व्यक्ति अकारण प्रवेश करता है और बुत्ते उसे काट लेते हैं तो वह व्यक्ति उक्त बुत्तों के मालिक से क्षतिपूर्ति

प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने को उस आपत्तिजनक परिस्थिति में स्वयं डाला है और उस परिस्थिति को जोखिम का उस पूर्व भाग भी है। इसी प्रकार यदि कोई रोगी किसी घातन के पास जाय और वह सज्जन उम वतलाय कि आपरेशन में उसका प्राणो का खतरा है और इस पर भी वह रोगी उस सज्जन से आपरेशन कराये ता आपरेशन में यदि रोगी को काइ क्षति पहुँचती है तो सज्जन क्षतिपूर्ति देने का जिम्मेदार नहीं है।

ऐसे मामलों में जिसमें प्रतिवादी की लापरवाही से वादी को क्षति पहुँची हो, उपयुक्त सिद्धान्त की दलील बचाव में बारम्बार न होगी। इस प्रकार का एक मामला उल्लेखनीय है। प्रतिवादी ने नौकर ने एक घाटागाड़ी साधजनिक मार्ग पर छोड़ दी। घोड़े गाड़ी को बिना किसी चालक के ही लेकर सड़क पर भाग निकल। वादी ने जो एक पुलिस सिपाही था, गाड़ी को बिना चालक के सड़क पर भागते देखा। उसकी ड्यूटी उस समय सड़क पर नहीं थी बल्कि पुलिस स्टेशन पर थी। वह पुलिस स्टेशन से बाहर आया और उसने देखा कि सड़क पर इस प्रकार बिना चालक के भागती हुई घाटागाड़ी को यदि न रोका गया तो वह सड़क पर चलने वाले एक स्त्री और कुछ बच्चों का सुरक्षित बुचल देगा। वादी ने उन्हें बचाने के लिए अपने को खतरा में डाल कर गाड़ी रोक ली और इस प्रयत्न में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने क्षतिपूर्ति के लिए गाड़ी के स्वामी के विरुद्ध मुकदमा चलाया। प्रतिवादी ने उपयुक्त सिद्धान्त की दलील अपने बचाव में दी। विद्वान् 'यायापीश न निणय दिया कि जिस प्रकार की घटनाएँ इस मूलभूत में हैं, उन परिस्थितियों में प्रतिवादी की दलील नितांत लचर है, क्योंकि जान-बूझ कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। प्रतिवादी ने बन्त ही लापरवाही का व्यवहार किया है। अतः वादी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने का गानूनन अधिकारी है।

[इस प्रति हारबुड (१९३५), १ व० बी० १४६]

प्रश्न १६—निम्नलिखित समस्याओं की समस्यापूर्ति कीजिए —

(क) 'क' यह जानते हुए कि 'ख' घराब पिए हुए है, उसकी कार में बिना भाड़े के यात्री की हैसियत से सफर करता है। 'ख' घराब के नंगे में द्रुतगति से कार चलाना है। रास्ते में वह एक भ्रम यात्री को कार रोक कर उतार देता है और फिर उसी द्रुतगति से कार चलाने लगता है। 'क' फिर भी अपने यात्री को, यह जानते हुए भी कि 'ख' के इस प्रकार कार चलाने से खतरा है, जारी रखता है। अचानक कार बिना चेक के टकराती है जिसके परिणामस्वरूप 'क' बुरी तरह घायल हो जाता है। वह क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' के विरुद्ध मुकदमा चलाता है। 'ख' अपने बचाव में

जान ब्रूझकर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) के सिद्धान्त की दलील देता है।

क्या उपयुक्त परिस्थितियों में 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' उत्तरदायी है ?

(ब) 'ख' अपनी घोड़ागाड़ी को सार्वजनिक माग पर बिना चालक के छोड़ कर समीप की दूकान पर सामान खरीदने चला जाता है। उस समय जबकि वह दूकान के भीतर खरीदारी कर रहा होता है, सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति ग़रार तन पटाखा छोड़ देता है जिसके घमाके से ब्रिदक कर धोड़े गाड़ी को लेकर भाग निकलते हैं। 'क' इस प्रकार बिना चालक के सड़क पर भागती हुई घोड़ागाड़ी को जिससे सड़क पर चलते हुए लोगों के कुचले जाने का खतरा है, रोकन का प्रयास करता है और परिणामस्वरूप उसको चाट पट्टु चती है। वह क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' व विरुद्ध मुकदमा चलाता है। 'ख' अपने बचाव में यह दलील देता है कि 'क' ने स्वेच्छा से जान ब्रूझ कर यह आपत्ति ली और यह कि पटाखा छोड़ने वाले व्यक्ति के अपकृत्य से यह घटना घटी है जिसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं हो सकती।

क्या उपयुक्त परिस्थितियों में 'क' का क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' उत्तरदायी है ?

(स) 'ब' को रेलवे स्टेशन जाना है। वह 'ख' के तांगे में किराया देकर चलता है। 'ख' रेलवे स्टेशन की सड़क पर तांगा चलाते हुए ऐसे मोड़ पर घाता है जहाँ मरम्मत के लिए सड़क बंद होने की तस्वी लगी है। 'ब' तांगे का दूसरी पुमावहार सड़क से ले जान के लिए मोड़ता है। 'ब' को रेलवे स्टेशन पट्टु चन की जल्नी है। वह यह दावते हुए भी कि एक अन्य तांगा उसी बन्द सड़क की बगल से जहाँ एक सतरनाक डलान है, सुरक्षित गुजर जाना है, 'ख' में भी उमा और में तांगा ले जाने को कहता है। 'ख' अपनी वान मानकर उम और में तांगा ले जाने को कोणित करता है। लेकिन स्थान पर तांगा फिमल जाता है और दोनों घायल हो जाते हैं। वह एक दूसरे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं।

उपयुक्त परिस्थितियों में 'ब' अथवा 'ख' में से कौन क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है ?

(द) सड़क पर पैस चलते हुए 'ब' को 'ख' मोटरकार चलाते हुए मिलता है। दोनों मिय हैं। 'ख' 'ब' से माटरकार में बैठने के लिए कहता है और 'ब' उसकी बात स्वीकार कर लेता है। 'ब' की असावधानी से मोटरकार किसी पड से टकरा जाती है जिससे परिणामस्वरूप 'ब' को चोट पट्टु चती है। वह 'ख' के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करता है।

क्या उपयुक्त परिस्थितियों में 'ब' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' जिम्मेदार है ?

उत्तर—समस्याएँ—(म) घामतोर से यदि किसी व्यक्ति को खतरे का पूर्व ज्ञान हो और वह फिर भा जातिम उठाए तो यह समझा जायगा कि उसने जान बूझ कर आपत्ति ली। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण क्षति पहुँची हो तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिकर्ता जिम्मेदार होगा और वह जान बूझ कर आपत्ति लेने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त को दलील अपने बचाव में नहीं दे सकेगा। [देन प्रति हेमिल्टन (१९३६), १ क० बी० ५०७] प्रस्तुत मामले में यद्यपि यह सही है कि 'क' को खतरे का पूर्व ज्ञान था और उसने स्वच्छा से आपत्ति ली, परन्तु 'ख' ने भी धाराब पीकर कार चलाने हुए अपनी कार के यात्रियों की सुरक्षा का अपना कानूनी कर्तव्य पालन नहीं किया। कार की दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप 'क' घायल हुआ, 'ख' के उक्त कानूनी कर्तव्य को भंग करने के कारण हुई। अतएव 'ख' 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

(न) प्रस्तुत मामले की घटनाएँ [हस प्रति हारवुड (१९३५), १ क० बी० २४६] के मामले की घटनाओं से मिलती जुलती हैं। इस मामले में यह तय हुआ है कि जान बूझकर आपत्ति लाने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं होगा जिनमें पहुँची क्षति के लिए प्रतिवादी अपनी लापरवाही के कारण जिम्मेदार हो। प्रस्तुत मामले में 'ख' ने अपनी घाड़ानापी को सावजनिक मार्ग पर बिना बालक के छाड़कर बहुत हाँ लापरवाही का व्यवहार किया। उसे यह जानना चाहिए था कि ऐसी हालत में घाड़े गाड़ी को लेकर भाग सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर चलते हुए लोगों की जान व माल का खतरा हाँ सकता है तथा कोई व्यक्ति उन्हें रोकने की भी कोशिश कर सकता है। 'क' ने जिन परिस्थितियों में घोड़ा को रोकने की कोशिश की और वह घायल हुआ उनमें जान बूझकर आपत्ति लाने (Volenti non fit injuria) का सिद्धान्त लागू नहीं होना, क्योंकि घटना सबका 'ख' की लापरवाही का तत्काल परिणाम है। यह दलील भी कि घटना पटाया छोड़ने वाले व्यक्ति के अपकर्तव्य के कारण घटी, 'ख' का जिम्मेदारी को हटाना प्रयत्न कम नहीं करता। पटाया छोड़ने वाला व्यक्ति न एक अपकर्तव्य प्रयत्न किया। एक सही विभाग तार्किक का हैतियत में उसे एसा धरारत नहीं करने चाहिए थी। इस घटना का उत्तरदायित्व उन पर भाँ है। लेकिन 'ख' को भी यह जानना चाहिए था कि यह बिना चापर व सावजनिक मार्ग पर घोड़ा गाड़ी छाड़ रहा है और यदि बिना व्यक्ति को धरारत में घाड़े बिनाक गए तो लागू व जान

व माल को क्षति पहुँचाने की सम्भावना है। अतएव 'ख' प्रत्येक परिस्थिति में 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

(घ) प्रस्तुत मामले में 'क' अथवा 'ख' में सवाई भी एक दूसरे का क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार नहीं है। 'क' न स्वयं 'ख' से उम खतरनाक डवान स तागा ले जाने की कड़ा और स्वेच्छा स स्वयं जान बूझकर आपत्ति ली तथा 'ख' न तागा चलाने हुए कोई लापरवाही या असावधानी का व्यवहार नहीं किया। अतएव 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' कल्पि जिम्मेदार नहीं है। इसी प्रकार 'ख' न भा खतर का पूरा जान हास हुए 'क' की बात मानकर स्वेच्छा स आपत्ति ली इसलिए 'क' उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(द) प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि दुपटना 'ख' की असावधानी के कारण घटी। अतएव इस मामले में जान बूझकर आपत्ति लेना (Volenti non fit iniuria) का सिद्धान्त लागू नहीं होता। डेन प्रति हेमिल्टन [(१६३६) १ के० वी० ५०७] के प्रसिद्ध मामले में यह तय हुआ है कि यदि दुपटना प्रतिवादा की लापरवाही या असावधानी का तत्काल परिणाम हा तो वह बादी द्वारा जान बूझकर आपत्ति लेने की दलील अथवा बचाव म नहीं द सकता। प्रस्तुत मामले में 'क' ने भल ही स्वेच्छा से 'ख' की मोटर कार में चलना स्वीकार कर लिया किन्तु उसे 'ख' की असावधानी से चोट पहुँची। अतएव 'ख' उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

प्रश्न १७—ऐसे सामान्य अपवादों की तालिका प्रस्तुत कीजिए जिनमें किये गये शक्तिवृत्त्य अभियोग्य नहीं होते।

उत्तर—सामान्य अपवाद—यद्यपि व्यक्ति का कोई भी ऐसा कृत्य जिसके द्वारा उसने अथवा व्यक्ति के कानूनी अधिकार का भंग किया हो या अथवा व्यक्ति के प्रति कानूनी कर्तव्य का पालन करने में असमय रहा हो, शक्तिवृत्त्य कानून के अंतर्गत अभियोग्य है, लेकिन इस सामान्य सिद्धान्त के कुछ अपवाद भी हैं। ये अपवाद मानव जनिक शक्ति धर्मशास्त्र तथा सार्वजनिक सुविधा के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। सर फ्रेडरिक पोलक (Sir Fredrick Pollock) के मतानुसार ये अपवाद एनी उन्मुक्तियाँ (Immunities) हैं जो व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को सामित करती हैं। इन सामान्य अपवादों अथवा उन्मुक्तियों की तालिका निम्नलिखित है —

(१) राज्य कृत्य (Act of state),

(२) कार्यपालिका (Executive), न्यायपालिका (Judiciary) एवं अर्ध-न्यायिक (Quasi Judicial) कृत्य,

(३) माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा किये गये कृत्य,

- (४) अवश्यम्भावो दुष्घटनाय (Inevitable accidentis),
 (५) सहमति से किये गये कृत्य,
 (६) आवश्यक तथा सावजनिक हित म किय गये कृत्य,
 (७) स्वरक्षा के लिए किय गये कृत्य,
 (८) सामान्य अधिकारों के उपभोग व लिये किये गये कृत्य (Exercise of Common right),
 (९) साधारण क्षतिपूर्ण कृत्य,
 (१०) कानून सम्मत कृत्य,
 (११) व्यक्तिगत उमुक्तियाँ (Personal immunities), एवं
 (१२) ईश्वरीय कृत्य (Act of God) ।

प्रश्न १८—राज्य कृत्यों (Acts of State) के औचित्य (Justification) की विवेचना करते हुए उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें वे क्षतिकृत्य कानून के अन्तर्गत अभियोज्य हो जाते हैं ।

उत्तर—राज्य कृत्यों का औचित्य—सर जेम्स स्टीफन (Sir James Stephen) ने राज्य कृत्यों की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य कृत्यों के अंतर्गत सम्राट अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये सभी अधिकृत कृत्य सम्मिलित हैं । इंग्लैण्ड के कानून का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि सम्राट कुछ भी अनुचित नहीं करता । इसी सामान्य सिद्धान्त के अनुसार सम्राट अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये अधिकृत कृत्य क्षतिकृत्य कानून व अंतर्गत अभियोज्य नहीं होते । यदि किसी व्यक्ति द्वारा किये गये क्षतिकृत्य की सम्राट ने कृत्य हो जान व बाद भी स्वीकृति दे दी हो तो वह भी राज्य कृत्य समझा जाता है और उसके विरुद्ध वायवाहा नहीं की जा सकती । [बर्न प्रति केसा (१८४७), २ एक्स० १६७]

भारत में भी राज्य कृत्यों के औचित्य के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड में प्रचलित सिद्धान्त ही अधिकतर लागू होते हैं । भारतीय कानून के अंतर्गत सरकार अपने वमचारियों द्वारा किये गये ऐम क्षतिकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है । उन्होंने अपने कानूनी वसंधियों का अधिकृत रूप से पालन करने म किये हैं । इस उमुक्ति का आधार यह सिद्धान्त है कि कानून द्वारा वम घोषित किया हुआ कृत्य करने स किसी को कानून की दृष्टि म कोई क्षति पहुँच ही नहीं सकती, और जब क्षति ही नहीं पहुँच सकती तो क्षतिपूर्ति भी प्राप्य नहीं है और न ही मुकदमा चलाने के लिए कोई आधार है । अतः यह ध्यान रहे कि यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि ऐसा कृत्य असावधानी से किया गया है तो क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है ।

उदाहरणार्थ, यदि विधान मंडल (Legislature) ने किसी भाग पर रेलवे चलाने का कानून बना दिया है तो उस रेलवे लाइन के स्टेशन के पास रहने वाले इस आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चला सकते कि रेलों की आवाज से, उनका क्षति पहुँचती है। किन्तु यदि यह रेलवे कम्पनी किसी बस्ती में अपना कारखाना खोल दे और उसके शोर से उस बस्ती में रहने वालों को क्षति पहुँचे तो क्षतिप्राप्त व्यक्तियों को उस कम्पनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिये अच्छा आधार होगा।

[राजमोहन बोस प्रति ईस्ट इंडिया रेलवे (१८७२) १० वी० एल० आर० २४१]

उपयुक्त परिस्थिति के अतिरिक्त राज्य कृत्य निम्नलिखित परिस्थितियों में भी अभियोक्त्य हो जाते हैं —

(१) जबकि अचल सम्पत्ति पर अनाधिकार प्रवेश किया जाय ,

(२) जबकि कानून द्वारा दायित्व स्वीकृत हो, ए०

(३) जबकि यह सिद्ध कर दिया जाय कि कर्मचारी द्वारा किये गये कृत्य से सरकार को लाभ पहुँचा है।

प्रश्न १६ — 'अवश्यम्भावी दुर्घटनाएँ क्या हैं ? क्षतिवृत्त्य कानून के अर्तगत उनके औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।

उ०— अवश्यम्भावी दुर्घटनाएँ— अब यम्भावी दुर्घटना (Inevitable Accident) वह दुर्घटना है, जिसको सतक, सावधानी (Reasonable prudence) या सतकता (vigilance) के बरतने पर भी न रोका जा सक। कानून का (Technical) भाषा में एसी दुर्घटना को जिसे सतक, सावधानी या सतकता बरतने पर बचाया जा सक, अवश्यम्भावी दुर्घटना नहीं कहा जायगा। अवश्यम्भावी दुर्घटना का कारण बिल्कुल ही अप्रत्याशित (Unforeseen) होने चाहिए।

ऐसी दुर्घटना ही अवश्यम्भावी दुर्घटना की श्रेणी में रखी जा सकती है जो सावधानी या सतकता बरतने पर भी घटित हो जाय। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने साथ स्वतः आग लग जाने वाला पदार्थ (Explosive substance) को न जा रटा हो तो उसका कर्तव्य है कि वह आग लगने वाले कारणों से बचने के लिए सतकता बरत, किन्तु यदि अप्रत्याशित कारण से उस पदार्थ में आग लग जाय तो उसके परिणामस्वरूप जो क्षति किसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को पहुँचेगी उसका उत्तरदायित्व उस पदार्थ को ले जाने वाले व्यक्ति पर न होगा, क्योंकि वह क्षति अवश्यम्भावी दुर्घटनाएँ ही हैं।

। उपयुक्त विषय के प्रकरण में आउन प्रति के उल्लेख [(१८५०), ६ वासिग २६२] का मुकदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं— एक बार वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। प्रतिवादी कुत्तों को छुड़ाने के लिए उनको मार रहा था और वादी वहीं खड़ा इस घटना को देख रहा था। इसी बीच प्रतिवादी द्वारा वादी की छात्र में चोट लग गई। वादी ने दातृपूति के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाया। न्यायालय ने निष्पत्ति दिया कि प्रतिवादी का दाय्य पूर्णतया विधिपूर्ण था, क्योंकि उक्त हुए घटना को घन्य करना एक उचित कार्य था। यदि एक विधिपूर्ण और उचित वक्ष्य सतर्कता एवं सावधानी से करने पर भी यह घटने का हो गई और वादी को छात्र में चोट लग गई तो वह अदृश्यभावी दुष्घटना है और इसके लिए वादी को प्रतिवादी से दातृपूति प्राप्त का अधिकार नहीं है।

स्मरण रह कि अदृश्यभावा दुष्घटनाएँ प्रायः दो कारणों से होती हैं। एक तो वे प्राकृतिक कारणों से हुई हैं, और दूसरी यह कि किसी मनुष्य द्वारा तो हुई हों लेकिन उनको सतर्कता एवं सावधानी बरतने पर भाराका जाना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। पहला प्रकार की अदृश्यभावो दुष्घटनाओं को हम स्वरीम पत्य (Act of God) कहते हैं। एसी दुष्घटनाओं से उदाहरण के लिए यदि किसी घाट पर रात में चलते समय ब्रजना गिर पड़े और उससे उसकी मृत्यु हो जाय तो हम उसे प्राकृतिक दुष्घटना कहेंगे। लेकिन यदि रात चलते समय किसी व्यक्ति का पैर किसी गड्ढे में गिर जाए और वह गिर कर खाट सा हो जाय तो हम कहेंगे कि यह दुष्घटना मनुष्य की सतर्क, सावधानी बरतने पर भी हो गई। सावधानी का मापन के लिए कोई माप दर्शा देना है। पर सावधानी की प्रायः तीन काटियाँ (Degrees) हो सकती हैं—साधारण, मध्यम, साधारण और साधारण से अधिक। साधारण सावधानी या सावधानी उस सावधानी को कहते हैं जो कि साधारण व्यक्ति सामान्य साधारण परिस्थितियों में बरतते हैं।

प्र० २० — दातृकृत्य कानून के अन्तर्गत न्यायाधीशों की उन्मुक्ति (Immunity) पर मतिमत् टिप्पणी लिखिए।

उ०—न्यायाधीशों की उन्मुक्ति — दातृकृत्य कानून के अन्तर्गत कुछ विधिगत प्रतिष्ठा का कानूनी दायित्वों से छूट या उन्मुक्ति प्राप्त होती है। इन उन्मुक्तियों का आधार सावजनिक दायित्व व्यवस्था या सावजनिक सुविधा होता है। न्यायाधीशों को इसी प्रकार की उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। किसी न्यायाधीश पर किसी एक वक्ष्य के लिए दातृकृत्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता

जिसको, कि उसने, अपने बान्सी वक्तव्यों को पूरा करने के लिये किया हो, भले ही उसका व्यवहार क्षतिपूर्ण क्यों न रहा हो। अतः यदि किसी यायाधीश ने किसी मुकदमे के फल में किसी के प्रति कुछ अपमानकारी बातें लिखी हो तो वे अपमानकारी लेख (Libel) नहीं मानी जायेंगी और न ही उस यायाधीश के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता।

यायाधीश की उम्ति का उद्देश्य यह है कि वह अपना कार्य निभयनापूर्वक कर सके। श्री रत्नराम धीरजलाल के मतानुसार यह उम्ति रिखा भ्रष्ट या ईर्ष्यालु यायाधीशों के हित के लिए नहीं है, बल्कि साक्षरजिन के बचाव के लिए है। इसी साक्षरजिन के उद्देश्य पर आधारित सभी आधुनिक मंत्रिघाना में यायाधीशों को बाह्य प्रभावों से मुक्त रखा गया है और यह अपन-याय सम्बन्धी बातों के पालन करने में बाधुक्त भां करत या कहत हैं, उनमें नियत उक्त किया प्रकार में उत्तरदायी नहीं ठा राया जा सकता है। भारत के संविधान (Constitution of India) में भी यायाधीशों को इस प्रकार का उम्तिया द रयी हैं। तबिन यदि काश् यायाधीश जात्रुम् कर अपन अधिकार (Jurisdiction) से बाहर कार्य करता है और अगर परिणामस्वरूप किमा व्यक्ति का क्षति पहुँचता है तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को यायाधीश के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा चानन का अधिकार है।

पक्ष (Arbitrator) तथा जूरी (Jury man) भी यायाधीशों की श्रेणी में आते हैं। इन कानून उनका भी यायाधीशों के समान मानता है और जो उम्तिया यायाधीशों का प्राप्त है, वे उनको भी प्राप्त है।

प्रश्न २१ — द्शरीय कृत्य क्षतिक्षय कानून के अंतगत नहीं तब कानूनी मक्षर प्रस्तुत करते हैं ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उ०—द्शरीय कृत्य — ईशरीय कृत्यां न तात्तय एषा प्राकृतिक घटनाओं से है जो अप्रत्याशित रूप से घटित होता है और जिसे मनुष्य गतक ता धरतन पर भी पहन न रहा जात सकता। उदाहरणार्थ, 'ब' की फवट्टा में एक जनागय है जिसमें एक सवापय भरा रहता है। सवानक तज बपा और नृपान स जलानय के बिनार हू जाने हैं जिनके परिणामस्वरूप 'त' के मक्षर म पानी भर जाता है और उसका क्षति पहुँचती है। ऐसी परिस्थिति में 'ब' 'त' को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 'त' का क्षति द्शरीय कृत्य से पहुँचा। मनुष्य प्रकृति की साधारण घटनाओं का रक्षण के लिए उत्तकता करत सकता है, तबिन उसकी उत्तकता से साधारण घटनाओं के रक्षण की मागा नहीं की जा सकती। कानून का यह एक

सामान्य नियम है कि जबकि कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर किसी कर्तव्य को पालन करने का दायित्व है और वह व्यक्ति सततता बरतते हुए भी किसी ईश्वरीय कारणवश उस कर्तव्य का पालन करने में समय नहीं हो पाता तो कानून उसको क्षमा कर देगा।

प्र० २२—व्यक्तिगत स्वरक्षा (Private Defence) की परिभाषा देते हुए उसके औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।

उ०—व्यक्तिगत स्वरक्षा — अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब कि व्यक्ति को अपने अथवा अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति की जान या माल के बचाव या सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय की शरण लेना सम्भव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में कानून ने व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वरक्षा का अधिकार दिया है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए व्यक्ति को केवल उतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना कि नितांत आवश्यक हो। यह बात कि कितना बल प्रयोग किया जाना चाहिए परिस्थिति विशेष पर निर्भर है और इसी कारण उसकी माप निर्धारित करना सम्भव नहीं है। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि व्यक्तिगत स्वरक्षा में बल प्रयोग की आवश्यकता को मादित करने का उत्तरदायित्व बल प्रयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर है। जिस समय व्यक्तिगत स्वरक्षा में बल प्रयोग किया जा रहा हो, उस समय यदि किसी अन्य व्यक्ति को, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस द्वन्द्व में भाग नहीं ले रहा हो, किसी प्रकार का आघात पहुँच जाय तो वह आकस्मिक आघात (Accidental harm) माना जाएगा।

लेकिन व्यक्तिगत स्वरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति को ऐसा न्याय करने का अधिकार नहीं है जिससे कि जान बूझ कर अन्य व्यक्ति का हानि पहुँचे। उदाहरणार्थ, यदि किसी असाधारण बाढ़ आने के कारण किसी की भूमि पर बाढ़ का पानी आने वाला हो तो उस भूमि के स्वामी को अधिकार है कि अपनी भूमि का पानी सँभालने के लिए उस पर पहार दिवारी बनवा लें। लेकिन यदि किसी की भूमि पर जल एकत्रित हो गया है तो वह उस जल को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर नहीं फेंक सकता। यह बात भी स्मरणीय है कि जब विपत्ति की परिस्थिति समाप्त हो जाये तो उमक बाँध बल का प्रयोग अनुचित माना जाता है। मोरिस प्रति 'यूजेट का मामला इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी वादी के मकान के पास से आ रहा था। जिस समय वह मकान के निकट पहुँचा, मकान से निकल कर कुछ कुत्तों ने राह चलत वादी पर भूँकना शुरू कर दिया और प्रतिवादी के कुत्तों के ऊपर चढ़ा हुआ चमड़े का पट्टा (Gaiter) भी बाँट

लिया। जब प्रतिवादी न कृत्यों को बन्दूक दिग्वाई तो वे भयभीत होकर भागे, किन्तु प्रतिवादी न गानो चला दो जिसके परिणामस्वरूप बानो का कृत्ता मर गया। इस मामले का निष्पत्ति देत हुए विद्वान "यायाधोग न यह तय किया कि प्रतिवादी को भागते हुए कृत्ते पर गानो चलाने का कोई औचित्य (Justification) नहीं था, क्योंकि उस समय विपत्ति की परिस्थिति समाप्त हो चुकी थी। अतएव प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

प्र० २३ — आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गए कृत्यों के औचित्य पर टिप्पणी लिखिए।

उ०—आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्य—दतिहृत्य कानून में आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्यों का औचित्य एक मन्ता कानूनो बंधाव समझा जाता है। अतएव आवश्यक अथवा सार्वजनिक हित में किये गये कृत्यों द्वारा जो क्षति किसी व्यक्ति को पहुँचती है उसके लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सार्वजनिक हित का उद्देश्य ही ऐसे कृत्यों का औचित्य है। बावत यह है कि समाज के हित के लिए व्यक्ति की सम्पत्ति, स्वतन्त्रता एवं प्राण प्रादि सभी कुछ की आहूति दी जा सकती है। वर्षाकाल में सार्वजनिक हित के लिए ही सरकार गिराऊ मकानों को गिरवा देती है। दूबते हुए जहाज को डूबने से बचाने के लिए अक्सर उसके ऊपर लगा हुआ सामान समुद्र में फेंकना पड़ता है। लकिन यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार के कृत्य तभी किये जा सकते हैं जब कि वह किसी परिस्थिति में नितान्त आवश्यक हों और उनसे किसी सार्वजनिक हित को रक्षा होती हो अथवा होने की सम्भावना हो।

प्रश्न २४ —उन सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए जिनके आधार पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिहृत्यों का दायित्व किसी व्यक्ति पर आता है।

उ०—अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिहृत्यों का दायित्व (Vicarious liability) —दतिहृत्य कानून के अन्तर्गत कभी-कभी एसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं जब कि किसी कृत्य का करन वाता धन कृत्य द्वारा पहुँचाई गई क्षति व लिये उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उस कृत्य के लिए कोई धन्य व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया जाता है। जब किसी कृत्य के लिए उसके कर्ता को उत्तरदायी न ठहरा कर किसी धन्य व्यक्ति पर उसका दायित्व डाला जाता है तो वह धन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिहृत्यों का दायित्व (vicarious liability)

कहलाता है। उदाहरणार्थ जब किसी व्यक्ति का नौकर अपना किसी कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाय तो उस नौकर को उस क्षति का उत्तरदायी न मान कर उसके स्वामी का ही उत्तरदायी माना जाता है। सामण्ड (Salmond) के मतानुसार आधुनिक ऋण प्रणाली में कानून दो प्रकार के कृत्यों में ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। एक तो स्वामी को सेवक के कृत्य के लिये तथा दूसर मृतक व्यक्ति के जीवन काल में किय गये कृत्यों के लिए उसके प्रतिनिधि (Representative) का। क्षतिकृत्य कानून में पहले प्रकार के उत्तरदायित्व का ही अध्ययन किया जाता है और दूसरे प्रकार के उत्तरदायित्व साधारणतया इस कानून के अन्तर्गत नहीं आते।

अपने व्यक्ति द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का दायित्व निम्नलिखित सिद्धांतों पर अवलम्बित है —

(१) कोई व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य करता है तो कानून में वह कृत्य उसी व्यक्ति द्वारा किया गया समझा जाता है। [Qui facit alium facit per se—'He who acts through another is deemed in law as doing it himself'] सेवक के कृत्य के लिए स्वामी का उत्तरदायित्व इसी सिद्धांत पर अवलम्बित है लेकिन यह बात स्मरणीय है कि सेवक द्वारा किया गया कृत्य उसके नियुक्ति काल में किया गया हो।

(२) प्रधान (Principal) अभिकर्ता (Agent) के कृत्यों के लिए उत्तरदायी समझा जाना चाहिये—(Respondeat Superior—'The Superior must be responsible, or let the Principal be liable')। इस सिद्धान्त का मूलधार यह है कि वे सभी कृत्य जो अभिकर्ता द्वारा किये जाते हैं, प्रधान की स्पष्ट (Express) अथवा अभिहित (Implied) सहमति से ही कानूनी तौर पर किये गये समझे जाते हैं और वे वास्तव में प्रधान द्वारा ही किये गये कृत्य हैं।

(३) आधुनिक काल में अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों का औचित्य उपर्युक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त एक अन्य सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। यह सिद्धांत उपयोगिता (Expediency) और सार्वजनिक नीति (Public policy) पर अवलम्बित है। कानून का यह एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक कृत्य का फल अपने कृत्य का स्वयं उत्तरदायी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य कराता है तो उस स्वयं उस अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्य का उत्तरदायित्व लेना चाहिये। सर फ्रेडरिक पोलक (Sir Frederick Pollock) का कहना है कि कोई व्यक्ति अपने नाकरों या अभिकर्तियों के कृत्यों के लिए वेदबद्ध

इसलिए ही उत्तरदायी नहीं है कि उसने उन नौकरों या अभिकर्ताओं का वे कृत्य करने के लिए अधिकार दिया है भ्रमवा ये उसके प्रतिनिधि हैं, प्रत्युत वे कृत्य उसके अपने मामले हैं और वे कृत्य उचित रीति से किए जायें, यह देखना उसका कर्तव्य है।

प्रश्न २५ — किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्यों का दायित्व किन अवस्थाओं में आता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उ०—किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों का दायित्व निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में आता है —

(१) पुष्टीकरण (Ratification) — जब कोई व्यक्ति कोई कृत्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है और वह दूसरा व्यक्ति उसके कृत्य का पुष्टीकरण कर देता है तो उस पुष्टीकरण के बाद वह कृत्य उसी पुष्टि करने वाले व्यक्ति का समझा जाता है और उसका सारा उत्तरदायित्व उसी पर आ जाता है लेकिन यह बात भी स्मरणीय है कि प्रत्येक पुष्टीकरण की परिस्थिति में पुष्टिकर्ता के ऊपर सारी की सारा जिम्मेदारी आ जाय और कृत्य करने वाला पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाय, ऐसा सदा और हर परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। यह बात भी स्मरणीय है कि गैरकानूनी कृत्यों का पुष्टीकरण नहीं किया जा सकता तथा वह कृत्य जिसका पुष्टीकरण किया गया है, केवल न भ्रमन लिए न किया है।

(२) विशेष सम्बन्ध (Special relationship) — कुछ व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं कि उनके इस परस्पर सम्बन्ध मात्र से ही उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्य का उत्तरदायित्व दूसरे व्यक्ति का भी उत्तरदायित्व समझा जाता है। इस प्रकार के विशेष सम्बन्ध निम्नलिखित हैं —

(घ) स्वामी तथा सेवक (Master and Servant),

(ङ) मालिक तथा स्वतंत्र ठेकेदार (Owner and Independent Contractor)

(च) प्रधान तथा अभिकर्ता (Principal and Agent),

(छ) अभिभावक तथा प्रतिपाल्य (Guardian and Ward),

(ज) कम्पनी तथा उसके निदेशक (Company and its Directors),

(झ) फर्म तथा उसके साझेदार (Firm and its partners)

(३) सहायता (Abetment) — किसी क्षतिपूर्ण कृत्य का करने वाले व्यक्ति की सहायता करने वाला भा उस कृत्य द्वारा प्रकृत किये गये दायित्व को पूरा करने का उत्तरदायी होता है।

प्रश्न २६ — स्वामी और सेवक के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए सेवक द्वारा किये गये क्षतिवृत्तियों के लिये स्वामी के उत्तर दायित्व की प्रविचन कीजिए ।

उत्तर— स्वामी और सेवक का सम्बन्ध — आस्बन (Osborn) का मत है कि वा व्यक्ति को ब वच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध तब हाता है जबकि स्वामी का यह अधिकार हो कि वह वृत्त्य विशेष करत समय सेवक क ऊपर पूण नियन्त्रण रख सके और उससे अपना इच्छानुसार काम करा सके । क्षतिवृत्त्य कानून क अतगत स्वामी अपने सेवक क वृत्त्य के लिए तभी उत्तरदायी होगा जबकि सेवक ने वह वृत्त्य केवल उसी क्षेत्र म तथा उसी सीमा तक किया हो जिसक लिए वह सवा मे रखा गया है । यदि स्वामी न किसी मय व्यक्ति को अपना सेवक काम करने क लिए दिया हो तो उस सेवक के वृत्तियों का उत्तरदायित्व उसके स्वामी पर न होगा, क्योंकि सेवक का वृत्त्य न ता उसके निर्देशानुसार हुआ और न ऐसी परिस्थिति मे उसका सेवक के ऊपर कोई नियन्त्रण था ।

स्वामी और सेवक का सम्बन्ध कानून मे बहुत ही घनिष्ठ माना जाता है । एक प्रसिद्ध मामले मे यह सिद्धात प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई स्वामी अपने सेवक को कोई काम करने का आदेश दे जिसम कि साधारण सावधानी या सतकता बरतन की आवश्यकता है और सेवक के सावधानी बरतन पर भी किसी व्यक्ति को क्षति पहुँच जाय तो एसी दंगा म भी उत्तरदायित्व स्वामी का हागा । [ग्रेगरी प्रति पाइपर (१८२६), ६ बी० एण्ड सी० १६१] यदि सेवक स्वामी द्वारा आदेशित वृत्त्य करने मे पूण रूप स सतक न भी हो तो भी उत्तरदायित्व स्वामी का ही होगा । [जोस प्रति हाट, (१६६८) २ साल्० ४४०, फिलीटर प्रति फियड, (१८४७), ११ ब्यू० बी० ३४७] स्मरण रहे कि यदि सेवक ने स्वामी का आदेश पालन करने म थोडा-बहुत हर फर किया है तो भी उत्तरदायित्व स्वामी का होगा, किन्तु यदि सेवक ने आदेशों का पालन करने में बहुत बडा हर फेर कर दिया है तो उसका उत्तरदायित्व स्वामी पर न होगा । [विलियम्स प्रति जोस, (१८६५), ३ एच० एण्ड सी० ६०२]

सेवक के वृत्त्य के लिए स्वामी को उत्तरदायी ठहराने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि सेवक ने स्वामी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित वृत्त्य या उससे मिलता जुलता वृत्त्य ही किया है और वह वृत्त्य उसन सवा करते समय किया है [नलनो रजन सेन गुप्ता प्रति कलकत्ता निगम, आई० एल० मार० ५८, कलकत्ता, ६८३]

किसी कृत्य को सेवा के समय किया गया निम्नलिखित परिस्थितियों में समझा जाता है —

(क) जबकि स्वामी ने कृत्य किय जाने के लिए सेवक को अधिवृत्त किया हो,

(ख) जबकि किसी अनधिकृत कृत्य (Unauthorised act) को सेवक ने सेवा करते समय किया हो।

यदि किसी व्यक्ति को अपने अधीन किसी कानून के अन्तगत किसी विशेष व्यक्ति को अनिवायत नौकर रखना पड़ता है तो इस प्रकार रखे हुए नौकर के कृत्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं समझा जायगा। इसका प्रतिरिक्त जब स्वामी और सेवक के बीच विभागाध्यक्ष (Head of the Department) तथा अधीन कर्मचारी (Subordinate servant) का सम्बन्ध हो तो स्वामी अपने एले सेवक द्वारा किये गये क्षतिवृत्तियों का उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरणार्थ, पोस्ट मास्टर जनरल (Post master General) अपने अधीनस्थ किसी डाकिए (Post man) द्वारा किये गये क्षतिवृत्त का जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न २७—एक रेलवे कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को मनाही कर दी थी कि वे अपनी व्यक्तिगत कारों को अन्य व्यक्तियों की जोखिम का धोमा कराये बिना कम्पनी के सेवा कार्यों में प्रयोग न करें। एक दिन कम्पनी का एक कर्मचारी अपनी बिना धोमा कराई कार से कम्पनी के किसी सेवा कार्य में जा रहा था। उसकी असावधानी से उसकी कार से एक बच्चे को चोट पहुँच गई।

उपर्युक्त परिस्थितियों में बच्चे की क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे कम्पनी और उसके उक्त कर्मचारी के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर—समस्या —यह समस्या प्रिवी काउंसिल के एक प्रसिद्ध मामले पर आधारित है। इस मामले में यह तय हुआ है कि यदि सेवक सेवा के समय अपने क्षतिवृत्त से किसी को क्षति पहुँचाता है तो स्वामी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। [बनाडियन पब्लिशिंग रेलवे कम्पनी प्रति लियोनार्ड लॉक हाट, १९४३ ए० एल० २७७]। प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि क्षतिवर्ती कर्मचारी कम्पनी के सेवा कार्य में जा रहा था और कम्पनी ने व्यक्तिगत कार को अपने सेवा कार्य में प्रयोग करने के लिए उस अधिवृत्त भाँकिया था। अतएव कर्मचारी के द्वारा किया गया क्षतिवृत्त उसके सेवा के समय में ही अधिवृत्त रूप से किया गया समझा जायगा जिसके लिए रेलवे कम्पनी कानूनी रूप से बच्चे की क्षतिपूर्ति के प्रति जिम्मेदार है।

प्रश्न २८—प्रतिवादी एक अस्तवल के स्वामी से दो घोड़े और एक कोचवान किराये पर लेकर अपनी गाड़ी में सरे को जाया करता था। वह कोचवान और घोड़ों के किराये में प्रति सप्ताह निर्धारित रकम अदा करता था। एक दिन कोचवान की असावधानी से घोड़े निदक गये जिमके परिणामस्वरूप वादी को चोट पहुची।

क्या उपर्युक्त परिस्थितियों में वादी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार है ?

उत्तर—समस्या —प्रस्तुत समस्या में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या कोचवान प्रतिवादी का नौकरी में था ? इस प्रश्न का उत्तर दते हुए एक प्रसिद्ध मामल में जिमकी घटनाएँ प्रस्तुत मामले की घटनाओं में मिलती-जुलती हैं, यह निष्पत्ति ली गयी कि कोचवान प्रतिवादी की नौकरी में नहीं था, भले ही वह कोचवान को अपने इच्छित स्थानों की घोर घाटों को चलाने का निर्देश दे सकता था पर घोड़ों को चलाने की किसी विशेष शक्ति का सम्बन्ध वह कोई निर्देश नहीं दे सकता था। [वचरमैन प्रति बनेट, ६ एम० एण्ड डब्ल्यू० ४८६] अतएव उपर्युक्त परिस्थितियों में वादी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न २९—'क' अपने मित्र 'ख' को जो उसके साथ कार में बैठा था, कार चलाने की अनुमति दे देता है। 'ख' जिस समय कार चला रहा होता है वह सिग्रेट जलाता है और जलती हुई तीली बाहर फेंक देता है जो करीब की एक झोपड़ी पर गिरती है और जिसके परिणामस्वरूप उस झोपड़ी में आग लग जाती है।

क्या 'क' झोपड़ी के मालिक की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है ?

उत्तर—समस्या —प्रस्तुत मामले में दो प्रश्न उठते हैं—क्या 'ख' 'क' का नौकर की हैसियत में कार चलाना है ? (२) क्या 'ख' न क्षतिदृश्य मवा के समय में किया है ? पहले प्रश्न के उत्तर के लिए यह बात विचारणीय है कि यदि 'क' 'ख' को दृश्य पर नियंत्रण रखता है तो उनके बीच स्वामी और सवक का सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। मान लीजिए कि 'क' का अपने मित्र 'ख' में उक्त स्थिति में स्वामी और सवक का सम्बन्ध स्थापित भा हो जाय तो भा दूसरा प्रश्न कि 'ख' का क्षतिदृश्य उसके सेवा-काय व सेवा-जाल के अन्तर्गत आता है या नहीं, विचारणीय रह जाता है। प्रस्तुत मामले में 'ख' का सिग्रेट जलाना और जलती हुई तीली फेंकना उसका

सेवा-काय कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह कृत्य स्वयं 'ख' ने अपने स्वार्थ में किया है। अतएव 'ब' भोसडी के मालिक की क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न ३० — (अ) मालिक और स्वतन्त्र ठेकेदार (Owner and Independent Contractor) के आपसी सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें मालिक स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा किये गये क्षतिकृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है।

(ब) एक कम्पनी ने जिसे किसी सड़क पर ग्राइयाँ सुदवाने का अधिकार नहीं था, उस सड़क पर ग्राइयाँ सुदवाने के लिए एक ठेकेदार को ठेका लिया। ठेकेदार के नौकरों ने ग्राइयाँ गोल कर मलबा वहीं सड़क पर छोड़ दिया। एक व्यक्ति उस मलबे से टररा कर गिर पड़ा जिससे परिणामस्वरूप उसको चोट पहुँची।

क्या कम्पनी क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ?

उत्तर — (अ) मालिक और स्वतन्त्र ठेकेदार — कानून का यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य द्वारा पहुँची क्षति का उत्तरदायी नहीं हो सकता जब तक कि वह कृत्य या तो उसकी पूर्वानुमति से न किया गया हो या बाद में उसने उस कृत्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुष्टीकरण प्रथवा समर्थन न किया हो। यह नियम सामान्यतः स्वामी और सेवक के मामलों में लागू होता है। लेकिन स्वतन्त्र ठेकेदार को सेवक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। स्वतन्त्र ठेकेदार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी काम को करने का ठेका दिया जाय और उसके काय पर मालिक का किसी प्रकार का भी नियंत्रण न हो। धाम तौर पर जब किसी स्वतन्त्र ठेकेदार को काम पर लगाया जाता है और वह वा उसका कोई सेवक काम करने में कोई ऐसा काय करता है जिससे किसी तीसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचती है तो वह व्यक्ति जिनमें कि स्वतन्त्र ठेकेदार को काम का ठेका दिया है क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी नहीं होता है, पर इस सामान्य नियम के निम्न-लिखित अपवाद हैं जिनमें मालिक स्वतन्त्र ठेकेदार या उसके सेवक के क्षतिकृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है —

(१) यदि किसी व्यक्ति ने किसी काम के करने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया है किन्तु ठेकेदार के काय पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ वह उसको निर्देश भी देता है और व्यक्तिगत रूप से उससे काय में भाग लेता है।

(२) यदि ठेकेदार को जिस काम के करने का ठेका दिया गया है वह काम स्वतः ही क्षतिपूर्ण है।

(३) यदि किसी मालिक पर कोई कानूनी कर्तव्य पालन करने का दायित्व है तो ऐसे कर्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति पर डाल कर अपने दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता ।

(४) यदि किसी काय का स्वरूप या प्रकृति ही ऐसी है कि उसके करने में दूसरों को क्षति पहुँचाने की सम्भावना है तो ऐसे काय के लिए यह आवश्यक है कि ठेकेदार का काय करते समय मालिक हर सम्भव सतकता बरते । ऐसा काय मद्यपि स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किया गया हो पर उत्तरदायित्व मालिक पर होगा ।

(५) श्रमिक प्रतिकर अधिनियम (Workmen s Compensation Act) के अन्तर्गत की हुई व्यवस्था के अनुसार ।

स्मरण रहे कि यदि ठेकेदार अपना कोई उप ठेकेदार (Sub Contractor) नियुक्त करता है तो प्रधान ठेकेदार (Principal Contractor) ही उप ठेकेदार के कृत्यों द्वारा की गई क्षति का उत्तरदायी माना जायगा ।

(२) समस्या — प्रस्तुत समस्या की घटनाएँ एलिस प्रति शीफोल्ड गैस कंज्यूमस कम्पनी (२३ एल० जे० क्यू० बी० ४२) की घटनाओं से मिलती जुलती हैं । इस मामले में यह तथ्य दृष्टा है कि क्योंकि कम्पनी को उस सड़क पर खाइयाँ खुदवाने का अधिकार नहीं था इसलिए कम्पनी का उस सड़क पर खाइयाँ खुलवाने का ठेका देना ही एक अवघ काय था । अतएव कम्पनी क्षतिप्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ।

प्रश्न ३१ — (अ) सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त (The Doctrine of Common Employment) की व्याख्या कीजिए ।

(ब) एक व्यक्ति ने जिसे एक बुत्ते की रखवाली के लिए नौकर रखा गया था, अपने स्वामी की एक अन्य सेविका के साथ परिहास करने के निमित्त उसके ऊपर बुत्ते को ढीला छोड़ दिया । बुत्ते ने उस सेविका को काट लिया । क्या ऐसी परिस्थिति में सेविका स्वामी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है ?

उत्तर— (अ) सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त (The Doctrine of Common Employment) — इंग्लैण्ड के सब साधारण कानून के अनुसार यदि किसी स्वामी के एक से अधिक सेवक होने हैं और कोई एक सेवक दूसरों सेवकों को अपनी प्रसावधानी द्वारा क्षति पहुँचाना है तो ऐसी क्षति के लिए स्वामी उत्तरदायी नहीं माना जाता है । तबिन यह नियम कानून सुधार (धारीक क्षति) अधिनियम, १९४८ [The Law Reforms (Personal Injuries) Act, १९४८]

द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस नियम को रद्द करने का कारण यह है कि सेवा-काल में सभी प्रकार की क्षति प्राप्त करने पर सेवक को स्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे इस प्रकार की क्षति सह सेवक (Fellow servant) की असावधानी से हुई हो या क्षतिप्राप्त व्यक्ति की अपनी स्वयं की असावधानी के कारण हुई हो। सह सेवक द्वारा पहुँचाई क्षति के लिए स्वामी से क्षतिपूर्ति पाने का मुकदमा चलाने के लिए क्षतिप्राप्त सेवक को निम्नलिखित बातें पूरी करना आवश्यक है —

(१) जिस सेवक को क्षति पहुँची हो और जिस सेवक द्वारा क्षति पहुँचाई गई हो, उन दोनों को सह सेवक होना अनिवार्य है, अर्थात् दोनों एक ही स्वामी के सेवक हों, तथा

(२) दुर्घटना के समय दोनों सामूहिक रूप से एक साथ काम कर रहे हों।

सह-सेवक के अंतर्गत एक स्वामी के ऐसे दो सेवक भी आते हैं जिनमें एक प्रवर (Superior) तथा दूसरा उसका अधीन (Subordinate) है।

उपरोक्त वाज़ूत सुधार (शारीरिक क्षति) अधिनियम, १९४८ के अंतर्गत ऐसे सविदा (Contract) भी निष्प्रभाव (Void) माने जाते हैं जिनमें कि स्वामी अपने सेवकों से इस प्रकार का समझौता करे कि वह सह-सेवक द्वारा पहुँचाई गई क्षति का उत्तरदायी नहीं होगा।

सामूहिक नौकरी का जो सिद्धान्त इंग्लैंड में प्रचलित है, उस भारत में लागू करने में भारतीय न्यायालयों में मतभेद है। बम्बई और नागपुर उच्च न्यायालयों की राय में सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त भारत में लागू नहीं होता है। लेकिन इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की राय में सामूहिक नौकरी का सिद्धान्त भारत में लागू होता है।

(घ) समस्या — प्रस्तुत समस्या की घटनाएँ बकर प्रति स्नल [(१९०८) २ के० बी० ३५२] की घटनाओं से मिलती जुलती हैं। इस मामले का नियम इस सिद्धान्त के आधार पर हुआ है कि किसी सतरनाक जानवर का रखवाला जो उस जानवर को सतरनाक जानता है, अपनी जिम्मेदारी पर रख सकता है और यदि उसके किसी को कोई क्षति पहुँचती है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। इस मामले में सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त की दलील नहीं दी गई थी। सामूहिक नौकरी के सिद्धान्त के अंतर्गत स्वामी सेविका की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दुर्घटना सह-सेवक की असावधानी के कारण हुई।

प्रश्न ३२ —स्वामी का सेवक के प्रति क्या उत्तरदायित्व है ?
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर—स्वामी का उत्तरदायित्व सेवक के प्रति —थमिक प्रतिकर अधिनियम, १९२५ एन १९४६ [The Workmen's Compensation Act, 1925 & 1946] के अन्तर्गत प्रत्येक स्वामी का अपने सेवक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ता है यदि उसका काम करते समय किसी दुर्घटनावाला काम करने व अयोग्य हो जाय । इस अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि यदि किसी व्यक्ति को सेवा करते समय मृत्यु या जख्म या अंग अंगना (Dependents) को मृतक सेवक व स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति देनी होगी ।

स्मरण रहे कि अतिसात शक्ति की क्षतिपूर्ति उमो अवस्था में दी जायेगी जबकि यह यो सिद्ध करे कि—

- (१) उमका दुर्घटना द्वारा शारीरिक क्षति पट्टी है,
- (२) दुर्घटना सेवक करते समय हुई है
- (३) दुर्घटना द्वारा शारीरिक क्षति का कारण वह तीन अथवा अधिक कारणों के लिए अपना गोविन्दानुगत करने के अयोग्य हो गया हो, तथा
- (४) शारीरिक क्षति सेवा सम्बंध के कारण हुई है ।

यह बात विशेष रूप से स्मरणाय है कि यदि सेवक की शारीरिक क्षति सेवक के कर्तव्य से होने भी सम्भव है तो वह शारीरिक क्षति सेवा के कारण हुई समझी जाना चाहिए । इस विषय में निम्नलिखित प्रति रण एव वन [(१९१०) २ व० बी० ६०६] का मुकदमा उल्लेखनीय है । एक बार एक मजदूर को जिनका काम यह था कि वह बहुत सा धन बीजन की खान के मजदूरों के वाटन के लिए ले जाय, रास्ते में मार गाना गया । इस पर मजदूरों के परिवार के आश्रितों ने उस मृतक सेवक के स्वामी पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया । इस मुकदमे में यह निलय दिया गया कि मजदूरों को शारीरिक क्षति सेवा करने समय पट्टी है ।

अन्डरहिल (Underhill) के मतानुसार यदि सेवक दुर्घटनावाला काम करने के लिए अस्वास्थ्य अयोग्य हो गया है और यह सिद्ध हो जाय कि दुर्घटना का कारण सेवक का जान बूझ कर दुराचरण (Willful misconduct) है तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा । लेकिन यदि जान बूझ कर किया गया दुराचरण के कारण सेवक को सेवा करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाय तो स्वामी को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी ।

प्रश्न ३३ —सयुक्त क्षतिकर्ता की परिभाषा देते हुए उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनमें सयुक्त दायित्व का उदय होता है।

उत्तर —सयुक्त क्षतिकर्ता (Joint Tortfeasors) —जब एक स अधिक व्यक्ति मिलकर कोई क्षतिग्रहण करते हैं तो वह सयुक्त क्षतिकर्ता (Joint Tortfeasors) कहलाते हैं। सयुक्त क्षतिकर्ता सयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति देने के उत्तरदायी हैं। क्षतिप्राप्त व्यक्ति का अधिकार है कि वह मर क्षति-प्राप्ता पर मुकदमा चलाकर उनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करे या उनमें से किसी एक पर मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति को पूरा धनराशि वसूल करे। यदि क्षतिप्राप्त व्यक्ति ने मर क्षतिकर्ताप्राप्त पर एक साथ मुकदमा चलाया है और डिमा प्राप्त कर ली है तो वह किसी का निर्वाण किसी एक क्षतिकर्ता के विरुद्ध जारी कराकर पूरा धनराशि उभय से वसूल कर सकता है —

सयुक्त दायित्व उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ —ये परिस्थितियाँ जिनमें कि सयुक्त दायित्व का उदय होता है, निम्नलिखित हैं —

(१) एजेंसी (Agency) —प्रधान और एजेंट दोनों ही एजेंट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

(२) सयुक्त कृत्य (Joint actions) —जब एक स अधिक व्यक्ति मिलकर किसी क्षतिपूर्ण कृत्य का करते हैं तो वे सभी क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी होते हैं।

(३) अन्य व्यक्तियों के कृत्य का उत्तरदायित्व (Vicarious Liability) —जब कर्मचारी व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ण कृत्य करता है जिसे उत्तरदायित्व प्रायः व्यक्ति पर होता है तब वह परिस्थिति में क्षतिपूर्ण कृत्य का करने वाला तथा प्रायः व्यक्ति दोनों ही उत्तरदायी ठहराए जाते हैं और दोनों ही सयुक्त क्षतिकर्ता की भाँटि मर सकते हैं।

प्रश्न ३४ —(अ) सयुक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति का परस्पर विभाजन किस प्रकार किया जाता है? सक्षिप्त विवेचना कीजिए।

(य) 'क' और 'ख' के किसी क्षतिपूर्ण कृत्य से 'ग' के कारखाने को क्षति पहुँचती है और वह 'क' और 'ख' के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाकर ₹१००० रु० की क्षति प्राप्त कर लेता है। लेकिन वह किसी का रूपया केवल 'क' से वसूल करता है। क्या 'क' 'ख' से क्षतिपूर्ति के परस्पर विभाजन का अधिकारी है?

उत्तर (अ) सतिपूर्ति की घनराशि का समुक्त सतिकर्ताओं के बीच विभाजन —इंग्लंड के सर्वसाधारण कानून (Common Law) का यह नियम था कि यदि समुक्त सतिकर्ताओं में से किसी एक से सतिपूर्ति की पूरी घनराशि वसूल कर ली गई हो तो वह व्यक्ति अपने श्रम साथी सतिकर्ताओं से उस घनराशि का कोई भी भाग वसूल नहीं कर सकता था। लेकिन यह नियम अब कानून सुधार अधिनियम, १९३५ (Law Reforms Act, 1935) के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब यह प्राविधान है कि यदि समुक्त सतिकर्ताओं में से किसी एक को अपने ही सतिपूर्ति की सारी घनराशि देनी पड़ी तो वह श्रम समुक्त सतिकर्ताओं से इस घनराशि का उचित अनुपात वसूल कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि एक सतिपूर्ण श्रम के करन वान तीन समुक्त सतिकर्ता हैं और 'यायालय ने उन पर ३०० रु० की डिक्री कर दी है तो जिस व्यक्ति ने डिक्री की सारी घनराशि दी है, उसको अधिकार है कि वह श्रम दो व्यक्तियों से घनराशि का उचित अनुपात, यथा २०० रु० वसूल कर ल।

(ब) समस्या —समुक्त सतिकर्ताओं में सतिपूर्ति की घनराशि के परस्पर विभाजन का नियम यह है कि यदि समुक्त सतिकर्ताओं में म किसी एक को पहले ही सतिपूर्ति की सारी घनराशि देनी पड़े तो वह श्रम समुक्त सतिकर्ताओं से उस घनराशि का उचित अनुपात वसूल कर सकता है। प्रस्तुत मामले में सतिपूर्ति की सारी घनराशि पहले 'क' से वसूल कर ली गई है। अतएव वह 'ख' से सतिपूर्ति के परस्पर विभाजन का अधिकारी है।

प्रश्न ३५ —(अ) समुक्त सतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति (Nature) पर साक्ष्य टिप्पणी लिखिए।
 (ब) सतिपूर्ति के एक मुकदमे में वादी ने समुक्त सतिकर्ताओं में से कुछ को प्रतिवादी नहीं बनाया। क्या वादी उन समुक्त सतिकर्ताओं से जिन्हें उसने प्रतिवादी बनाया है, सतिपूर्ति की सारी घनराशि वसूल करने का अधिकारी है? क्या यदि वादी किसी एक समुक्त सतिकर्ता से समझौता कर ले तो वह अन्य समुक्त सतिकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही चालू रखने का अधिकारी नहीं रहेगा?

उत्तर—(अ) समुक्त सतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति —मादवाला के मतानुसार समुक्त सतिकर्ताओं द्वारा अर्जित किये गये दायित्व की प्रकृति पर कानून सुधार (विवाहित स्त्री एवं सतिकर्ता) अधिनियम, १९३५ [The Law Reforms (Married Women and Tortfeasors)

Act, 1935] का विनियम प्रभाव पडा है। इस अधिनियम ने अथवा यह निश्चिन कर दिया है कि एक सम्युक्त क्षतिकर्ता के विरुद्ध निणय प्राप्त करने के बाद दूसरे सम्युक्त क्षतिकर्ताओं पर क्षतिपूति वसूल करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है।

(घ) समस्या — सम्युक्त क्षतिकर्ताओं द्वारा अजित किया गया दायित्व सम्युक्त एवं व्यक्तिगत दोनों है, अर्थात् सम्युक्त क्षतिकर्ता सम्युक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूति देने का उत्तरदायी हैं। अतएव वादो न यदि क्षतिपूति के मुकदमे में कुछ सम्युक्त क्षतिकर्ताओं को प्रतिवादी नहीं बनाया है तो जिनका उसने प्रतिवादी बनाया है उनसे भी वह क्षतिपूति की सारा धनराशि वसूल करने का अधिकार है।

समझौते का प्रभाव उसकी शर्तों पर अवलम्बित है। सम्युक्त क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध दावे का कारण एक ही होता है। अतएव किसी एक सम्युक्त क्षतिकर्ता से समझौता कर लेने का प्रभाव दूसरे क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध दावे के कारण पर पडता है। एक प्रमुख मामले में यह तय हुआ है कि यदि वा ० विमा एक सम्युक्त क्षतिकर्ता से समझौता कर ले और इस प्रकार उसे दायित्व से मुक्त कर दे किंतु उसका द्वारा दूसरे सम्युक्त क्षतिकर्ताओं को उनके दायित्व से मुक्त करने का न रहा हो तो वह उसी अनुपात से दूसरे सम्युक्त क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध क्षतिपूति की जामवाही चालू रखने का अधिकारी रहेगा। [रामरत्न कपाली प्रति अश्विना कुमार दत्त, आई० एन० नं० ३७ कलकत्ता, ५५६]

क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण और उनके प्रति उपाय

CLASSIFICATION OF TORTS AND REMEDIES

प्रश्न ३६—क्या क्षतिकृत्यों का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण हो सकता है? क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण दीजिये।

उत्तर — क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण (Classification of Torts) इसमें सम्भव नहीं कि कुछ धर्म के क्षतिकृत्यों को नाम दिया जाना सम्भव है, जैसे मान हानि, बाधा (Nuisance), अपमानकारी लेख इत्यादि। परन्तु विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के क्षतिकृत्यों का नाम दिया जाना सम्भव नहीं है। अतएव यह धारणा गलत नहीं है कि क्षतिकृत्यों का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं हो सकता। फिर भी सुविधा के लिए क्षतिकृत्यों की तालिका तैयार की जा सकती है जो निम्नलिखित है —

१ शरीर के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to Person)

(अ) मृत्यु (Death)

(आ) मानसिक एवं स्नायुविक आघात (Mental and nervous shock),

(इ) धाकपण (Assault),

(ए) सप्रहार (Battery),

(क) धर्म भंग (Mayhem),

(ख) मिथ्या ज़ारवात (False Imprisonment)

२ प्रतिष्ठा के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to Reputation)

माहानि (Defamation) जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिकृत्य हैं

(क) अपमानकारी लेख (Libel)

(ख) अपमानकारी वचन (Slander)

३ पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts relating to Domestic relations)

(अ) मातृ पितृ सम्बन्धी अधिकार के प्रति (Torts relating to parental rights),

(ब) दाम्पत्य अधिकार के प्रति (Torts relating to marital rights),

(स) स्वामी के अधिकार के प्रति (Torts relating to master's rights) ।

४ सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to property)

(म) घनधिकार प्रवेश (Trespass),

ब) निष्कासन (Dispossession),

(स) परिवर्तन (Conversion)

५ शरीर एवं सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Wrongs to person and property),

(अ) छल (deceit),

(ब) असावधानी (Negligence),

(स) बाधा (Nuisance),

(द) षडयंत्र (Conspiracy),

(ब) द्रव्यपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution),

६ सखदा पर आधारित क्षतिकृत्य (Torts founded on contract),

७ व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य (Torts relating to business)

८ विविध (Miscellaneous)

प्रश्न ३७—न्यायिक (Judicial) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra Judicial) उपायों से आप क्या समझते हैं ? क्षतिकृत्यों के प्रति विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए ।

उत्तर—न्यायिक (Judicial) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra-Judicial) उपाय —क्षति कृत्या के प्रति हमको दो प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं । ये दो प्रकार के उपाय न्यायिक (Judicial) और अतिरिक्त न्यायिक (Extra judicial) उपाय के तहत हैं । न्यायिक उपाय वे हैं जो न्याय प्रणाली द्वारा हमें प्राप्त होते हैं । अतिरिक्त न्यायिक उपाय वे हैं जिनमें कि क्षति प्राप्त व्यक्ति क्षतिकृत्य के बचाव के लिए न्याय का भयन हाथ में लेता है । हम देखते हैं कि एनी बहुत सा परिस्थितियों में हैं जिनमें व्यक्ति को तुरन्त न्यायिक उपाय उपलब्ध नहीं हान । एनी परिस्थितियों में कानून व्यक्ति का अतिरिक्त न्यायिक उपाय द्वारा भयन कानूनी अधिकारों का बचाव करने का दृष्ट दता है । उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति धारक ऊपर प्राप्त धारोक्त क्षति पहुँचाव के लिए प्राप्त करने के लिए धारक भयना स्वरक्षा के लिए अधिकार है कि धारक उपाय तुरन्त एना क्षति पहुँचाव के लिए प्राप्त करने में प्रयत्न हो जाय ।

शक्तिवृत्तियों के प्रति विभिन्न प्रकार के उपाय निम्नलिखित हैं —

न्यायिक उपाय

(१) क्षति पूति (Damages) — यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के शक्तिवृत्त्य द्वारा क्षति पहुँची है तो क्षति प्राप्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह क्षतिकर्ता पर क्षति पूति का मुकदमा चलाकर उससे क्षति पूति प्राप्त कर ले।

(२) न्यायादेश (Injunction) — ग्राम तोर से न्यायादेश क्षति को रोकने के लिये जारी किए जाते हैं, किंतु अन्य परिस्थितिमा भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। न्यायादेश द्वारा न्यायालय किसी शक्तिवृत्त्य की पुनरक्ति (Repetition) या स्थिरता (Continuance) का भी रोक सकता है। कहा जा सकता है कि यदि क्षतिपूति की गई क्षति अथवा हानि की पूति के लिए उपलब्ध उपाय है तो न्यायादेश वर्तमान क्षतिपूर्ण वृत्त्य या भविष्य में होने वाल क्षति पूर्ण वृत्त्य के प्रति उपलब्ध उपाय है। स्मरण रह कि न्यायादेश दो प्रकार के होते हैं एक तो निषेधात्मक (Prohibitory) तथा दूसरे आदेशात्मक (Mandatory)। निषेधात्मक न्यायादेश में किसी क्षतिपूर्ण वृत्त्य के किए जान की मनाही होती है और आदेशात्मक न्यायादेश में प्रतिवादी को कोई विशेष कार्य करने का आदेश होता है। यह बात भी स्मरणीय है कि न्यायादेश चाहे निषेधात्मक हो अथवा आदेशात्मक, दोनों या तो अंतरिम (Interlocutory) होते हैं या स्थायी (Permanent or Perpetual) होते हैं। अंतरिम न्यायादेश का उद्देश्य यह है कि मुकदमे के अन्तिम निणय तक क्षतिकर्ता को क्षतिपूर्ण कार्य करने से रोकना और यदि वह कार्य एक बार किया जा चुका है तो उसकी पुनरक्ति रोक दी जाए। इस प्रकार के न्यायादेश मुकदमे के अन्तिम निणय से पूर्व जारी किए जाते हैं। इसके विपरीत स्थायी न्यायादेश मुकदमे के निणय के उपरान्त ही जारी किए जाते हैं।

(३) सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति (Restitution of property) — यदि किसी व्यक्ति की चल अथवा अचल सम्पत्ति प्रतिवादी ने अनुचित ढंग से हथिया ली है तो वादी को अधिकार है कि वह अपनी सम्पत्ति का वापस ले लें और जितने दिन उसकी सम्पत्ति प्रतिवादी के अनुचित कब्जे में रही है और उसे जा क्षति पहुँची है उसके लिए क्षतिपूति का मुकदमा चलाए। यह न्यायिक उपाय विनिष्ट सम्पत्ति (Specific property) की पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध होता है।

अतिरिक्त न्यायिक उपाय

(१) स्वरक्षा (Self-defence) — परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों का बचाव के लिए स्वरक्षा Self defence का अधिकार प्राप्त है। स्वरक्षा में किया गया क्षतिपूर्ण वृत्त्य शक्तिवृत्त्य नहीं है।

(२) निष्कासन तथा पुनर्प्रवेश (Dispossession and re entry) जिस व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर तुरन्त अधिपत्य (Possession) प्राप्त करने का अधिकार है वह अनधिकृत प्रवेश कर्ता (Trespasser) को सम्पत्ति से निष्कासित (Dispossessed) करके उस पर पुनर्प्रवेश (Re-entry) कर सकता है। लेकिन इस प्रकरण में यह स्मरण रहूँ कि इस प्रकार निष्कासित करने के लिए बसल अपनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि नितान्त आवश्यक है।

(३) पुनर्ग्रहण (Recaption) — यदि कोई व्यक्ति जिसको अपनी सम्पत्ति पर तुरन्त अधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार है उसी सम्पत्ति को अनधिकृत प्रवेशकर्ता के पास देखता है तो उसे अधिकार है कि वह अपनी सम्पत्ति का उस अनधिकृत व्यक्ति से पुनर्ग्रहण करे। लेकिन इस काम में केवल अपनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि नितान्त आवश्यक है तथा जिसमें शान्ति भंग होने की तनिक भी सम्भावना नहीं है।

(४) बाधाओं का अवनियमन (Abatement of nuisance) — इस अतिरिक्त यापिक उपाय के अन्तर्गत व्यक्ति को जिसको भूमि पर बाधा उत्पन्न की गई है इस बाधा को समाप्त करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की भूमि पर वक्ष की छायाएँ लटक रही हों जिनमें उसकी भूमि का क्षति पहुँच रही हो तो उस अधिकार है कि वह पक्षीघातक वृक्ष को छायाएँ अपनी भूमि की बाधा दूर करने के लिये कटवा दे।

(५) अभिहरण (Distress damage feasant) — यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के डार (Cattle) अनधिकृत प्रवेश कर जायें और भूमि पर उनसे हुई घास को क्षति पहुँचावे तो भूमि के स्वामी का अधिकार है कि वह उन डारों का अभिहरण करे और उनको तब तक वापस न करे जब तक कि उन डारों का स्वामी डारों द्वारा की गई क्षति को पूरा न कर दे। यह नियम प्रत्येक अक्षत सम्पत्ति के प्रति लागू होता है।

सामण्ड (Salmond) के मतानुसार अभिहरण भूमि पर अधिपत्य (Possession) रखने वाले का वह बान्धुनी अधिकार है जिसके द्वारा वह अपनी भूमि पर अनधिकृत प्रविष्ट की गई अक्षत सम्पत्ति का अभिहरण कर सकता है और उसे अपने अधिकार में तब तक रोक सकता है जब तक कि अनधिकृत प्रविष्ट की गई सम्पत्ति का स्वामी क्षति पूरा न कर दे। ध्यान रहे कि भूमि के स्वामी को उक्त अक्षत सम्पत्ति के केवल गैर तन भर का अधिकार है और वह उसका विनय नहीं कर सकता।

प्रश्न ३८ — क्षतिपूर्ति (Damage) से क्या तात्पर्य है ? इसकी विभिन्न कोटियों का वर्णन कीजिये ।

उत्तर— क्षतिपूर्ति (Damage) — क्षति वृत्त्य द्वारा की गई क्षति को पूरा करने के लिये दी गई धनराशि को क्षतिपूर्ति कहते हैं । क्षतिपूर्ति क्षतिप्राप्त व्यक्ति को वास्तविक रूप में पहुँची क्षति तक ही सम्मित रही है, बल्कि उसका उद्देश्य क्षतिवर्ती को दण्ड देना भी हाता है । प्रतिवादी अपने क्षतिपूर्ण कृत्य के परिणाम स्वरूप पहुँची क्षति की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी है, भले ही वह क्षति पहुँचाने का इरादा न रखता हो अथवा 'सब कृत्य स क्षति पहुँचेगी, इसका पूर्वज्ञान उम न हो ।

क्षतिपूर्ति की कोटियाँ

क्षतिपूर्ति का साधारणतया चार कोटियों में विभक्त किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं —

(१) साधारण क्षतिपूर्ति (Ordinary damage) — यह क्षतिपूर्ति तब प्रदान की जाती है जब किसी व्यक्ति को वास्तव में क्षति पहुँचती है । इसका वास्तविक क्षतिपूर्ति (Real damage) भी कहते हैं । सामण्ड (Salmond) ने इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि साधारण अथवा वास्तविक क्षतिपूर्ति का उद्देश्य क्षतिप्राप्त व्यक्ति का हर्जाना देकर उसे वास्तव में पहुँची क्षति की क्षतिपूर्ति करना है ।

(२) उदाहरणस्वीय क्षतिपूर्ति (Exemplary damage) — यह क्षतिपूर्ति प्रतिवादी के लिये एक प्रकार से अर्थ दण्ड के रूप में होती है और इसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों के क्षतिपूर्ण कृत्य का करने का प्रवृत्ति पर पड़ता है । सामण्ड (Salmond) के मतानुसार इस प्रकार की क्षतिपूर्ति देने का उद्देश्य वास्तविक क्षति से अधिक की धनराशि को देना है जिससे कि प्रतिवादी को भौतिक (Material) हानि के अनिश्चित किसी प्रकार की मानसिक टेंस घाली लगी हो तो उस क्षति को भी पूरा हो जाय और वह अथदण्ड के रूप में अन्य व्यक्तियों के लिये भी उदाहरण हो जाय । उदाहरणार्थ, प्रतिवादी ने वादी की अविवाहित कन्या को प्रलोभन देकर उससे विवाह कर लिया । इस प्रकार वादी अपनी कन्या को सदाप्रो से वंचित हो गया तथा प्रतिवादी ने इस अनुचित कृत्य से अपमानित भी हुआ । एसी परिस्थिति में वादी को पहुँचे दो-दो अघात को क्षतिपूर्ति के लिये न्यायालय उदाहरणस्वीय क्षतिपूर्ति (Exemplary damage) प्रदान कर सकता है ।

(३) नाममात्र क्षतिपूर्ति (Nominal damage) — इस प्रकार की क्षतिपूर्ति तब प्रदान की जाती है जब कि क्षति का उद्देश्य क्षतिप्राप्त व्यक्ति के

अधिकार को केवल मात्र मान्यता (Recognition) देना होता है। इसमें धनराशि केवल नाममात्र के लिये हा होती है।

(५) तिरस्कारयुक्त क्षतिपूर्ति (Contemptuous damage) —

इस प्रकार की क्षतिपूर्ति एसी परिस्थिति में दी जाती है जहाँ न्यायालय की दृष्टि में घादी को पहुँची क्षति बहुत ही तुच्छ हानी है और वादी को ऐसी तुच्छ क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का मुकदमा तर्हों चलाना चाहिए था। एसी क्षतिपूर्ति साधारणतया मान हानि (Defamation) में सम्बन्धित मुकदमों में प्रदान की जाती है।

ग्रन्थ वर्गीकरण

क्षतिपूर्तियों का वर्गीकरण एक द्वार प्रकार में भा किया जाता है जिम्मे अनुसार क्षतिपूर्तियों का निम्नलिखित बाटियाँ हैं —

(१) सामान्य क्षतिपूर्ति (General damage) —

यह क्षतिपूर्ति एसी परिस्थिति में प्रदान की जाती है जिसमें कि कानून यह अनुमान कर रहा है कि वादी के कानूनी अधिकार का नग्न करने का कारण उसका शत्रु पड़ रहा है। एक मामला में यह बात निरवयव है कि प्राम्पत्य में वादी का क्षति पट्टा है या नहीं। वादी का यह सिद्ध करने का भा घाव-व्यथना नहीं है कि उस प्रान्तवादी के कानून में क्षति हुई है।

(२) विशिष्ट क्षतिपूर्ति (Special damage) —

यह क्षतिपूर्ति एसी परिस्थिति में दी जाती है जिसमें वादी यह सिद्ध कर रहा है कि प्राम्पत्य में उसे क्षति पट्टा है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये वादी को प्राम्पत्य में उल्लंघन हुआ चाहिए।

प्रश्न ३६— क्षति की दूरस्थता (Remoteness of damage) से क्या क्या समझने हैं ? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर— क्षति की दूरस्थता (Remoteness of damage) —

क्षति की दूरस्थता न तो पर एसा क्षति है जो क्षतिपूर्ति कानून के अन्तर्गत परिणाम है। प्राम्पत्य में कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का प्रदान किया जाता है जो कि क्षतिपूर्ति कानून के अन्तर्गत परिणाम स्वरूप हुई है। यदि किसी कारण के अन्तर्गत परिणाम स्वरूप तो वादी का कोई क्षति नहीं पट्टा है किन्तु पर क्षतिपूर्ति में स्वयं उल्लंघन पट्टा है तो एसा परिस्थिति में कानून वादी का प्राम्पत्य में क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान करता। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति की मोटर गाड़ी में दुर्घटना पर की, व्यक्ति मर जाय प्रथम तो क्षति पट्टा उठती है, या क्षति पट्टा उठती है, या क्षति पट्टा उठती है, या क्षति पट्टा उठती है।

से मोटरगाड़ी चलाने का प्रत्यक्ष परिणाम है और वह क्षतिवत्ता व्यक्त उस क्षतिप्राप्त व्यक्ति का क्षतिपूर्ति क नियम जिम्मेदार है। लेकिन यदि उस कुचल हुए व्यक्ति का नौकर मोटरगाड़ी के स्वामी पर इस कारण मुकदमा चलाय कि उस व्यक्ति के मर जाने से उसकी नौकरी समाप्त हो गई तो यह कहा जायगा कि नौकर का क्षति दूरस्थ (Remote) है और इसलिये उस क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है।

यह बात निश्चित करना कि कब क्षति वृत्त्य का प्रत्यक्ष परिणाम है और कब परोक्ष, बहुत ही कठिन कार्य है और इस विषय में कोई निश्चित नियम उहा किया जा सकता। इस बात पर विचार करने के लिये प्रत्येक मामले का परिस्थितियां में यह प्रश्न ध्यान में रखना चाहिये कि वह क्षति प्रतिवादी द्वारा किस गद्य क्षति पूर्ण वृत्त्य का परिणाम है भा भयवा नहीं। रत्नलाल धीरज लाल के मतानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में यह मान लेना चाहिये कि प्रतिवादी के वृत्त्य का परिणाम दूरस्थ है —

(१) जब कि प्रतिवादी के वृत्त्य के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वादी का क्षति न पहुँची हो।

(२) जब कि क्षति विशपकर वादी के अपन वृत्त्य का परिणाम हो।

(३) जब कि क्षतिपूर्ण वृत्त्य किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति (Independent third person) के कर्म का ऐसा परिणाम हो जिसका पूर्व प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी और जिसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता था कि उस अन्य व्यक्ति के वृत्त्य के परिणामस्वरूप वादी के अधिकारण से कर्म प्रकार की क्षति होगी।

स्मरण रहे कि यदि प्रतिवादी एक बार अपन किसी अनुचित वृत्त्य के लिये उत्तरदायी मान लिया गया तो वह उस वृत्त्य द्वारा उत्पन्न सभी प्रत्यक्ष परिणामों का भी उत्तरदायी माना जायगा चाहे साधारण विवेक वाला व्यक्ति उस वृत्त्य द्वारा जनेत परिणाम का पूर्व प्रत्याशा कर सक्ने की क्षमता रखता हो भयवा नहीं, [मिड प्रति एल० एम० डबल्यू० रतन, (१८७०) एल० भार०६ सी० १४]।

क्षति की दूरस्थता के विषय में सिद्धांत का सारांश निम्नलिखित है —

(१) यदि किसी सदस्य को ध्यान में रख कर कोई वृत्त्य किया गया हो तो उस वृत्त्य द्वारा यदि वह क्षति प्राप्त हो गया है तब किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहा जायगा कि वृत्त्य का क्षति पूर्ण परिणाम दूरस्थ है।

(२) यदि कृत्य और उसके परिणाम के बीच किन्हा भ्रम तत्वों ने हस्तक्षेप किया है जिसके कारण हो वह कृत्य क्षतिपूर्ण हो गया है तो एम कृत्य का क्षतिपूर्ण परिणाम उस कृत्य के प्रत्यक्ष परिणाम के अन्तर्गत नहीं माना जायगा।

(३) किसी कृत्य के स्वरूप विहीन परिणाम अक्सर दूरस्थ परिणाम कह जाते हैं।

(४) यदि यह सिद्ध हो जाय कि प्रतिवादी के कृत्य और उसके वाणी के प्रति परिणाम के बीच वादी ने जो हस्तक्षेप किया उसमें अभावधानी का तत्व वर्तमान था तो वादी ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति पान का अधिकार नहीं होगा।

(५) प्रतिवादी के ऐसे कथ्य द्वारा की गई क्षति जिसकी कोई साधारण विषय वाला व्यक्ति पूर्व प्रत्याशा नहीं कर सकता साधारणतः दूरस्थ क्षति कही जायगा।



(२) यह प्रहार या स्पश उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं भाजा क विरुद्ध होना तथा

(३) यह निरयत्न है कि शरीर का स्पर्श धीरे से किया गया था या इस प्रकार उस व्यक्ति का किसी प्रकार का कष्ट हुआ या नहीं।

आक्रमण (Assault) और सप्रहार (Battery) का अन्तर — मानस्य और सप्रहार दो विभिन्न प्रकार के क्षतिपूर्ण कृत्य हैं। आक्रमण में केवल प्रहार की धमकी मात्र दी जाती है, जबकि सप्रहार में शरीर पर प्रहार अथवा उसका स्पश भी किया जाता है। रत्नान धोरन लाल के मतानुसार आक्रमण में शरीर का वास्तव में स्पर्श किया जाता आवश्यक नहीं है कि तु सप्रहार में ऐसा होना अनिवार्य है। यद्यपि दोनों क्षतिपूर्ण कृत्यों में गति (Motion) आवश्यक है परंतु जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति क विरुद्ध बल का अनधिकृत प्रयोग किया जाता है और ऐसे प्रयोग में उस दूसरे व्यक्ति के शरीर का स्पर्श हो जाता है तो वह कृत्य जो बिना स्पर्श के आक्रमण होता, सप्रहार क अंतर्गत आ जाता है।

प्रश्न ४२ — आक्रमण और सप्रहार किन परिस्थितियों में अभि योज्य (Actionable) नहीं हैं ? विवेचना कीजिये।

उत्तर — आक्रमण और सप्रहार का अधीचिदय — आक्रमण और सप्रहार क क्षतिपूर्ण कृत्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोज्य नहीं हैं।

(१) स्वरक्षा (Self defence) — यदि किसी व्यक्ति ने आक्रमण या सप्रहार अपनी स्वरक्षा क लिए किया है तो वह उनका दायित्व से मुक्त समझा जाता है। लेकिन स्वरक्षा क अधिकार का सिद्ध कराने को जिम्मेवारी हमेशा प्रतिवादी पर होती है।

(२) सम्पत्ति की सुरक्षा (Defence of Property) — सम्पत्ति की सुरक्षा में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य समझा जाता है। लेकिन सुरक्षा क नियम कृत्य करते समय केवल उतना ही बल प्रयुक्त होना चाहिये जितना कि उस परिस्थिति में नितात मान्यक हो। [हेलिंग प्रति घात, (१८५३) ४ ६० ५३१]

(३) सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण (Retaking of Property) — किसी सम्पत्ति क स्वामी अथवा उसके अधिकृत सबक को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति से जितने कि उनकी सम्पत्ति को गैरकानूनी ढंग से हथिया लिया हो वापस ले ले। एन मामल में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य है। [०३०३ प्रति हिंस्र, (१८६१) १० सा० बो० १०१]

(२) यदि कृत्य और उसके परिणाम क बीच किन्हा अन्तर न हस्तगत किया है जिसके कारण हो वह कृत्य क्षतिपूर्ण हो गया है तो एसे कृत्य का क्षतिपूर्ण परिणाम उस कृत्य के प्रत्यक्ष परिणाम क अन्तगत नहीं माना जायगा।

(३) किसी कृत्य के रुक्लप बिहीन परिणाम अवसर दूरस्थ परिणाम कह जात हैं।

(४) यदि यह सिद्ध हो जाय कि प्रतिवादा क कृत्य और उसके वादी क प्रति परिणाम क बीच वादा न जो हस्तगत किया नसम असावधानी का तत्व वर्तमान था तो वादी ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति पान का अधिकारी नहीं होगा।

(५) प्रतिवादी के एस कृत्य द्वारा की गई क्षति जिसकी वाई साधारण विवेक वाला व्यक्ति पूर्व प्रत्याशा नहीं कर सकता साधारणत दूरस्थ क्षति कही जाएगी।



शरीर के प्रति क्षतिकृत्य

(WRONGS TO PERSON)

प्रश्न ४० —(अ) आक्रमण (Assault) की परिभाषा दीजिए और नन तथ्यों का उल्लेख कीजिये जो इस क्षतिकृत्य को सिद्ध करने के लिये आवश्यक हैं।

(घ) 'र' ने 'ख' के ऊपर आक्रमण किया और उसके हाथ को साधारण चोट पहुँचाई। अचानक 'ग' की चोट का घाव मण्डिक (Septic) बन गया जिसके परिणाम स्वरूप 'ख' एक लम्बे समय तक बीमार रहा। 'ग' ने 'क' के विरुद्ध सारी क्षतिपूर्ति पाने के लिये मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में क्षतिपूर्ति का माप क्या होगा ?

उत्तर (अ) आक्रमण (Assault) — आक्रमण से तात्पर्य ऐसे कृत्य से है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करने की धमकी देते हुए प्रहार करने की स्थिति में हो। इस कृत्य के लिये यह आवश्यक नहीं है कि आक्रमण करने वाला विपक्षी के शरीर पर प्रहार करे अथवा उसके शरीर का स्पर्श करे। लेकिन यह बात भी स्मरणीय है कि प्रत्येक धमकी को आक्रमण की कोटि में नहीं रखा जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में आक्रमण की धमकी दे जहाँ वह उसकी पहुँच के बाहर हो तो यह आक्रमण नहीं माना जाएगा। यदि कोई बंदी बंदीगृह के बटधरे के पीछे से बंदीगृह के बाहर खड़े किसी व्यक्ति पर प्रहार करने के लिये मुट्टी तान कर प्रहार करने की धमकी दे तो यह मुट्टी तानना आक्रमण नहीं कहता। क्योंकि इस प्रकार बटधरे में बन्द बंदी बटधरे से बाहर खड़े हुए व्यक्ति को घुसा मारने में पूर्णतया असमर्थ है।

आक्रमण की क्षतिकृत्य के रूप में सिद्ध करने के लिये बान्नी की निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक है :—

(१) यह कि प्रतिवादी के व्यवहार से भाव भगी मान्ति से ऐसा प्रतीत होता था कि वह वादी के विरुद्ध बल का प्रयोग करने वाला है।

(२) यह कि प्रतिवादी के अप्रवृत्त व भाव भंगी आदि इय प्रकार के थे कि वादो को यह भय हो गया कि प्रतिवादी उसके विरुद्ध अवश्य ही बल का प्रयोग करने वाला है, एव

(३) यह कि प्रतिवादी वादी पर आक्रमण करने की स्थिति में था, अर्थात् वादी प्रतिवादी की पहुँच के भीतर था।

(४) समझ्या — क्षतिपूर्ति के लिये यह एक सामान्य नियम है कि प्रतिवादी अपने क्षतिपूर्ण कृत्य के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप पहुँचाई गई नुषा क्षति की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी है चाहे वह उस क्षति को पूर्व प्रत्याग नही रखता हो। प्रस्तुत मामल में 'त' की साट 'क' के क्षतिपूर्ण कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम है और चाव के सैप्टिक (Sceptic) बन जान पर उसका सम्भव समय तक बोधा रहना 'ग' के क्षतिपूर्ण कृत्य के परिणाम का ही भग माना जायगा। अतएव क' 'त' का सारी क्षति के लिय क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी है।

अनु ४१ — सप्रहार (Battery) की परिभाषा देते हुए आक्रमण (Assault) और सप्रहार (Battery) के अन्तर को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—सप्रहार (Battery) — सप्रहार एसा अनिष्टपूर्ण कृत्य है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर का अनधिकृत स्पर्श करता है। भारतीय नुड संहिता की धारा ३५० में सप्रहार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है — “किसी व्यक्ति सप्रहार का अपराधी तब होता है जब वह क्रोधावग में किसी अन्य व्यक्ति को डराने या परेगान करने या हाँसि पहुँचाने की जायत से उसके शरीर पर वास्तव में प्रहार कर या उस स्पर्श करे।” इस धारिक प के लिय यह बात निरर्थक है कि इस प्रकार प्रहार द्वारा वादो के शरीर को किसी प्रकार की चोट लगी या नहीं। यह बात भी सावश्यक नहीं है कि प्रतिवादी अपने किसी भग द्वारा ही वादी के शरीर का स्पर्श करे। यदि प्रतिवादी न वादी के शरीर का स्पर्श किसी अन्य वस्तु के माध्यम से किया है तो भी वह एक सप्रहार व अतएव घा जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रतिवादी एक छठी द्वारा वादी के शरीर का स्पर्श करता है तो उसका यह कृत्य सप्रहार ही कहा जायगा। किसी व्यक्ति के ऊपर पूर्व दना भी सप्रहार के अतएव माना है। [(१६२७) ४३ दो० एत० धार० ४६५]

सप्रहार की उपयुक्त परिभाषा के प्रकाश में उसके निम्नलिखित तत्व (Elements) हैं —

(१) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर पर प्रहार या उसका स्पर्श होना,

(२) यह प्रहार या स्पर्श उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं भावा के विरुद्ध होना, तथा

(३) यह निरयत है कि शरीर का स्पर्श धीरे से किया गया अथवा इस प्रकार उन व्यक्ति का किसी प्रकार का कष्ट हुआ या नहीं।

आक्रमण (Assault) और सप्रहार (Battery) का अन्तर — आक्रमण और सप्रहार दोनों विभिन्न प्रकार के दातृपूर्ण कृत्य हैं। आक्रमण में केवल प्रहार की घमकी मात्र दी जाती है, जब कि सप्रहार में शरीर पर प्रहार अथवा उमफा स्पर्श भा किया जाता है। रत्ननाथ धारज लाल के मतानुसार आक्रमण में शरीर का वास्तव में स्पर्श किया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु सप्रहार में ऐसा होना अनिवार्य है। यद्यपि दोनों दातृपूर्ण कृत्य में गति (Motion) आवश्यक है परन्तु जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध बल का अनधिकृत प्रयोग किया जाता है और ऐसे प्रयोग में उस दूसरे व्यक्ति के शरीर का स्पर्श हो जाता है तो वह कृत्य जो बिना स्पर्श के आक्रमण होना, सप्रहार के अन्तर्गत आ जाता है।

प्रश्न ४२ — आक्रमण और सप्रहार किन परिस्थितियों में अभियोग्य (Actionable) नहीं हैं ? विवेचना कीजिये।

उत्तर — आक्रमण और सप्रहार का अधिचर्य — आक्रमण और सप्रहार के दातृपूर्ण कृत्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोग्य नहीं हैं।

(१) स्वरक्षा (Self defence) — यदि किसी व्यक्ति ने आक्रमण या सप्रहार अथवा स्वरक्षा के लिये किया है तो वह उनके दायित्व से मुक्त समझा जाता है। लेकिन स्वरक्षा के अधिचर्य का अन्तर्गत करने को जिम्मेवारों हमेशा प्रतिवादा पर हानो हे।

(२) सम्पत्ति की सुरक्षा (Defence of Property) — सम्पत्ति की सुरक्षा में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य समझा जाता है। लेकिन सुरक्षा के लिये कृत्य करते समय कबल उतना ही बल प्रयुक्त होना चाहिए जितना कि उस परिस्थिति में नितात आवश्यक है। [हर्लिंग प्रति घोषे, (१८५३) ४ ६० ५३१]

(३) सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण (Retaking of Property) — किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा उनके अधिजन सत्तार को अधिचर्य है कि वह एक व्यक्ति से अधिक से अधिक सम्पत्ति को गैरकानूनी ढंग से हथिया लिया हो वास्तव में ले। एव सामान में किया गया आक्रमण या सप्रहार क्षम्य है। [०५३ प्रति हिम, (१८६१) १० सी० बी० १०१]

(४) अवश्यम्भावी दुर्घटना (Inevitable Accident) — यदि

किसी अवश्यम्भावी दुर्घटनावश किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का अनधिकृत स्पर्श उसकी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े तो कानून उसको ऐसे कृत्य के लिये क्षमा कर देगा।

(५) विधिपूर्ण सुधार (Lawful correction) — माता पिता तथा अभिभावक अपने बच्चों को सुधारने के लिये विधिपूर्ण बल का प्रयोग कर सकते हैं और उनके वे कृत्य अभियोज्य नहीं होते।

(६) अनुमति (Leave) — अनुमति से किये गये कृत्य क्षतिवृत्त होते हुए भी अभियोज्य नहीं समझे जाते हैं।

७) सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा (Preservation of public peace) — सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा में किए गए सशस्त्र या सप्रहार कानूनी रूप से क्षम्य हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में केवल उतना ही बल प्रयोग करना चाहिए जितना कि उपस्थित परिस्थिति में नितांत आवश्यक हो।

(८) कानूनी व्यवहार में किये गए कृत्य (Acts done in legal process) — कानूनी व्यवहार के लिए कृत्य करते हुए यदि किसी व्यक्ति को सशस्त्र या सप्रहार का प्रयोग करना पड़े तो उसका वह कृत्य क्षम्य समझा जाता है और अभियोज्य नहीं होता है।

प्रश्न ४३ — मानसिक एवं स्नायुविक आघात (Mental and Nervous shock) द्वारा पहुँची क्षति की क्षतिपूर्ति के कानून की विवेचना कीजिए।

उत्तर— मानसिक एवं स्नायुविक आघात (Mental and Nervous shock) द्वारा क्षति — घबराहट ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिन्हें दख या सुनकर घबराहट अनुभव करके किसी व्यक्ति का मन में भावस्मिक ठेस लगती है और कभी-कभी उसका परिणामस्वरूप उसका सबकुछ इतने अधिक उत्तेजित हो जाना है कि उगने उसका स्नायुप्रो को बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है। लेकिन कभी-कभी केवल मात्र मानसिक कष्ट ही पहुँचता है। अतएव कानून का नियम यह है कि जब किसी घटना को स्तब्ध, मुन्न या अनुभव करके से व्यक्ति को केवल मात्र मानसिक कष्ट ही पहुँचता है और कोई स्नायुविक क्षति नहीं पहुँचती तो कानून के अन्तर्गत वह क्षति नहीं मानी जाती और वह मुक्त का कारण (Cause of action) नहीं बन सकता। इसका कारण यह है कि मानसिक कष्ट घबराहट अनुभूति को मापन के लिए कोई यंत्र उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि किसी कृत्य से क्षतिप्राप्त व्यक्ति को सम्पत्ति या शरीर

को हानि पहुँचने के साथ-साथ उसे मानसिक ब्रष्ट भी पहुँचा हा तो ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति की घनराशि नियत करते समय साम्प्रतिक या शारीरिक क्षति के साथ मानसिक ब्रष्ट पर भी विचार किया जाता है।

एक प्रमुख मामले में प्रतिवादी न एक स्त्री से झूठ मूठ कह दिया कि उसका पति एक दुष्टनामक घायल हो गया और उसके दोनों पैर टूट गए। यह झूठा समाचार पाकर उस स्त्री को बहुत दुःख हुआ और वह बहुत अधिक बीमार हो गई। उसका पति को उसका इलाज में बहुत सा धन खर्च करना पड़ा। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी वादी की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। [क्विंसेन प्रति डाउटन, (१८६७) २ म्यू० वा० ५७]

मानसिक एवं स्नायुविक आपात के मामला में क्षतिपूर्ति की घनराशि निर्धारित करने में प्रतिवादी के आचरण का भी ध्यान रखा जाता है। यदि प्रतिवादी का आचरण अनुचित रहा है या उसका उद्देश्य वस्तुस्थिति रहा है तो क्षतिपूर्ति की घनराशि बढ़ा दी जाती है।

प्रश्न ४४ — अंग भंग (Mayhem) नामक क्षतिवृत्त्य की परिभाषा दीजिए।

उत्तर—अंग भंग (Mayhem) — शरीर के प्रति किए गए क्षतिवृत्तियों में मृत्यु के अनिश्चित अंगभंग (Mayhem) ही सबसे अधिक सम्भार क्षतिवृत्त्य सम्भला जाता है। यह एसी शारीरिक क्षति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पान्द्रिय अथवा कर्माद्रिय से वंचित कर दिया जाता है जबकि जिसका ईन्द्रिय स्थायी रूप से एक सामान्य रूप से कार्य करने के लिए दुर्बल हो जाए। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति का हाथ पर, उंगली या दाँत तोड़ा या काटा जाए या उसका श्रोत्र फोड़ा जाए तो उस कानून की तकनीकी भाषा में अंगभंग (Mayhem) कहेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नाक या कान कुतर दिए जाए तो वह कानून की तकनीकी भाषा में अंगभंग नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति के हाथ, पैर, उंगली या दाँत का न रहना से वह व्यक्ति सदैव के लिए दुर्बल हो जाता है कि तु नाक या कान काट लिये जाने पर ऐसा नहीं होता।

यह बात भी स्मरणीय है कि अंगभंग करना शरीर भी है और उसके लिए फौजदारी कानून के अन्तर्गत भी मुकदमा चलाया जा सकता है और अपराधी को क्षतिपूर्ति के साथ साथ दण्ड भी मिलाया जा सकता है।

प्रश्न ४५ — मिथ्या कारावास (False Imprisonment) की परिभाषा देते हुए उसके तथ्यों की विवेचना कीजिए।

उत्तर—मिध्या कारावास (False Imprisonment) की परिभाषा —मिध्या कारावास (False Imprisonment) का तात्पर्य किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पर बिना किसी शोचित्य (Justification) के पूण अवरोध लगाने का है। रत्नलाल धीरजलाल न मिध्या कारावास की परिभाषा इस प्रकार की है—“मिध्या कारावास ऐसा शक्तिपूण वृत्य है जिसस कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पर पूण रूप स रकावट डाली जाए तथा इस रकावट डालने के लिए कोई कानूनी शोचित्य न हा।”

यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक भ्राम रास्ते पर एक विशेष दिशा म उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने का मजतूर करे तो उसका यह वृत्य मिध्या कारावास मन्तगत माएगा। लकिन यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को केवल एक घोर जान ही उसकी इच्छा के विरुद्ध रोके तब वह केवल शक्तिक कारावास (Partial Imprisonment) कहा जाएगा घोर यह शक्तिक कारावास मिध्या कारावास क मन्तगत नही माता है, क्योंकि मिध्या कारावास क लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता पर पूण प्रतिबन्ध हो।

मिध्या कारावास के तत्व —मिध्या कारावास सिद्ध करने के लिए वादी को उसके निम्नलिखित तत्वो को सिद्ध करना चाहिए —

(१) यह कि उसकी स्वतंत्रता (Liberty) पर पूण प्रतिबन्ध लगाया गया, तथा

(२) यह कि वह प्रतिबन्ध बिना किसी कानूनी शोचित्य क था।

वादी का यह सिद्ध करने की जरूरत नही है कि उसकी स्वतंत्रता पर अवरोध काफी समय तक रहा भयवा उसे किसी कारागार या इस प्रकार क किसी भय स्थान में वास्तविक रूप म बंद कर दिया गया। [बंद प्रति जोस, (१८४५) ७ क्यू० बी० ७४२] लकिन यह बात सिद्ध करना श्रान्यक है कि उसकी स्वतंत्रता पर अवरोध गैरकानूनी था घोर वह अवरोध पूण रूप स था।

प्रश्न ४६ —पुलिस तथा जन साधारण द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अथवा उसकी स्वतंत्रता पर अवरोध लगाने के प्रचलित भारतीय कानून पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—गिरफ्तार करने का भारतीय कानून —भारत में गिरफ्तार (Arrest) करने का कानून दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) क मन्तगत व्यवस्थित है। श्राम तोर पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी के वारंट (Warrant of arrest) की आवश्यकता होती है

श्रीर सामान्यतः बिना उसके किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं और कुछ परिस्थितियों में पुलिस को बिना वारंट के भी गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है।

भारत की दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो अनुसंधेय (Cognizable) अपराध हैं जिनके किए जान पर सदिग्ध (Suspected) व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरे वर्ग के अपराध निरनुसंधेय (Non cognizable) हैं जिनके किए जाने पर सदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

जन साधारण (Private persons) भी निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अथवा उसकी स्वतंत्रता पर अवरोध लगाने का अधिकार रखते हैं —

(१) जब किसी व्यक्ति पर इस बात का संदेह किया जा रहा हो कि उसने हत्या आदि जैसा गम्भीर अपराध किया है अथवा जब किसी व्यक्ति में वास्तव में ऐसा अपराध किया हो,

(२) जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति (Public peace) भंग करते अथवा करने की कोशिश करत देखा गया हो,

(३) यदि किसी व्यक्ति को जमानत किसी व्यक्ति न की हो तो जिस व्यक्ति की जमानत की गई है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके यायालय में लाने का अधिकार जमानत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त रहता है एवं

(४) फरार और अपराध करने के आदी अपराधियों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।

यदि कोई पुलिस अधिकारी भ्रमवश किसी एक व्यक्ति के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करले तो ऐसा करने पर वह पुलिस अधिकारी उस दवा में उत्तरदायी नहीं होगा जब यह सिद्ध हो जाए कि उसने वास्तव में उस व्यक्ति को पूरातया भ्रमवश गिरफ्तार किया था।

यह बात भी स्मरणीय है कि यदि कोई व्यक्ति यायालय से किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट प्राप्त करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करले तो गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सिध्दा बारावासी की बायवाही नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे मामले में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित धर्म्य सिद्ध करने होंगे —

(१) यह कि वारंट किसी अधिकृत न्यायिक सस्था (Competen judicial tribunal) द्वारा जारी किया गया था,

(२) यह कि उसने कानूनी रूप से जारी किए गए वारंट द्वारा अधिकृत होकर गिरफ्तार किया, एवं

(३) यह कि उसने जिस परिस्थिति में गिरफ्तार किया उस परिस्थिति में कानून द्वारा उसको ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था ।

मान हानि

(DEFAMATION)

प्रश्न ४७ — मानहानि (Defamation) की परिभाषा दीजिए और उसके विभिन्न रूपों की विवेचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

उत्तर—मानहानि (Defamation) की परिभाषा — किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना उस व्यक्ति को मानहानि कहलाती है। अन्डरहिल (Underhill) के मतानुसार मानहानि प्रतिष्ठा को बलकित करने वाला ऐसा झूठा कथन है जिसका वि प्रकाशन (Publication) किया गया हो। इस कथन के लिए आवश्यक है कि उसमें वादी को प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची हो और उस कथन को प्रकाशित करने का कोई कानूनी औचित्य न हो। दूसरे शब्दां में मानहानिकारी कथन उस कथन को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के आचरण के विरुद्ध ऐसी बातें कही गईं हो जिसके कारण उस व्यक्ति का समाज में निरादर हो या उस दृष्ट मिल या वह समाज में घणित समझा जाए या जिसके कारण उस पर, उसके पदसाय अथवा पद के सम्बन्ध में बुरा प्रभाव पड़े।

मानहानि के रूप — मानहानिकारी कथन के दो रूप हो सकते हैं— एक लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित मानहानिकारी कथन को अपमानकारी लेख (Libel) कहते हैं और मौखिक मानहानिकारी कथन को अपमानकारी वचन (Slander) कहते हैं।

अपमानकारी लेख (Libel) — अपमानकारी लेख का तात्पर्य केवल सचुचिन् प्रयोगों में न होकर बहुत ही बृहत् प्रयोगों में लिया जाता है। इसका तात्पर्य ऐसे उन सभी विचारों से है जिनका किसी भी स्थाई रूप में परिणत कर दिया गया हो। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति का व्यङ्ग चित्र (Cartoon) बनाना और उस चित्र के द्वारा उसको अपमानित करना अपमानकारी लेख के ही अन्तर्गत आएगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का पुतला बनाकर उसकी मानहानि करना अपमानकारी लेख (Libel) के ही अन्तर्गत आएगा।

किसी व्यक्ति के विषय में सूचित करने यदि कोई ऐसा लेख लिखा गया है जिनमें कि सांकेतिक व्यक्ति की मानहानि हो तो वह अपमानकारी लेख ही समझा

जाएगा। एक मामले में प्रतिवादी ने एक समाचार पत्र में एक विद्यालय की अध्यापिका के विषय में यह प्रकाशित किया कि यदि वह उस विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को पढ़ाती रहेंगी तो वह वहाँ की सभी लड़कियों का भविष्य बिगाड़ देगी। वह अध्यापिका वास्तव में उस विद्यालय में लड़कियों का अध्यापन वाच्य करती थी। इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी का लख अपमानकारी लख था। [मिटन प्रति नुपरवाँ जा, ४३ बम्बई लॉरिपॉटर, ६३१]

अपमानकारी लख व मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं —

(१) व्यक्त किया हुआ कथन मिथ्या होना चाहिये,

(२) जिस माध्यम के द्वारा वह व्यक्त किया गया हो उसको स्थायी होना चाहिये, एवं

(३) उस कथन को ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा वादी की मानहानि हो।

इस प्रकार में यह बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि अपमानकारी लख के द्वारा किया क्षतिपूर्त स्वतः अभियोग्य (Actionable per se) है और उसमें वादी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मानहानि के कारण उसको वास्तव में कुछ हानि पहुँची।

अपमानकारी वचन (Slander) — अपमानकारी वचन (Slander) से तात्पर्य मौखिक रूप से कहे हुए ऐसे वचन से है जिससे वादा की मानहानि होती है। अंडरहिल (Underhill) के मतानुसार य मौखिक रूप से कहे हुए ऐसे वचन हैं जिनका कि क्षयायी (Transient) होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, मुँह से फुसफुसाना, संकेत, मुँह, मुद्रा या भावमग्न द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि करना अपमानकारी वचन व अन्तर्गत आते हैं।

इस प्रकार में यह बात स्मरणीय है कि अपमानकारी वचन आम तौर पर स्वतः अभियोग्य नहीं होते हैं। लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में व भी स्वतः अभियोग्य मान लिए जाते हैं और वादा को मानहानि करने वान अपमानकारी वचनों द्वारा वास्तविक क्षति सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है —

(१) जब प्रतिवादी ने वादी पर कोई ऐसा अपराध करने का मिथ्या आरोप लगाया हो जिसका दण्ड धारणीय दण्ड होना हो।

(२) जब प्रतिवादी ने वादा को किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने का मिथ्या आरोप लगाया हो जिसका कारण वादी समाज में अहिंसक कर दिया जाय और लोग उसके साथ उठना-बैठना बसत में करें।

(३) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह समुक्त पद या व्यवसाय के अयोग्य है।

(४) जब प्रतिवादी ने किसी स्त्री-वादी पर दुश्चरित्रता (Unchastity) का मिथ्या आरोप लगाया हो।

(५) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह जिस पद पर कार्य कर रहा है उस पद से दुराचरण (Misconduct) के कारण पदच्युत किए जाने योग्य है।

(६) जब प्रतिवादी ने वादी पर यह मिथ्या आरोप लगाया हो कि वह सार्वजनिक विश्वास (Public trust) के अयोग्य है।

यह बात भी स्मरणीय है कि अपमानकारी वचन अभियोग्य (Actionable) तभी हो सकत हैं जब यह सिद्ध हो जाए कि वे मिथ्या हैं और उनका प्रकाशन किया गया है तब प्रकाशन के परिणाम स्वरूप वादी को विशेष क्षति (Special damage) पहुँची है।

प्रश्न ४८ — अपमानकारी लेख (Libel) और अपमानकारी वचन (Slander) का अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर — अपमानकारी लेख (Libel) और अपमानकारी वचन (Slander) में अन्तर — अपमानकारी लेख और अपमानकारी वचन में निम्नलिखित अन्तर हैं —

(१) अपमानकारी लेख लिखित या मुद्रित अपमानकारी कथन है जब कि अपमानकारी वचन बोला हुआ या दर्शाया हुआ अपमानकारी कथन है।

(२) अपमानकारी लेख अपराध और क्षति वृत्त्य दोनों हैं, जब कि अपमानकारी वचन अल्प तोर पर दीवानी कानून के अन्तर्गत केवल अनिपूण वृत्त्य है।

(३) अपमानकारी लेख स्वतः अभियोग्य (Actionable per se) क्षति वृत्त्य है, किन्तु अपमानकारी वचन सामान्यतः विशेष क्षति (Special damage) के सिद्ध होने पर ही अभियोग्य है।

(४) अपमानकारी लेख का वास्तविक प्रमाण निर्दोष हो सकता है, किन्तु अपमानकारी वचन का प्रमाण, यदि वह जान बूझ कर स्वच्छा से प्रकाशन करता है तो क्षति पूर्ति का उत्तरदायी होगा।

प्रश्न ४९ — मानहानि के विषय में भारतीय कानून पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—मानहानि के विषय में भारतीय कानून —मानहानि के विषय में भारतीय कानून अङ्गरेजी कानून से बड़ी नहीं भिन्न है। भारतीय कानून के अर्तगत अपमानकारी वचन बिना विशेष क्षति (Special damage) सिद्ध किए हुए भी अभियोग्य हैं। [काशी राम प्रति माद्रू (१८७०) ७ वी० एच० सी० (ए० सी० जे) १७] लेकिन साधारण अपशब्द यद्यपि गाली हो सकते हैं पर बिना विशेष क्षति सिद्ध किए अभियोग्य नहीं होते।

अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख की पुनरावृत्ति (Repetition) एक नया प्रकाशन माना जाता है। यदि कोई अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख इस प्रकार के हैं कि वे स्वयं मूलतः अपमानकारी नहीं थे किन्तु उनकी पुनरावृत्ति क्षति पूरा है तो ऐसी परिस्थिति में उनका मूल वक्ता या लेखक क्षति पूति देने का उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि उनकी पुनरावृत्ति करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा। इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं —

(१) जब कि मूल वक्ता या लेखक ने अपमानकारी वचन या लेख इस उद्देश्य से कहे या लिखे हैं कि वे श्रेय व्यक्तियों द्वारा दोहराए जाएंगे।

(२) जब कि मूल वक्ता या लेखक ने अपमानकारी वचन या लेख इस उद्देश्य से कहे या लिखे हैं कि उनकी पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी है।

अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख यदि वास्तव में सत्य हैं तब ऐसे क्षति को बह कर या निस कर प्रकाशित करने वाले व्यक्ति पर क्षति पूति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। चोर को चोर, व्यभिचारी को व्यभिचारी व अप्रत्याचारी को अप्रत्याचारी कहना या लिखना क्षति पूरा नहीं है। अतएव मानहानि का मुकदमे में अपमानकारी वचन या अपमानकारी लेख की सत्यता सिद्ध करना पूरा बचाव (Complete defence) है। यदि क्षति सत्य है तो जिस उद्देश्य से वे कहे या लिखे गए हैं वह महत्वहीन है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह यह सिद्ध करे कि अपमानकारी विषय वस्तु (Slanderous or libelous matter) का प्रत्यक्ष क्षति सही है। यदि वह केवल इतना ही सिद्ध कर दे कि अपमानकारी विषय वस्तु का सारास सही है तो भी वह उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा।

सावजनिक हित (Public interest) में की गई समालोचना अपमानकारी (Defamatory) नहीं समझी जाती। राज्य सम्बन्धी मामल, न्याय प्रशासन (Administration of justice), सावजनिक संस्थाएँ (Public Institutions) तथा स्थायत शासन (Local self Government) सम्बन्धी

बान एव धार्मिक मामलो मे की गई समालोचनाएँ सावजनिक हित की बातें मानी जाती हैं। कला सम्बन्धी कृत्य जैसे साहित्य, संगीत, चित्रकारी, नाटक एव चित्रपट तथा अन्य सावजनिक मनोरंजन भी सावजनिक हित के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकरण मे यह बात स्मरणीय है कि उचित आलाचना की स्वतंत्रता प्रजातंत्र का प्राण होती है। आ पाठशाला पाठ्य के मतानुसार वाक स्वतंत्रता (Freedom of Speech) तथा प्रेस की स्वतंत्रता सभी प्रजातंत्र संस्थाओं का आधार है, क्योंकि स्वतंत्र राजनीतिक वाद विवाद के बिना जनता की शिक्षा, जो कि प्रजातंत्र चलाने के लिये बहुत आवश्यक है सम्भव नहीं है।

यदि कोई लेखक किसी सावजनिक पत्रिका या समाचारपत्र में किसी व्यक्ति के विषय में अपना मत प्रकट करता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है किंतु यदि वह उसको दुराचारी या भ्रष्टाचारी कहता है तो उसको अपने कथन का औचित्य सिद्ध करना होगा।

भारतीय कानून के अनुसार अपमानकारी वचन व अपमानकारी लेख दोनों शक्तिव्यवधि भी हैं और अपराध (Crime) भी हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए अपमानकारी लेखों के लिए समाचार पत्र के स्वामी, सम्पादक, प्रकाशक एव मूद्रक सभी व्यक्ति समुक्त रूप से व व्यक्तिगत रूप से शक्तिपूर्ति के उत्तरदायी हैं। जिस समाचार पत्र में कोई अपमानकारी लेख प्रकाशित होता है उसके प्रति की बिना एक अलग प्रकाशन माना जाता है। लेकिन यदि प्रति वादी निम्नलिखित बातें सिद्ध करदे ता वह शक्तिपूर्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है।

(१) यह कि उसको इस बात का पान नहीं था कि समाचार पत्र में अपमानकारी लेख है एव

(२) यह कि उसकी यह अनभिज्ञता उसकी असावधानी का परिणाम नहीं था। लेकिन अपमानकारी वचनों का प्रकाशक सामान्यतः किसी भाँ परिस्थिति में गद्देव ही दोषी माना जाता है।

इसण में अपमानकारी वचन और अपमानकारी लेख के विषय में मुकदमा चलाने के लिए विभिन्न अवधि निर्धारित है। अपमानकारी लेख के लिए उगवे प्रकाशन के ६ महीने के भीतर वाक उपस्थित कर देना चाहिए और अपमानकारी वचन के लिए अवधि दो वर्ष है। लेकिन भारत में नवीनतम कानून जैसा कि अवधि अधिनियम १९६३ में प्रतिपादित किया गया है अपमानकारी लेख तथा अपमानकारी वचन दोनों के लिए ही वाद उपस्थित करने की अवधि एक वर्ष है।

प्रश्न ५० — मानहानि के आवश्यक तत्व क्या हैं ? उनकी सक्षिप्त व्याख्या कीजिए ।

उत्तर—मानहानि के आवश्यक तत्व — मानहानि करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए जा बातें सिद्ध करना आवश्यक हैं वे मानहानि के आवश्यक तत्व कहे जाते हैं । इन तत्वों की व्याख्या निम्नलिखित है —

(१) अपमानकारी लेख तथा अपमानकारी वचन के लिए यह आवश्यक है कि उनका द्वारा वादी की मानहानि हुई हो ।

(२) यदि वचन या लेख अपमानकारी (Defamatory) है तो मकसद (Intention) या मत्तय (Motive) जिसमें कि व कहे या लिखे गए हैं तत्त्वहीन (Immaterial) हैं ।

(३) मानहानि करने वाले वचन या लेख वादी के प्रति कहे गए या लिखे गए होने चाहिए । इस मदर्भ में इ० एट्टन कम्पनी प्रति जास (१९१० ए० सी० २०) का मामला उल्लेखनीय है । इस मामले की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि एक समाचारपत्र में 'माटिमस जोस' नामक एक अज्ञात एक कहानी प्रकाशित हुई जिसमें कि यह कहा गया कि 'माटिमस जोस' नाम का व्यक्ति जो कि एन गिरजाधर का सरलाक था फ्रांस में एक स्त्री के साथ अव्यवस्थित रहता था । संयोगवश 'माटिमस जोस' नाम का वास्तव में एक व्यक्ति बैरिस्टर तथा पत्रकार था । यद्यपि वह गिरजाधर का सरलाक नहीं था, किन्तु जिन व्यक्तियों ने वह समाचार पत्र पढ़ा उन्होंने यही समझा कि उस समाचार पत्र में छपी हुई कहानी उसी व्यक्ति के प्रति लिखी गई है । इस पर 'माटिमस जोस' ने समाचार पत्र पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया । इस मुकदमे में यह निष्पत्ति दिया गया कि प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार है भले ही उसका इरादा वादी की मानहानि करने का नहीं रहा था । इस निष्पत्ति में प्रतिपादित नियम को मानहानि अधिनियम, १९५२ (The Defamation Act, 1952) द्वारा सशोधित कर दिया गया है । उक्त अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपमानकारी लेख आदि प्रकाशित करता है और जान म यह करता है कि यह जगदीश चन्द्र जैन जैन नाम प्रकाशित कर लिए हैं तो उन इस बात का अक्षर दिया जाना है कि वह अपनी भूल सुधार ले और जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है उसमें क्षमा माँग ले । इस अधिनियम के अन्तर्गत वादी को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमा याचना को स्वीकार करते अथवा स्वीकार कर दे । क्षमा याचना किन परिस्थितियों में स्वीकार की जाए और किन में नहीं, इस सम्बन्ध में विशेष प्रविधान इस अधिनियम में गए हैं ।

(४) मानहानि करने वाले शब्दों का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। बिना प्रकाशन क मानहानि अगम्य है।

(५) मानहानि करने वाले वचन या लेख मिथ्या होने चाहिए। प्रतिवादी पर इस बात का नाबित कराना का भार है कि जो कुछ उसने कहा है सत्य है अथवा त्रुटि है।

प्रश्न ४१ — अ, विशेषाधिकृत सन्देश (Privileged communication) से क्या तात्पर्य है? मानहानि के संदर्भ में सम्पूर्ण विशेषाधिकार (Absolute privilege), और परिमित विशेषाधिकार (Qualified Privilege) की व्याख्या कीजिए।

(अ) 'क' 'ख' की कर्म में जीवरी के लिए उम्मीदवार था। 'ख' ने 'ग' से 'क' के सम्बन्ध में मालूमता की। 'ग' ने 'ख' को इस सम्बन्ध में जो पत्र लिखा उसमें 'क' के चरित्र के विषय में कुछ मिथ्या अपमानकारी कथन भी था जिसे 'ग' सत्य समझता था। 'ग' की भूल से यह पत्र एक दूसरे लिफाफे में रखा गया जो 'घ' को मिला। 'घ' ने 'क' को इस विषय में सूचित किया।

क्या 'क' 'ग' के विरुद्ध मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है?

उत्तर — (अ) विशेषाधिकृत सन्देश (Privileged Communication) — विशेषाधिकृत सन्देश (Privileged Communication) वह वचन है जो किसी विशेषाधिकृत अवसर पर कहा जाए। समाज व कुछ व्यक्तियों के कर्तव्य इस प्रकार के होते हैं कि जिनका समाज के हित में ही इस बात की छूट देनी पड़ती है कि वे अपने कर्तव्य पालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऐसे शब्दों या वचनों को भी कह सकें या कि अथवा मानहानि करने वाले मान जाते हों। यह विशेषाधिकृत सन्देश केवल विशेषाधिकृत अवसरों पर ही कह जा सकते हैं।

विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं—(१) सम्पूर्ण विशेषाधिकार, और (२) परिमित विशेषाधिकार। इन दोनों प्रकार के विशेषाधिकारों की व्याख्या निम्न लिखित है —

(१) सम्पूर्ण विशेषाधिकार (Absolute privilege) — सम्पूर्ण विशेषाधिकार वह है जिसमें प्रत्येक विशेषाधिकार पर व्यक्ति की पूर्ण आत्मस्वातन्त्र्य (Complete freedom of speech) होता है और इस अवसर पर वह गण वचनों या लिखित गण वचनों के प्रायः उन पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

लिखित चार प्रकार की कायवाहियों के अन्तर्गत पर कुछ व्यक्ति विशेषों को सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं —

(क) ससदीय कार्यवाही (Parliamentary proceedings) — ससद व सभी सदस्यों को ससदीय कायवाही के दौरान में कहे गए कथना के लिए इस बात की पूरी छूट रहती है कि उन कथनों के अग्रमानकारी होने पर भी उन पर मुकदमा उठाया जायगा। लेकिन यह बात स्मरणाय है कि ससद सदस्यों का यह विशेषाधिकार ससद की कायवाही के समय ही प्रयुक्त हो सकता है। यदि ससद का कोई सदस्य अग्रमानकारी शब्दों का प्रयोग ससद की परिधि से बाहर करता है तो वह उसक प्रति उत्तरदायी हो जाएगा।

(ख) न्यायिक कार्यवाही (Judicial proceedings) — न्यायिक कायवाही में कहे गए कथनों और उनको कहने वालों को कानूनी उ मुक्ति (Legal Immunity) प्राप्त है। यह बात कोई महत्त्व नहीं रखती कि वह कथन राज, वकील, गवाह या पदाकार किसने कहा। इस उ मुक्ति का आधार सार्वजनिक नीति (Public policy) है।

(ग) सना तथा नौसेना सम्बन्धी कायवाही (Military and Naval proceedings) — सना तथा नौसेना सम्बन्धी अधिकारों तथा कर्तव्यों के पालन में कहे गए कथनों को भी सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है।

(घ) राज्य की कायवाही (State proceedings) — राज्य के मामलों व सम्बन्ध में एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारों का भेजे हुए समस्त कर्तव्यों को सम्पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है, यदि इस प्रकार के कर्तव्य राज्य द्वारा दिये गए कर्तव्यों के पालन में भेजे गए हैं।

(२) परिमित विशेषाधिकार (Qualified privilege) — परिमित विशेषाधिकार वह है जिसके अनुसार परिस्थिति विशेष में कहे गए अश्लीलता के लिए उन अश्लीलता का कहने वाला तब तक उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि वादी यह सिद्ध न कर सके कि वे अश्लीलता प्रत्यक्ष द्वेष (Malice) से प्रेरित होकर कहे गए हैं। इस प्रकार के विशेषाधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं।

(क) कर्तव्य पालन में भेजे गए सन्देश (Communication made in performance of duty) — यदि कोई मन्त्रिण किसी अश्लील व्यक्ति के पाम कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के सम्बन्ध में भेजा जाए और वह सन्देश किसी व्यक्ति के लिए अग्रमानकारी सिद्ध हो तो एका सन्देश कानूनी कायवाही से उ मुक्त समझा जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि एका सन्देश जिस व्यक्ति के पाम भेजा गया

है उसका भी उस सन्देश को प्राप्त करने का कानूनी कर्त्तव्य हो। उदाहरणार्थ, भाप को अपने व्यापार के लिए किसी व्यक्ति को नौकर रखना है। वह व्यक्ति पहले किसी अन्य व्यापारिक सन्स्था में काम कर चुका है। भाप उस सन्स्था के मैनेजर से उस व्यक्ति के चाल चलन के विषय में पूछताछ करत है। ऐसी परिस्थिति में उस सन्स्था का मैनेजर भाप के पास उस व्यक्ति के विषय में जो कुछ भी लिखकर भेजेगा उसको परिमित विनिर्वाधिकार प्राप्त होगा। यदि उस सन्स्था का मैनेजर उस व्यक्ति के विषय में कोई ऐसी बात लिख भेजेता है जिससे कि यह बात हो कि उसने द्वेषपूर्ण नीयत से प्रेरित होकर ऐसा किया है तो वह व्यक्ति यह सिद्ध कर देने पर उस सन्स्था के मैनेजर से मान हानि के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा।

(ख) किसी हित की रक्षा के लिए कहे गए कथन (Statements in protection of an interest) — यदि किसी हित की रक्षा के लिए किसी ने कोई इस प्रकार के कथन कहे हैं जिससे किसी की मानहानि होती है तो वे कथन भी परिमित रूप से उन्मुक्त समझे जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी ने अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को कुछ कहा और कथन उसकी मानहानि करने का कारण बन गया तो उस कथन के कहने वाले को परिमित उन्मुक्ति प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वह तब तक क्षतिपूर्ति की कायवाही नहीं कर सकता जब तक वह यह न सिद्ध कर दे कि इस प्रकार का कथन द्वेषपूर्ण नीयत से किया गया है।

(ग) निष्पक्ष तथा सही रिपोर्ट (Fair and accurate report) — इस प्रकार की रिपोर्टों के लिए यह जरूरी है कि वे कायवाही का सन्धा वगुण करती हों। इन रिपोर्टों के अंतर्गत ससदीय कायवाही का रिपोर्ट तथा 'यामिक व अध यामिक कायवाही की रिपोर्टें' आ जाते हैं।

(घ) समस्या — प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत जिसका नौकर के अतिरिक्त के विषय में किना व्यक्ति से भी गई पूछताछ परिमित विनिर्वाधिकृत सन्स्था मानी जाती है। [गाडनर प्रति स्लाड २८ एल जे० व्हा० वा० ४] अतएव 'ग' का ग देना यद्यपि असंभव व अयमानकारी है, किन्तु 'क' ने उम नकनीयती से प्रेषित किया है। भवने हा 'ग' का असावधानी से उस सन्देश का प्रकाशन 'घ' का हो गया पर 'ग' ने उस सन्देश का 'ख' का जिसमें कुछ हाछ का घो, प्रेषित किया था। ऐसी परिस्थिति में 'क' 'ग' के विरुद्ध मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति का मुकामा नहीं बना सकता।

प्रश्न ५० — 'क' ने अपनी नाटक कंपनी में एक गाने वाली स्त्री को नौकर रखा। 'ख' ने उस स्त्री के विरुद्ध एक अयमानकारी लेख प्रकाशित किया। उस स्त्री ने भयभीत होकर 'क' की नौकरी छोड़ दी।

क्या 'ग' 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ?

समस्या — कानून का यह एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कृत्य द्वारा घटित साधारण व स्वाभाविक परिणाम का पान होता है एक उसका एमा डराणा होना है, यह समझा जाना चाहिए। लेकिन यह नियम प्रस्तुत समस्या का घटनाप्रा पर लागू नहीं होता, क्योंकि 'ख' व द्वारा अपमानकारी लेख प्रकाशित हान का यह साधारण व स्वाभाविक परिणाम नहीं है कि गांग वाली स्त्री न 'क' की नौकरी छोड़ ले। प्रायः तार पर एम कृत्य मे एम परिणाम की प्राणा नहीं हो सकती। अतएव 'क' की क्षतिपूर्ति के लिए 'ख' उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न ५३ — मानहानि की कायवाही में बचाव की सम्भव दलीलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—बचाव की सम्भव दलीलों (Possible defences) — मानहानि की कार्रवाई में बचाव की सम्भव दलीलों निम्नलिखित हैं —

(१) सत्य द्वारा औचित्य (Justification by truth) — अपमानकारी वादों की सत्यता मानहानि की कायवाही में प्रतिवादी की ओर से बचाव की पूर्ण दलील है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलने का अधिकार है। लेकिन यह औचित्य सिद्ध करना प्रतिवादी का कर्तव्य है।

(२) निष्पक्ष तथा न्यायोचित समालोचना (Fair and bonafide comment) — सात्रजनिक वाद विवाह के योग्य किसी भा विषय पर निष्पक्ष एवं न्यायोचित समालोचना मानहानि नहीं मानी जाती। लेकिन यह समालोचना विषय द्वेष की भावना से प्रेरित होकर न की गई हो।

(३) विशेषाधिकृत संदेश (Privileged communications) — कृपया प्रश्न ५१ (अ) के अन्तर्गत उत्तर देखिए।

प्रश्न ५४ — 'प्रकाशन (Publication)' से क्या तात्पर्य है ? क्या निम्नलिखित परिस्थितियों में यह गुण अपराध प्रकाशित कृत्य समझे जायेंगे—

(अ) 'क' ने 'ख' से कहा कि यह (ख) जारज सन्तान है।

(ब) 'क' ने अपनी पत्नी से कहा कि 'ख' जारज सन्तान है।

(घ) 'क' ने 'ख' की पत्नी से कहा कि 'ख' जारज सन्तान है।

उत्तर—प्रकाशन (Publication) — प्रकाशन से तात्पर्य किसी कथन को जानकारी यात्री के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को देना है। यह व्यक्ति जिनको जानकारी दी गई उस कथन को समझने में समय होना चाहिए।

(अ) व (ब)—कानून का नियम है कि जब अपमानकारी संदेश अपमानित व्यक्ति को या अपमानकर्ता की पत्नी को दिया जाए तो प्रकाशन नहीं कहलाता। अपमानकर्ता और उसकी पत्नी दोनों कानून के अंतर्गत एक ही व्यक्ति हैं। अतएव 'व' न 'स' स जो कहा मयदा अपनी पत्नी से जो कहा उस प्रकाशित होना नहीं समझा जाना चाहिए।

(स) यह प्रकाशन कहा जाएगा।

प्रश्न ५५ — मानहानि द्वारा क्षतिप्राप्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि निर्धारित करने की व्यवस्था किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। व्याख्या कीजिए।

उत्तर — मानहानि द्वारा की गई क्षति की क्षतिपूर्ति — मानहानि द्वारा क्षतिप्राप्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है उसकी व्यवस्था इनके परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनमें मुख्य परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) अपमानकारी लेख या वचन की प्रकृति

(२) वाणी और प्रतिवादी की हैसियत,

(३) अपमानकारी लेख या वचन का संचार, तथा

(४) क्या मानहानि जान बूझ कर की गई है या अकस्मात् एव किसी अन्य कृत्य के अप्रत्यागित परिणाम स्वयं हो गई है।

क्षतिपूर्ति की धनराशि निम्नलिखित परिस्थितियाँ सिद्ध करने पर कम की जा सकती है —

(१) द्वेष की भावना की अनुपस्थिति (Absence of the attitude of malice)।

(२) अपना दोष मानकर क्षमा याचना की जाए।

(३) वाणी की निम्न कीर्ति (Bad reputation)।

(४) वादी द्वारा उत्तेजना (provocation) प्लिया जाना।

प्रश्न ५६ — क्या पति पत्नी के बीच मानहानि की कार्यवाही हो सकती है? इस विषय के कानून पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर—पति पत्नी के बीच मानहानि की कार्यवाही — भारत में पति और पत्नी एक माता का दो रूप माने जाते हैं। कानून भी इस विचार धारा का समर्थन करता है और कानून की दृष्टि में भी पति और पत्नी एक इकाई (One Unit) माने जाते हैं। इस कारण किसी व्यक्ति से सम्बन्धित अपमानकारी वचन का

एक प्रतिवादी की पत्नी को ज्ञात होना प्रकाशन नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, यदि किसी की मानहानि करने वाली बातें उसका एक लिफाफे में बंद करके भेजी गई हैं और उन बातों की जानकारी भेजन वाले व्यक्ति का पत्नी को है तो प्रकाशन नहीं कहा जाएगा। इसी आधार पर सामान्य नियम यह है कि पति और पत्नी के बीच मानहानि की कायवाही नहीं हो सकती।

प्रश्न ५७ — टिप्पणी लिखिये—

(अ) अपमानकारी लेख या वचनों की पुनरुक्ति।

(ब) निगम (Corporation) की मानहानि।

(स) किसी वग विशेष की मानहानि।

उत्तर—(अ) अपमानकारी लेख या वचनों की पुनरुक्ति — यदि कोई अपमानकारी लेख या वचन इस प्रकार का है कि वह स्वयं मूलतः अपमानकारी नहीं था किन्तु इसकी पुनरुक्ति (Repetition) क्षतिपूर्ण है तब एसी अवस्था में उस अपमानकारी लेख या वचन का मूल लेखक या वक्ता क्षतिपूर्ति देन का उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि वह व्यक्ति जो उनकी पुनरुक्ति करने वाला है क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं —

(१) जबकि अपमानकारी शब्दों के मूल वक्ता न अपमानकारी शब्द इस उद्देश्य से कहे हो कि वे प्रायः व्यक्तियों द्वारा दोहराए जाएं।

(२) जबकि मूल वक्ता द्वारा कहे गए अपमानकारी शब्द इस ढंग से कहे गए हों कि उनकी पुनरुक्ति अवश्यभावो हो।

कानून के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरुक्ति को एक नया प्रकाशन माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक समाचार पत्र में किसी व्यक्ति की मानहानि करने के लिए कोई कथन प्रकाशित होता है और वह फिर छपा तो प्रत्येक बार का छपना एक नया प्रकाशन माना जाएगा। लेकिन स्मरण रहे कि समाचार पत्र का वचन वाला समाचार पत्र में छपे अपमानकारी लेख के लिए उत्तरदायी नहीं है पर यदि वह उस अपमानकारी लेख को चिल्ला चिल्ला कर दोहराता है तो वह भी उत्तरदायी समझा जाएगा।

(ब) निगम (Corporation) की मानहानि — निगम एक कानूनी व्यक्ति (Fictitious person) है। इस कारण उसका प्रति घण्टादि की भावना जागृत होना सम्भव नहीं है। अतः उम पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यदि निगम के व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अपमानकारी कथन पर कोई आपत्ति है तो वे इसका प्रतिवाद उपस्थित कर सकते हैं। किसी अपमानकारी लेख के प्रति निगम द्वारा मुकदमा चलाने के लिए यह सिद्ध करना जरूरी है कि उससे निगम की सम्पत्ति को क्षति पहुँची है या उसके व्यवसाय को हानि पहुँची है।

(स) किसी वर्ग विशेष की मानहानि — यदि कोई अपमानकारी लख जिसी वर्ग विशेष के विषय में प्रकाशित किया गया है तो उस वर्ग का कोई एक सदस्य ऐसे अपमानकारी लख के विरुद्ध साधारणतया मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि मुकदमा दापर करने के लिये यह न सिद्ध कर सके कि उस लख से विशेष कर उसके ऊपर एक आक्षेप है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति ने लिखा कि सभा डाक्टर क्रूर और अविद्वंसनीय होते हैं तो कोई डाक्टर विशेष इस लख के लिए मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर सके कि जिस सदस्य में वह लख प्रकाशित किया गया है उससे उसके ऊपर आक्षेप हुआ है। लेकिन यह नियम उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा जब कि किसी वर्ग विशेष में केवल दो चार व्यक्ति ही हों।

प्रश्न ५८ — 'क' एक अपमानकारी पत्र 'ख' के नाम लिखता है जिसमें वह 'ख' पर कुछ मिथ्या आरोप लगाता है और 'ख' के पते पर भेज देता है। वह पत्र 'ख' के व्यक्तिगत सहकारी (personal assistant) को मिलता है जो उस पत्र पर 'ख' के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए पेश कर देता है। 'ख' 'क' के विरुद्ध मानहानि का दावा करता है।

क्या 'क' 'ख' की मानहानि के लिए उत्तरदायी है ?

उत्तर समस्या — प्रस्तुत समस्या में 'ख' की मानहानि के लिए 'क' उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि 'क' के द्वारा भेजे गए अपमानकारी पत्र का कानूनी अर्थों में प्रकाशन नहीं हुआ। 'क' ने 'ख' के पते पर सीधा पत्र भेजा था जो 'ख' के व्यक्तिगत सहकारी को नहीं पढ़ना चाहिए था।

प्रश्न ५९ — गवाह का बयान कराते हुए कम्पनी के वकील ने उससे पूछा "क्या यह सच है कि वह कम्पनी शहर की सबसे बड़ी कम्पनी है ?" गवाह ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन तभी प्रतिपक्षी के वकील ने रिमार्क किया, "और वह शहर की सबसे बेईमान संस्था है।" कम्पनी ने प्रतिपक्षी के वकील पर मानहानि का दावा किया। क्या प्रतिपक्षी का वकील उत्तरदायी है ?

उत्तर—समस्या — न्यायिक कार्यवाही — (Judicial proceedings) के दौरान में कहे गए अपमानकारी बयान और उनके कहने वाले को कानूनी उम्क्ति प्राप्त होती है। वे सम्पूर्ण विशेषाधिकृत सदन (Absolute privileged communication) कहनात हैं। अतएव ऐसे अपमानकारी बयानों के लिए गवाह, वकील, गवाह एवं पक्षकारों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक प्रमुख मामले में यह निष्पत्ति दी है कि गवाह का बयान होत समय प्रतिपक्षी के वकील का

अपमानकारी रिमाक उसके भविकल के हिन में नही कहा जा सकता और न उसके वानूनी वक्तव्यों के पालन मे ही किया गया समझा जा सकता है। अतएव वह ऐसे अपमानकारी रिमाक के लिए मानहानि का उत्तरदायी है। [बहस प्रति वच्चा लान, ५१ इनाहावाद ५०६]

प्रश्न ६० — 'क' अपने एक सार्वजनिक भाषण मे यह कहता है कि सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं। 'ख' जो एक वकील है और 'क' के भाषण के समय बैठक में उपस्थित रहता है, 'क' के विरुद्ध मानहानि का दावा करता है। क्या 'ख' का दावा चलने योग्य है ?

उत्तर—समस्या —वानून का सामान्य नियम यह है कि यदि कोई अपमानकारी वचन किसी वग विशेष के विषय में कहा गया है तो उस वग का कोई एक सदस्य ऐसे वचन के विरुद्ध साधारणतया मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर सके कि वह अपमानकारी वचन विशेष कर उसके ऊपर एक आरोप है। 'ख' भाषण के समय बैठक में उपस्थित था। अतएव इस सम्भावना के लिए स्थान है कि 'ख' पर आरोप करने के लिए 'क' ने अपने भाषण में वकील वग के विरुद्ध अपमानकारी वचन बोला हो। 'क' की मालोचना न तो सावजनिक हित में कही जा सकती है और न बिना द्वेषपूर्ण मानी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में 'ख' का दावा 'क' के विरुद्ध चलने योग्य है।

पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्य (TORTS TO DOMESTIC RELATIONS)

प्रश्न ६१ — पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण कीजिये ।

उत्तर — पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण — ऐसे क्षतिपूर्ण कृत्य जो पारिवारिक सम्बन्धों को क्षति पहुँचाते हैं पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति क्षतिकृत्य कहे जाते हैं । इन क्षतिकृत्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में रख सकते हैं —

(१) दाम्पत्य अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to marital rights),

(अ) परपत्नी का अपहरण (Abduction of another's wife),

(ब) परपत्नी का गमन (Adultery), एवं

(स) परपत्नी को शारीरिक क्षति पहुँचाना (Causing bodily injury to another's wife) ।

(२) मातृ पितृ अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to parental rights)

(३) स्वामी के अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to Master's rights) ।

प्रश्न ६२ — दाम्पत्य अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्यों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिये

उत्तर — दाम्पत्य अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य — पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे की सेवाएँ का उपभोग करने का जन्मजात अधिकार है । जो व्यक्ति पति या पत्नी के इस अधिकार को भंग करता है वह कानून की दृष्टि में एक क्षतिपूर्ण कृत्य करता है और क्षतिपूर्ति देने का उत्तर दायी होने के साथ साथ कभी कभी दण्ड का भी भागी होता है । दाम्पत्य अधिकारों को सामान्यतः तीन प्रकार से भंग किया जा सकता है जिनका विवरण निम्नलिखित है —

(१) पर पत्नी का अपहरण (Abduction of another's wife) — यदि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को बहकापुत्रता कर धाने से या दत्तपुत्रक भगा ले जाय और इस प्रकार पति की पत्नी को मगाना ग यत्नि कर देता पति भगाने वाला व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री को पति का कोई व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ से प्रचिन कर देता पत्नी को भी अपहरण होगा कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने नि उक्त पति का उससे वचित किया है क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाय। इससे साथ साथ यह बात भी स्मरणयोग्य है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी श्रेष्ठिय के किसी व्यक्ति की पत्नी को उससे अलग रहने को प्रेरित करता है तो भी वह पति के विरुद्ध अनुचित दण्ड करता है और इस दण्ड के लिये क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। लकिन उस व्यक्ति का पत्नी का एक प्रेरित करने के परिणाम स्वरूप पत्नी पति के सहवास (Co-habitation) से दूर हा जाना चाहिये [ब्रिटेन प्रति समुचित फावम एंड कम्पनी, (१९५२) ए० सी० ७१६]

भारतीय कानून के अनुसार यह तथ्यहीन है कि जिस समय पत्नी को उसके पति के घर से मगाना गया उस समय उसका पति उसी नगर में जिसमें कि पत्नी थी, था या नहा। [गोभाराम प्रति टाकाराम (१९१६) ५५ इलाहाबाद, ६०३]

(२) पर पत्नी गमन (Adultery) — भारत में पर पत्नी गमन (Adultery) भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा ४८७ के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध में यद्यपि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं किन्तु कुछ कारणों के कारण बसल पुरुष ही अपराधी माना जाता है। इंग्लैंड में यदि कोई पुरुष दूसरे की पत्नी के साथ पति की अनुमति के बिना समागम (Sexual Intercourse) करता है तो वह दंड का भागी न होकर उस स्त्री के पति की क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होता है। भारत में यह दंडनीय अपराध है। विवाहित स्त्री केवल अपना उचित अथवा पति की अनुमति के बिना पर पुरुष से समागम करने के लिये स्वतंत्र नहीं है। यह बात भी स्मरणयोग्य है कि कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री पर इस बात के लिये क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चला सकता कि उसने उसके पति के साथ समागम किया है।

कानूना और पर प्रत्येक पति की अपनी पत्नी के साथ समागम करने का अधिकार है। यह अधिकार में प्रेम भावना हा या न हा, और जो व्यक्ति पति की अनुमति के बिना उसकी पत्नी के साथ समागम करता है वह पति के उक्त कानूनी

अधिकार को भंग करता है और पति को क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी है।
[बारलॉ प्रति बार्लेस (१९१६) १७२ कलकत्ता ६८]

(३) पर पत्नी को शारीरिक क्षति पहुँचाना (Causing bodily injury to another's wife — इसल इ के सबसेधारण कानून (Common Law) के अंतगत प्रत्येक पति का अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी का शारीरिक क्षति पहुँचायता वह उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चला कर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पत्नी को भी इसका समवक्ष अधिकार प्राप्त है। घातक दुर्घटना अधिनियम (Fatal Accidents Act) के अंतगत यह प्राविधान है कि यदि शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप पत्नी या पति की मृत्यु हो जाय तो मृतक को पत्नी या पति, जैसा भी हो, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

प्रश्न ६३ — मातृ पितृ अधिकारों (Parental rights) के प्रति क्षतिकृत्यों पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

उत्तर — मातृ पितृ अधिकारों के प्रति क्षतिकृत्य — माता पिता को अधिकार है कि उन्हें अपने बच्चों को सेवा सदा उपलब्ध रहे। कानून की दृष्टि से माता पिता का यह अधिकार ठीक उसी प्रकार का है जैसा स्वामी का अधिकार सेवक के प्रति होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की लड़की या लड़के को बहका कर माता पिता को उनकी सेवामें संचित कर दे तो वह माता पिता को क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी होगा। कानून के अंतगत प्रत्येक वह लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहती हो माता पिता की सेवा में मानी जाती है। इसीसे वह एक बच्चे की अधिनाहृत लड़की यदि किसी अन्य सेवा में नहीं है तो वह अपने माता पिता को सेवा में मानी जाती है। इस सदन में एक प्रमुख मामला उल्लेखनीय है। इस मामले की घटनायें इस प्रकार हैं कि एक लड़की नीचरोस हटाय जानक बाद अपने पिता के घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसकी बहकाया गया (Seduced)। लड़की के पिता ने वहकान काल में विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि पिता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। [टरी प्रति हटकिनसन, १८६८ एन० आर० ३ वृ० बी० ५६६

माता पिता को उनके बच्चों की सेवा में किसी प्रकार संचित कर देना क्षतिकृत्य कानून के अंतगत अधिनीय है। ऐसे मामले में यह सिद्ध करना जरूरी है कि बच्चा माता पिता को सेवा में था और प्रतिवादी ने उसकी सेवा से माना पिता को संचित कर दिया। [वीचम प्रति जेम्स (१९३७) २ व० बी० ५२७]

प्रश्न ६४—स्वामी के अधिकारों के प्रति क्षतिपूर्तियों का विवरण दीजिये।

उत्तर — स्वामी के अधिकारों के प्रति क्षतिपूर्ति — प्रथम स्वामी को अपने सबका व मकराभावा समार्य प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है और जो व्यक्ति किसी स्वामी का उसके सबका व मकराओं की सेवाओं में बचित करता है वह स्वामी के उक्त अधिकार का भंग करता है और इसलिये क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी माना जाता है। स्वामी का अपने मेवकों व सेविकाओं की सेवाओं से निम्नलिखित तीन प्रकार में बचित किया जा सकता है —

(१) सबक या सेविना का कारावामित करक या उसको चाट पहुँचा कर भाहन करक जिससे कि वह सेवा करने में प्रमथ्य हो जाए।

(२) सबक या सेविका को प्रतीभन देकर स्वामी को नौकरा से हटा देना।

(३) ऐसे सबक या सेविका का जिनमें कि अपने स्वामी को नौकरी अनुचित ढंग से छोड देा है, क्षरण देना।

यदि किसी व्यक्ति ने किसी स्वामी की सेविका को बहकाकर उस स्वामी को उस सेविका की सेवाओं से बचित किया है तो क्षतिप्राप्त स्वामी को क्षतिकर्ता के विरुद्ध मुकदमे में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि (क) जिस समय स्वामी को अपने सेविका को मेराभावा बचित किया गया उस समय सेविना स्वामी के पास किसी सेविना की क्षती के क्षानगत काय कर रही थी, तथा (ग) बहकाव (Seducion) व परिणाम स्वयं सेविका स्वामी की सेवा करता प्रमथ्य हो गई। व बात को सिद्ध करना चाहिए कि बहकावे व परिणाम स्वयं काया का सिद्ध क्षति (Special damage) पहुँचा।

बहकाव का क्षय बवल सेविना व नौकरी छोडकर क्षयय चन जान मात्र का नहीं है, बल्कि सेविका को व्यामचार आदि व लिय उदमान का भी क्षति है।

प्रश्न ६५ — बहकावे के मामले में क्षतिपूर्ति का निर्धारण (Assessment of damage) किस आधार पर होता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर — बहकावे के मामले में क्षतिपूर्ति का निर्धारण — बहकावे व मामले में यामानय मामादत उगाहरणीय क्षतिपूर्ति (Exemplary damage) प्रदान करता है। बहकावे के क्षय में केवल बहकावा मात्र हा सम्मिलित नहीं है बल्कि बहकाई हुई लक्ष्मी को दुराचार और व्यभिचार करने के लिय प्रेरित

करना नो है। अनन्त क्षतिपूर्ति निर्धारित करते समय इस पर भी विचार किया जाता है कि लक्ष्मी व प्रति किय मर दुःखमहार से लड़वा व पिता का मामिक कष्ट तथा क्षमता भी हुआ है। वहकाने यान यति व साथ -वभिचार करने से लड़की गमना भी हो सकती है। अनन्त क्षतिपूर्ति देते समय उमकी हानि वाली जारज ममान क पावन पावण क उव का नो ध्यान रखा जाता है। इससे मन्त्रिक मामले की मय परिस्थिति पर भी विचार किया जाता है।

सत्यता व परिस्थिति पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्य

WRONGS AFFECTING FREEDOM AND STATUS

(अ) द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution)

प्र० ६६—द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution) की परिभाषा देते हुए इन तर्कों की व्याख्या कीजिए जिन्हें क्षतिपूर्ति के मुकदमे में सिद्ध करना वादी के लिए नितान्त आवश्यक है।

उत्तर—द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious Prosecution) —द्वेषपूर्ण अभियोग से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर फौजदारी या दिवालिया सम्बन्धी निराधार व मिथ्या आरोप लगाकर निष्फल कारवाही करने से है।

द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में वादी को जिन तर्कों को सिद्ध करना नितान्त आवश्यक है उनकी व्याख्या नीचे की जा रही है —

(१) प्रतिवादी द्वारा अभियोग चलाना (Prosecution by the defendant)—द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए सब प्रथम वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी न वादी के विरुद्ध अभियोग चलाया, अर्थात् प्रतिवादी के विरुद्ध चलाए गए अभियोग में अभियोक्ता (Prosecutor) था। अभियोक्ता कानून की दृष्टि में वह व्यक्ति है जो अभियोग का न्यायात्मक रूप में प्रयोग करता है। उदाहरणार्थ, यदि मैं किसी व्यक्ति से यह कहूँ कि मेरी घड़ी चोरी क्लो गई है और मैं कुछ देर पहले उस घड़ी को असुरक्षित व्यक्ति के पास देना है। यदि यह सूचना पात में सडा कोई अधिकारी सुन ले और उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चला दे ता ऐसी परिस्थिति में मैं अभियोक्ता नहीं कहा जाऊंगा। लेकिन यदि मैं जान बूझ कर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दज करा दूँ और उस पर उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाया जाए ता मैं अवश्य अभियोक्ता कहनाऊंगा। यदि प्रतिवादी न स्वयं या अपने अधिवृत्त एजेंट अथवा वकील द्वारा आरोप लगाया है ता वह स्वयं उनक परिणाम के लिए उत्तरदायी है। [पब्लिक प्रॉटिवाटसन (१८४१) ८ एम० एण्ड डब्लू० ६६१]। अभियोक्ता के प्रत्येक विचार करने के लिए प्रतिवादी का अभियोग से पहले और अभियोग के बाद में किया गया व्यवहार

विशेष रूप से विचारणीय होता है। [गया प्रसाद प्रति भगत सिंह, आई० एल० नं० ३० इलाहाबाद, ५, २५]

फौजदारी के मामला में केवल आरोप पत्र का मजिस्ट्रेट व समक्ष पेश करना अभियोग का चलना नहीं कहा जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट उस आरोप पत्र को प्रारम्भिक गवाहों के आधार पर बिना प्रतिपक्षी की तलबी किए खारिज करदे तो प्रतिवादी द्वारा अभियोग चलाया जाना नहीं सम्भवा जा सकता। लेकिन यदि उसके कारण प्रतिपक्षी की तलबी हुए बिना भी उस किसी प्रकार की क्षति पहुँची है तो आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाला उसका क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। पटना उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय दिया है कि जब कि प्रतिवादी के आरोप पत्र प्रस्तुत करने से वादी की तलबी तो नहीं हुई और आरोप पत्र खारिज कर दिया गया किन्तु उसके मकान की तलाशी हुई इसलिए वह वादी की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी है। [जय पाण्डे प्रति जलघारी रावत, ४ पी० एल० डब्ल्यू० ६८]

दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा ४७६ के अन्तर्गत की गई कायवाही अभियोग सम्झी जाती है और अभियोक्ता उसके लिये उत्तरदायी है।

(२) अभियोग में वादी की जीत होना (Favourable termination of prosecution) — वादी का द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में यह सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि प्रतिवादी द्वारा चलाय गया अभियोग का निणय उसका (वादी के) पक्ष में हुआ। लेकिन जब कि अभियोग का निणय वादी के पक्ष में तो हुआ हो किन्तु निणय एकतरफा (Ex parte) हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वादी ऐसे अभियोग के निणय के आधार पर भी द्वेषपूर्ण अभियोग का मुकदमा चला सके।

द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में दावे का कारण उस द्वेषपूर्ण मुकदमे के चलने की प्रारम्भिक तारीख से पैदा नहीं होता बल्कि वादी के पक्ष में उसके निणय की तारीख से पैदा होता है।

(३) अभियोग में निराधार व मिथ्या आरोप लगाना (Prosecution on the basis of false accusations or without reasonable or probable cause) — वादी को यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी ने उसके विरुद्ध या अभियोग चलाया उसमें जो आरोप वादी पर लगाय गये वे सब निराधार व मिथ्या थे। वादी का यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी को उन आरोपों के निराधार व मिथ्या होने का पुरजान था और उसने

भावजू इसके वादी पर अभियोग चलाया। यदि प्रतिवादी आरोपी के सत्य व साधार होने को दलील देता है तो उसे सिद्ध करने का भार उसके ऊपर होता है, अन्यथा वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व असत्य थे।

(४) द्वेष (Malice) — जिस अभियोग की वादी द्वेषपूर्ण बताता है उसे द्वेषपूर्ण सिद्ध करना वादी की जिम्मेदारी है। द्वेषपूर्ण कृत्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को क्षति पहुँचाना रहता है। ऐसा होना भी सम्भव है कि कोई कानूनी कायवाही प्रारम्भ से ही द्वेषपूर्ण न हो किन्तु वह कायवाही कुछ भागे चल कर द्वेषपूर्ण हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में यदि अभियोक्ता को यह ज्ञान हो जाये कि वह कायवाही द्वेषपूर्ण है किन्तु फिर भी वह उस कायवाही को अग्रसर करने में क्रियाशील रह तो कहा जायगा कि वह अभियोग प्रारम्भ में द्वेषपूर्ण नहीं था पर जाये चल कर द्वेषपूर्ण हो गया। ऐसी कायवाही के लिए भी द्वेषपूर्ण अभियाग का मुकदमा चलाया जा सकता है।

(५) क्षति (Damage) — द्वेषपूर्ण अभियोग के साधारण पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि वादी यह सिद्ध करे कि प्रतिवादी ने उस पर जो द्वेषपूर्ण अभियाग चलाया उसका परिणाम स्वरूप उसका क्षति पहुँची है। वह क्षति शरीर, सम्पत्ति या कीर्ति आदि किसी व भा प्रति किसी भी प्रकार की पहुँची हो।

। प्रश्न ६७ — द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious prosecution) और मिथ्या कारावास (False Imprisonment) में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर — द्वेषपूर्ण अभियोग (Malicious prosecution) और मिथ्या कारावास (False Imprisonment) में अन्तर — द्वेषपूर्ण अभियोग और मिथ्या कारावास में अन्तर जानने के लिए निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं —

(१) द्वेषपूर्ण अभियोग से तात्पर्य जान बूझ कर मिथ्या आरोप लगा कर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का होता है, किन्तु मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाने का कहत है।

(२) द्वेषपूर्ण अभियोग में जाने को यह सिद्ध करना होता है कि वास्तव में ऐसी परिस्थिति जिसमें उस पर अभियाग चलाया गया मौजूद नहीं थी, किन्तु मिथ्या कारावास में यह सिद्ध करने का भार (burden of proof) प्रतिवादी पर रहता है कि वह वास्तव में किसी व्यक्ति को कारावासित करते समय अपन को ऐसा करने

के लिए कानूनी रूप से समय समझना था, अर्थात् उस अपराध के घटने का घोरित्व स्वयं सिद्ध करना चाहिये।

(३) द्वेष पूर्ण अभियोग के वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने द्वेष को भावना से प्रेरित होकर उसका अपराध अभियोग चलाया, किन्तु द्वेष (Malice) मिथ्या कारावास की बायबाही का आवश्यक तत्व नहीं है।

(४) क्षति (Damage) द्वेषपूर्ण अभियोग की बायबाही का आधार है पर मिथ्या कारावास की बायबाही का नहीं है।

प्रश्न ६८ — 'क' ने 'ख' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर एक निराधार व मिथ्या आरोपपत्र भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा ४०० के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने 'क' का शपथपूर्वक जमान लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा २०२ का सबूत 'ख' की उपस्थिति में देने का आदेश दिया। इस आदेश के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के आधार पर 'ख' उक्त सबूत की तारीख पर अपने वकील के साथ उपस्थित हुआ और उसे वकील के शुरुकादि में व्यय करना पड़ा। मजिस्ट्रेट ने उक्त सबूत के आधार पर यह निष्पत्ति दिया कि 'ख' के विरुद्ध किसी अपराध का किया जाना साबित नहीं होता और इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २०३ के अन्तर्गत 'क' का आरोप पत्र रद्द कर दिया गया। 'ख' ने 'क' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। 'क' ने वकील की कि कानून के अन्तर्गत अभियोग का चलना नहीं माना जा सकता।

क्या 'क' की दलील न्यायसंगत है ?

उत्तर — समस्या — द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने उक्त विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग चलाया। पीड़ित की कानूनी बायबाही किसी कारण विवेक पर पहुँच कर ही अभियोग माना जाती है, यह माप मूल नहीं है, बल्कि यदि उक्त प्रतिवादी को किसी प्रकार भी, किसी भी प्रकार भी, किसी भी कारण पर क्षति पहुँची है तो वह द्वेषपूर्ण अभियोग के अन्तर्गत आती [मोहम्मद अमीन प्रति योगेंद्र कुमार बनर्जी] प्रस्तुत मामले में 'क' को कारावाही से 'ख' को क्षति पहुँची। अतएव कानून की दृष्टि में 'क' के द्वारा अभियोग चलाया जाना माना जाएगा और उसको

यह दलील कि वानून के अंतर्गत मामले की परिस्थितियाँ म अभियाग का चलना नहीं माना जाना चाहिये, 'चायसगन नहीं है।

प्रश्न ६६—'क' के आरोप पत्र पर मजिस्ट्रेट ने 'ख' के विरुद्ध समन और तलाशी का वारन्ट (Search warrant) जारी करने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि समन व तलाशी का वारन्ट जारी किया जा सके 'ख' न्यायालय में उपस्थित हो गया और उसकी सुनवाई पर मजिस्ट्रेट ने अपना पूर्वादेश रद्द कर दिया।

क्या 'ख' 'क' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है ?

उत्तर — समस्या — वानून के अंतर्गत प्रस्तुत मामले म अभियोग का चलना उसी समय से माना जायगा जिस समय मजिस्ट्रेट ने 'ख' का समन व तलाशी का वारन्ट जारी करने का आदेश दिया। यह बात तथ्य हीन (Immaterial) है कि 'ख' पहले ही न्यायालय म उपस्थित हो गया और उसका समन व तलाशी का वारन्ट जारी न हो सका। यदि 'ख' द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के आवश्यक तत्त्व—द्वेष, आरोप का निराधार व मिथ्या होना, क्षति, इत्यादि सिद्ध करने में समर्थ है तो वह 'क' के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोग के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाकर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

(२) द्वेषपूर्ण दीवानी कार्यवाही (Malicious Civil Proceedings)

प्रश्न ७०— क्या द्वेषपूर्ण दीवानी कार्यवाहियाँ (Malicious Civil proceedings) के लिए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही हो सकती है ? विवेचना कीजिये।

उत्तर — द्वेषपूर्ण दीवानी कार्यवाही (Malicious Civil Proceedings) — यदि कोई दीवानी का वाद (Suit) द्वेषपूर्ण भावनास प्रेरित होकर किया गया है तो उसका लिए अलग म क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) का धारा ३५ (अ) में बतलाया है कि यह व्यवस्था है कि न्यायालय एक वाद म जीवन वाप का विनाश गतिपूर्ति भी क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि यदि एक वाद के परिणामस्वरूप किसी की प्रतिष्ठा (Reputation) की क्षति पहुँचा है अथवा उसकी द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की कुर्बानी (Attachment) आदि हुई है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए अलग से कार्यवाही कराने का भी अधिकारी है। [भूतनाथ चटर्जी प्रति नियमनी दासो, (१९४४) २ कलकत्ता ३५८]। द्वेषपूर्ण

अस्थायी आदेश प्राप्त करने पर भी क्षतिपूर्ति के लिए मुद्दमा चलाया जा सकता है।

(स) कानूनी आदेशों का दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes)

प्रश्न ७८ — कानूनी आदेशों के दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes) से क्या तात्पर्य है ? निर्णयों से अधिकृत व्याख्या कीजिए।

उत्तर — कानूनी आदेशों का दुरुपयोग (Abuse of Legal Processes) — कानूनी आदेशों का दुरुपयोग तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर निराधार कारणों से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानून को गति देता है। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि यदि कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिए उचित आधारों का अभाव है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी कार्यवाही करने वाले ने द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर वह कार्यवाही की है। [साउन प्रति हाउक्स, (१८६१) के० एण्ड बो० ७१८]। कानूनी आदेशों के दुरुपयोग के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी का कार्यवाही का निष्पत्ति वादी के पक्ष में हुआ। [त्रिकोलस प्रति शिवरामा अम्बर, (१९२२) ४५ मद्रास ५२७]।

भारत में डिक्री के निष्पादन में की गई क्षतिपूर्ण कुर्की को जिम्मेवारी डिक्रीदार के ऊपर होता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ६५ में यह प्राविधान है कि जिस व्यक्ति को अनुचित गिरफ्तारी या उनकी सम्पत्ति की पूर्व निष्पत्ति कुर्की (Attachment before judgment) से क्षति पहुँची हो तो वह उक्त धारा के अन्तर्गत सारांश कार्यवाही (Summary proceeding) में प्रतिफल (Compensation) पा सकता है। यदि वह उक्त धारा के अन्तर्गत प्रतिफल न पा सके तो वह क्षतिपूर्ति के लिए अलग से भी वाद (Suit) प्रस्तुत कर सकता है। (गोवरधन मेघो प्रति बेनी चन्द्रदास (१८७४) २१ इन्डू० धार० ३७५) लेकिन ऐसा वाद उस स्थिति में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जब कि वादी की सम्पत्ति का कुर्की उसका जमानत न दाखिल करने के कारण की गई हो। [रामास्वामी अम्बर प्रति माविन्द विल्ल (१९१५) ३० एम० एल० जे० १८०]

क्षतिपूर्ण कुर्की के लिए क्षतिपूर्ति की घन राशि मुच की गई सम्पत्ति की कुर्की के समय की बीमत्त के बराबर होती है। यदि प्रतिवादी का कृत्य द्वेषपूर्ण और निराधार है तो क्षतिपूर्ति दण्ड (Penalty) और प्रतिफल (Compensation) दोनों रूपों में भी जानी चाहिए।

प्रश्न ७९ — द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी (Malicious arrest) की भारतीय कानून के सद्म में व्याख्या कीजिए।

उत्तर—द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी (Malicious arrest)—द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी से तात्पर्य निराधार दीवानी प्रक्रियाओं (Civil processes without reasonable cause) द्वारा कानून को गति मिला कर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। भारतीय कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार उस समय सम्भ्रमा जाता है जब कि उसे गिरफ्तार करने वाले ने वास्तविक रूप से छुआ या रोका हो। प्रतिवादी के द्वारा कराई गई द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी क्षतिपूर्ति के मुकदमे का कारण होती है। [ग्राहम प्रति हेनरी गुडरे (१६३३) ६० क्लक्ता, ६५५] द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिये कारवाई तब नहीं होगी जबकि प्रतिवादी ने सभी तथ्य गिरफ्तारी का आदेश देने वाले अधिकारी के समक्ष उसके स्वविवेकपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत कर दिए हों। इस प्रकार के क्षतिपूर्ति के मामलों में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि—

- (अ) द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी को कायवाही का अन्तिम निष्पत्ति उसके पक्ष में हुआ,
- (ब) गिरफ्तारी प्रतिवादी ने निराधार कारणों से कराई, और
- (स) पहुँचाई गई क्षति उस क्षति के अतिरिक्त है जिसके लिए प्रतिवादी को क्षति में दिया जा चुका है या दिया जा सकता था।

(द) प्रास्थिति पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्य (Torts affecting Status)

प्रश्न ७३ — प्रास्थिति (status) पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्यों की विवेचना कीजिए।

उत्तर—प्रास्थिति (Status) पर प्रभाव डालने वाले क्षतिकृत्य—कानून ऐसे कृत्यों को जिनसे किसी व्यक्ति को प्रास्थिति (Status) पर प्रतिबन्ध प्रभाव पड़े क्षतिकृत्य मानता है। इस प्रकार क्षतिकृत्य कृत्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं—

(१) जाति से बहिष्कार (Exclusion from caste) — प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि जिस जाति में उसका जन्म हुआ है उसका सदस्य बना रहे। यदि कोई व्यक्ति उसका इन अधिकारों में बाध करता है तो उसका कृत्य क्षतिकृत्य माना जायगा और वह क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होगा। भागदाला के मतानुसार जाति से बहिष्कार व्यक्ति को प्रास्थिति (Status) पर प्रभाव डालने वाला क्षतिकृत्य है और इसीलिए अभियाज्य (Actionable) है।

(२) क्लब या अन्य संस्था की सदस्यता से बहिष्कार (Exclusion from membership of club or association) — प्रत्येक क्लब या अन्य

सस्याए सदस्य बना के लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर देती हैं और प्रत्येक एमी सामाजिक सस्या की कुछ न कुछ अपनी संपत्ति होती है। यह सम्पत्ति साधारणतया सदस्यों की सामूहिक सम्पत्ति मानी जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो सस्या का सदस्यता की निर्धारित शर्तें पूरी करता है उसको अधिकार रहता है कि वह उक्त सस्या का सदस्य बना रह। यदि उसको बिना किसी 'याथाचित कारण के सस्या की सदस्यता से निकाल दिया जाए तो उसे अधिकार होगा कि वह उक्त व्यक्ति के ऊपर जिसने कि उसे सस्या की सदस्यता से वंचित करामा है शक्तिपूर्ति का मुकदमा चलाए। भाववाला के मतानुसार यह अधिकार इस कारण होता है कि सस्या की सदस्यता से वंचित किए जाने के कारण वह व्यक्ति कलव या सस्या की सम्पत्ति पर उसका जो अधिकार है उससे भी स्वतः वंचित हो जाता है। यदि सस्या के पास कोई सम्पत्ति न हो तो इस प्रकार का अधिकार भी उत्पन्न नहीं होता।

(३) पूजा पाठ आदि के अधिकार से वंचित करना (*Exclusion from worship*) — प्रत्येक धर्मावलम्बियों के लिए सामाजिक पूजा-पाठ आदि के वास्ते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजा घर आदि स्थान निर्धारित रहते हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि यदि वह सम्बन्धित धर्म का अनुयायी है तो सामाजिक पूजा पाठ या ईश्वरोपासना आदि कर सके। कानून-पत्तियाँ के इस अधिकार को मान्यता देता है और यदि व्यक्ति के इस अधिकार को भंग किया जाता है तो उसका लिए क्षतिपूर्ति शक्तिप्राप्त व्यक्ति को शक्तिवृत्त्य कानून के अन्तर्गत शक्तिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है।

सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य

(TORTS TO PROPERTY)

(अ) अचल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य

(Torts to Immovable Property)

प्रश्न ७४ — अचल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण कीजिये।

उत्तर — अचल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्यों का वर्गीकरण — अचल सम्पत्ति के प्रति किए गए क्षतिकृत्या का निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है —

(१) अनधिकार प्रवेश (Trespass),

(२) वृत्तल या निष्कासन (Dispossession),

(३) भावी उत्तराधिकारी के अधिकारों को क्षति (Injury to reversionary rights),

(४) प्राकृतिक अधिकारों तथा सुवाधिकारों को क्षति (Injury to Natural rights and Easements),

(५) नष्टीकरण (Waste), एवं

(६) बाधा (Nuisance),

प्रश्न ७५ — अनधिकार प्रवेश (Trespass) की परिभाषा देते हुए इस क्षतिकृत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर — अनधिकार प्रवेश (Trespass) — किसी व्यक्ति की भूमि पर अनधिकार प्रवेश करने को या उसकी भूमि के आधिपत्य (Possession) में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने को अनधिकार प्रवेश कहते हैं। रत्नलाल धीरजलाल ने अनधिकार प्रवेश की परिभाषा देते हुए कहा है कि—अनधिकार प्रवेश किसी व्यक्ति की भूमि पर अनधिकार प्रवेश करने या उसके आधिपत्य में किसी प्रकार हस्तक्षेप करने को कहते हैं।” डाक्टर अंडरहिल (Dr Underhill) के मतानुसार अनधिकार प्रवेश में यह आवश्यक नहीं है कि प्रवेशकर्ता क्षति का प्रयोग करे

घोर न हो सतिपूर्ण इरादा (Wrongful intention) या वास्तविक सति (Actual damage) का होना अनिवार्य है। सधेन म कहा जा सकता है कि अय यति न सम्पत्ति प्रति किया गया छोट से छोटा अनुचित कृत्य अनधिकार प्रवेश के अतगन आ जाना है यदि उगने सम्पत्ति के स्वामो त प्राधिपत्य मे हस्तनेप होता हो। [एक्टव प्रति कैरिगटा, १७६५, १८ एस० टी० १०२६]

अनधिकार प्रवेश क सधन म यह बात स्मरणीय है कि जो यक्ति भूमि के पटल (Surface of the land) का स्वामो है वह भूपटल के नीचे की भूमि (Underlying strata) का भी स्वामो है। यदि कोई व्यक्ति भूपटल के कितने भी नीचे क भाग म अनधिकार हस्तक्षेप करता है तो वह अनधिकार प्रवेश का बना माना जाएगा। यह भी स्मरणीय है कि यदि किसी यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति नी भूमि पर किसी निश्चित समय तक ठहरो की अनुमति प्राप्त हुई है और वह व्यक्ति, जितने समय की अनुमति मिली है, उसके बाद भी भूमि पर ठहरा रहता है तो ऐसा यक्ति उस समय की अनुमति मिली है, उसके बाद भी भूमि पर ठहरा अनधिकार प्रवेश के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनधिकार प्रवेश जब तक कायम रहेगा सतिप्राप्त यक्ति तब तक प्रत्येक दिन के लिये सतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा, क्योंकि अनधिकार प्रवेश एक बार किए जाने पर जब तक जारी रहे तब तक प्रत्येक दिन वह एक नया अनधिकार प्रवेश माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर बूटा फेंक दे तो जब तक वह बूटा वहाँ पर रहेगा तब तक जिस व्यक्ति की भूमि पर बूटा फेंका गया है, प्रत्येक दिन की सतिपूर्ण पान का अधिकारी हागा और बूटे का वहाँ पर रहना प्रत्येक दिन एक नया अधिकार प्रवेश माना जाएगा।

प्रश्न ७६ — यदि कोई यक्ति किसी व्यक्ति की भूमि के वायुमंडल में अनधिकार प्रवेश कर तो क्या उसके इस कृत्य को अनधिकार प्रवेश नामक सतिष्ठय के अन्तर्गत रखा जा सकता है ?

उत्तर — वायुमण्डल में अनधिकार प्रवेश (Aerial trespass) — डा० अडरहिल (Dr Underhill) का कथा है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि के ऊपर समस्त वायुमण्डल पर पूर्ण अधिकार है, किन्तु यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भूमि के ऊपर के वायुमंडल में अनधिकार प्रवेश करता है तो वह कृत्य अनधिकार प्रवेश की कोटि में रमा जाए या नहीं, यह निश्चित नहीं किया जा सता है। इस प्रकार में जहाँ तब किसी व्यक्ति की भूमि के ऊपर के वायुमण्डल में वायुपान (Aircraft) के उगाने की बात है इस विषय में वायु नीतवर्ण

अधिनियम, १९२० (Air Navigation Act, 1920) ने स्थिति विलुप्त स्पष्ट कर दी है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई वायुयान किसी व्यक्ति की भूमि के ऊपर वायुमण्डल में हाकर उड़ता है तो उस भूमि का स्वामी वायुयान के स्वामी के विरुद्ध अनधिकार प्रवेश के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकता, किंतु यह है कि वायुयान भूमि से पर्याप्त ऊँचाई पर उड़े। यदि वायुयान के उड़ान के समय या उतरते समय भू स्वामी को किसी प्रकार की क्षति पहुँचेगी तो भू-स्वामी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा।

भारत में भी इंग्लैंड के वायु नौनरण अधिनियम (Air Navigation Act) के समान ही भारतीय वायुयान अधिनियम (Indian Aircraft Act) लागू है जिसके प्राविधान सामान्यतः इंग्लैंड के अधिनियम के प्राविधानों के समान हैं। इस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत एक प्राविधान यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति जान बूझ कर किसी व्यक्ति को या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के इरादे से उसकी भूमि के ऊपर वायुयान से उड़ता है तो वह एक अपराधी कृत्य (Criminal offence) करता है तथा ६ महीने के कारावास या एक हजार रुपये अथवा दण्ड या दोनों के लिये जिम्मेदार है।

प्रश्न ७७ — (अ) अनधिकार प्रवेश के आधार पर क्षतिपूर्ति के मुकदमे में वादी को कितनी शक्तें प्राप्त करने की आवश्यकता है ?

(ब) संयुक्त स्वामी (Joint owners) क्या एक दूसरे के विरुद्ध अनधिकार प्रवेश का मुकदमा चला सकते हैं ?

उत्तर — (अ) अनधिकार प्रवेश का मुकदमा — अनधिकार प्रवेश के आधार पर उपस्थित किए गए वाद में वादी को निम्नलिखित बातें सिद्ध करना चाहिए —

(१) यह कि जिस समय अनधिकार प्रवेश किया गया उसका भूमि पर वास्तविक अधिकार था, तथा

(२) यह कि उसके अधिकार में प्रवेश एक अनधिकार प्रवेश किया गया।

वादी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि इन प्रकार के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप उसको वास्तविक हानि पहुँची, क्योंकि अनधिकार प्रवेश स्वतः अभियोग्य (Actionable per se) क्षतिवृत्त्य है।

(ब) संयुक्त स्वामी का दायित्व — संयुक्त स्वामी (Joint owners) भी एक दूसरे पर अनधिकार प्रवेश का मुकदमा चला सकते हैं यदि उनमें से किसी ने संयुक्त स्वामित्व (Joint ownership) की शर्तों का उल्लंघन किया है।

प्रश्न ७८ — अनधिकार प्रवेश के विरुद्ध जाने की क्या उपाय ('remedies') उपलब्ध हो सकते हैं ?

उत्तर — उपाय (Remedies) — अनधिकार प्रवेश के विरुद्ध जाने का निम्नलिखित ही उपाय (Remedies) उपलब्ध हो सकते हैं —

(१) वह प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है, या

(२) वह बलपूर्वक अपने अधिकार (Possession) का रक्षा कर सकता है और अनधिकृत प्रवेशकर्ता का अपनी भूमि से बलपूर्वक हटा सकता है, या

(३) वह प्रतिवादी के विरुद्ध 'आज्ञा' (Injunction) जारी कराने सम्भावित अनधिकार प्रवेश का रक्षा सकता है तथा पहले किए गए प्रवेशकर्ता के हस्त की समाप्ति रक्षा सकता है।

प्रश्न ७९ — अनधिकार प्रवेश के मुकदमे में प्रतिवादी को अपने बचाव (Defence) की क्या दलील उपलब्ध हो सकती हैं ?

उत्तर — उपाय (Defence) की दलील — अनधिकार प्रवेश के आधार पर बनाए गए मुकदमे में प्रतिवादी अपने बचाव में निम्नलिखित दलीलें दे सकता है —

(१) चिरभोगाधिकार (Prescription) — प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील दे सकता है कि जिस भूमि पर प्रवेश करने के आरोप में उस पर अनधिकार प्रवेश का मुकदमा चलाया गया है उस भूमि पर उसको चिरभोग के कारण प्रवेश करने का अधिकार था।

(२) अनुमति एवं अनुज्ञा (Leave and Licence) — जाने की अनुमति बंधन अनुज्ञा के अन्तर्गत प्रतिवादी ने उसकी भूमि पर प्रवेश किया, प्रतिवादी के बचाव की एक अच्छी दलील है। यह अनुमति बंधन अनुज्ञा प्रत्यक्ष या लिखित रूप में (Express) हो सकती है बंधन अनुज्ञा (Implied) भी हो सकता है।

(३) कानूनमय अधिकार (Authority under law) — इसमें कानूनी प्रक्रिया (Legal process) के अन्तर्गत किया गया प्रवेश तथा सार्वजनिक आवश्यकता के कामों (Acts of Public necessity) में किया गया प्रवेश आता है जो कानून का दृष्टि में अनधिकार प्रवेश नहीं माना जाता, किन्तु वह धार्मिक दायित्व के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार प्रतिवादी के लिए यह एक अच्छी बचाव की दलील है कि उसने जाने का भूमि पर सार्वजनिक आवश्यकता के कारण प्रवेश किया। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के मकान में आग लग गई हो और

भाप भाग बुझाने के लिए उसकी भूमि पर उसकी अनुमति के बिना प्रविष्ट हो जाएँ तो ऐसा प्रवेश अनधिकार प्रवेग नहीं कहा जाएगा।

(४) भूमि पर पुन प्रवेश (Re entry on land) — जो व्यक्ति अपनी भूमि से बिना किसी औचित्य के बेखल या निष्वासित कर दिया गया हो और वह अपनी भूमि पर पुन प्रवेग कर ले तो उसका वह पुन प्रवेग अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(५) चल सम्पत्ति की पुनप्राप्त (Retaking of goods) — यदि कोई व्यक्ति किसी की चल सम्पत्ति अपनी भूमि पर ले गया है तो जिस व्यक्ति की वह सम्पत्ति है उस अधिकार है कि उस सम्पत्ति को वापस लाने के लिए सम्पत्ति ले जाने वाले व्यक्ति को भूमि पर प्रवेग करे। ऐसा प्रवेग अनधिकार प्रवेश नहीं कहा जाएगा।

(६) बाधा को समाप्त करने के लिए प्रवेश (Abatement of Nuisance) — किसी की भूमि पर बाधा (Nuisance) को हटान या कम करने के लिए जाने वाले व्यक्ति का प्रवेग अनधिकार प्रवेग नहीं कहा जाएगा।

(७) सुखाधिकार (Easement) — जिस व्यक्ति की भूमि पर अन्य व्यक्ति को सुखाधिकार (Easement) प्राप्त है उस व्यक्ति को भूमि पर वह अन्य व्यक्ति प्रवेग कर सकता है, किंतु यह अधिकार केवल आवश्यकता पडन पर, अर्थात् जिस आवश्यकता के लिए वह सुखाधिकार प्राप्त है, प्रयुक्त किया जा सकता है।

परन ८०—अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से) (Trespass ab initio) को व्याख्या कीजिए।

उत्तर—अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से)—जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिष्ट रूप से प्रवेश करता है किंतु भूमि पर प्रवेश करने के बाद वहाँ पर कोई ऐसा कार्य करता है जिसको करने का उस अधिकार नहीं दिया गया था तो उस व्यक्ति का प्रवेग आरम्भ से ही अनधिकार प्रवेग (Trespass ab initio) माना जाता है। लेकिन यदि प्रवेशकर्ता न भूमि के स्वामी या बन्धेदार की अनुमति से भूमि पर प्रवेश किया था न कि बानून द्वारा अनुमति पाकर, तो प्रवेशकर्ता का प्रवेश आरम्भ से ही अनधिकार प्रवेग नहीं कहा जाएगा।

अनधिकार प्रवेश (आरम्भ से) के लिए निम्नलिखित बातों का पूरा होना जरूरी है —

(१) यह कि प्रवेश बानूनगत अधिकार से किया गया, व्यक्ति की अनुमति से नहीं, तथा

(२) प्रवेश करने के बाद का वृत्त्य गैरकानूनी ढंग से किया गया ।

दूसरी बात के विषय में यह जान लेना जरूरी है कि किसी गैरकानूनी वृत्त्य का किया जाना (Malfeasance) एक बात है और किसी वृत्त्य का गैरकानूनी ढंग से किया जाना (Misfeasance) एक दूसरा बात है तथा किसी वृत्त्य को करने अथवा न करने के कानूनी कर्तव्य को अवहेलना करना (Nonfeasance) एक अर्थ बात है। अनधिकार प्रवेश (घारम्भ से) के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि प्रवेगकर्ता ने प्रवेग करने के बाद का काय कानूनी ढंग से नहीं किया। इस सम्बन्ध में ६ बढइयो का मुकदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि एक बार ६ बढई एक सराय में आए। वहाँ पर कुछ शराब उनको दी गई। उस शराब के पीने के बाद उन्होंने उन्हांन कुछ और शराब के लिए कहा। इस शराब को पीने के बाद उन्होंने उसका मूल्य देने से इन्कार कर दिया। इस पर सराय वाले ने उनसे विरुद्ध उह अनधिकार प्रवेगकर्ता घोषित कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया। इस वाद में यह निणय दिया गया कि शराब का मूल्य न देना केवल किसी वृत्त्य के करने अथवा न करने के कानूनी कर्तव्य को अवहेलना मात्र (Nonfeasance) है और वह किसी वृत्त्य का गैरकानूनी ढंग से किया जाना (Misfeasance) नहीं माना जा सकता। अतएव बढइयों को अनधिकृत प्रवेगकर्ता घोषित नहीं किया गया। [सिक्स बारपेटस, (१९१०) एस० एल० सी० १४५]

परन ८१—वेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession) की परिभाषा देते हुए उसके आधार पर की गई कायवाही में प्रतिवादी के बचाव की सम्भव दलीलों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—वेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession)—जब कोई व्यक्ति किसी अर्थ व्यक्ति की भूमि पर उसे वेदखल करके बिना किसी अधिकार के अपना अधिकार जमा लेता है तो उसके इस दातिपूर्ण वृत्त्य को वेदखल अथवा निष्कासन (Dispossession) की सजा दी जाती है। जिस व्यक्ति की भूमि पर इस प्रकार अनधिकार अधिकार जमाया गया हो उसे अधिकार होता है कि वह अधिकार करने वाले व्यक्ति पर इस वृत्त्य के प्रति वाद प्रस्तुत करे और उस वेदखल करा दे।

बचाव की दलीलें — उपर्युक्त प्रकार के मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं —

(१) यह कि प्रतिवादी को भूमि पर वाणी से अच्छा स्वत्व (Better title) प्राप्त है, या

(२) यह कि चिरमोगाधिकार (Prescription) के कारण प्रतिवादी का अधिकार वादी की भूमि पर हो गया है और वादी का साम्प्रतिक अधिकार समाप्त हो गया है ।

प्रश्न ८२ — सुग्राधिकारों (Easements) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारों पर सन्निवृत्त टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर — सुग्राधिकारों के अन्तर्गत अधिकार — सुग्राधिकारों (Easements) के अन्तर्गत आने वाले वस्तु तो अनेक अधिकार होते हैं किन्तु इनमें से मुख्य अधिकारों की विवचना नीचे की जा रही है —

(१) जल प्राप्त करने का अधिकार (Right to water) — प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी नदी अथवा जलाशय के जल से लाभ उठाना रहा है उसको अधिकार है कि वह उसी प्रकार लाभ उठाता रहे । जल प्राप्त करने के इस अधिकार के साथ तीन प्रकार से हस्तक्षेप किया जा सकता है —

(अ) पानी की धारा को रोककर, या

(ब) पानी को गंदा करके, या

(स) पानी के स्रोत को रोककर ।

इस प्रकार के अधिकारों को दायित्व पहुँचाने वाले के विरुद्ध परिस्थिति के अनुसार वादनी उपाय प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(२) प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार (Right to light) — प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार किसी इमारत के सदस्य में ही प्राप्त किया जा सकता है । खुले हुए मैदान या उद्यान के प्रति चिरमोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्रकाश प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता । स्मरण रहे कि जब सुग्राधिकार (Easement) द्वारा प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार अर्जित कर लिया जाए तो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना एक अभिवाज्य दायित्वपूर्ण कृत्य माना जाता है ।

(३) वायु प्राप्त करने का अधिकार (Right to air) — वायु प्राप्त करने का अधिकार भी सामान्यतः चिरमोगा द्वारा अर्जित किया जाता है । इस अधिकार में हस्तक्षेप किए जाने पर वादी तभी वाद प्रस्तुत कर सकता है जब वह यह सिद्ध करने का दावा कर सके कि वायु के प्रतिवादी द्वारा किये जाने से उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने की सम्भावना है । भारतीय १९५६ संहिता (Indian Penal Code) की धारा २७८ के अन्तर्गत वायु को दूषित करना एक दण्डनीय अपराध भी है ।

(४) पथ का अधिकार (Right to way) — दूसरे व्यक्ति को भूमि पर होकर रास्ता बनाने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार स्वीकृति (Grant), प्राचीन रिवाज (Immemorial custom), आवश्यकता (Necessity) अथवा चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह बात भी स्मरणीय है कि यह अधिकार या तो सावजनिक अधिकार हो सकता है अथवा वैयक्तिक।

(५) गोपनीयता का अधिकार (Right to privacy) — प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरेलू काम-धंधा से सम्बंधित बातों को गोपनीय रखने का अधिकार है। भारत में इस प्रकार का अधिकार स्थानीय रीति-रिवाजों के आधार पर रक्षित किया जाता है। लेकिन इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत के उच्च न्यायालय इस विषय में एकमत नहीं है। भारतीय संविधान भी स्त्रियों का पदों में रखने के पक्ष में नहीं जान पड़ता। पदों की प्रथा का बहिष्कार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मानीय जज श्री धवन ने एक मुकदमे का निर्णय दते हुए कहा है कि पदों की प्रथा दिनों-दिन समाप्त होती जा रही है और यहाँ तक कि बहुत से प्रगतिशील मुसलमानी देशों में भी इसका बहिष्कार किया जा रहा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नागरिकों को अपने मकानों की बनावट में केवल इस कारण परिवर्तन करने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा किसी के घर की छियों की बेपर्दगी होती है।

बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार गुजरात में प्रचलित प्रथा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के घर की गोपनीयता के अधिकार को भंग करना एक अभिप्रेत कृत्य है। अतः किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मकान में इस प्रकार के दरवाजे या लोडकियाँ लगाएँ जिसके द्वारा उसके पहासियों के मकान के भीतर का भाग दिखाई दे और इस प्रकार उसके गोपनीयता के अधिकार को घबहेलना हो। कलकत्ता तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों ने यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। परन्तु उच्च न्यायालय के अनुसार भी गोपनीयता का अधिकार अचल सम्पत्ति का जन्मजात अधिकार नहीं है।

प्रश्न ८३ — किसी अचल सम्पत्ति का नष्टीकरण (Waste) किस प्रकार का क्षतिवृत्त्य है ?

उत्तर—नष्टीकरण (Waste) — किसी अचल सम्पत्ति का नष्टीकरण भी उस सम्पत्ति के प्रति किए गए क्षतिवृत्तियों के अन्तर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को बानूनी रूप से प्रयोग करने से बचाव उसको बर्बाद करे

समया उसमें तोड़ फोड़ करे तो ऐम वृत्त्य को नष्टीकरण (Waste) के अन्तगत रखा जाएगा। यह नष्टीकरण दो प्रकार का हो सकता है—एक तो किसी वस्तु को नष्ट करने के कारण और दूसर क्षतिपूर्ण वृत्त्य को करके उदित किया हुआ नष्टीकरण।

(२) चल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य (Torts to Movable Property)

अन ८४ — चल सम्पत्ति के प्रति किये जाने वाले क्षतिकृत्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

उत्तर चल सम्पत्ति के प्रति क्षतिकृत्य — चल सम्पत्ति व प्रति मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षतिकृत्य व किए जा सकते हैं —

(१) चल सम्पत्ति को अनधिकृत हस्तगत करना (Trespass to goods) — किसी व्यक्ति को चल सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से हस्तगत करने, उस पर आधिपत्य जमाने या उसको प्रति किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने को चल सम्पत्ति व प्रति अनधिकृत हस्तक्षेप करना (Trespass to goods) कहते हैं। इस प्रकार के क्षतिपूर्ण वृत्त्य के प्रति चलाए गए मुकदमों में दादो को निम्नलिखित धाराओं में देना चाहिए —

(अ) यह कि कथित चल सम्पत्ति उसको आधिपत्य में था, और

(ब) यह कि उक्त आधिपत्य में प्रतिमानों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप किया गया।

(२) अनधिकृत हस्तगत करना (आरम्भ से) [Trespass ab initio] — जब कोई व्यक्ति कानूनी ढंग से कोई चल सम्पत्ति प्राप्त करता है किन्तु प्राप्त करने के बाद उसको बर्बाद करने लगता है या जिस काम के लिए उसका लिया था उसको अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाता है और वह प्रयोग कानूनी धर्मों के विरुद्ध होता है तो कहा जाता है कि उस चल सम्पत्ति का हस्तगत करना आरम्भ से ही अनधिकृत (Trespass ab initio) था।

(३) अवरोध (Detention) — अवरोध (Detention) से तात्पर्य किसी दूसरे को चल सम्पत्ति (Chattel) को बिना किसी कानूनी औचित्य (Legal justification) के अपने पास रोक रक्ता है। इस वृत्त्य के आधार पर चलाने वाले मुकदमों में दादो को देना चाहिए कि यह आधिपत्य का अधिकारी है और प्रतिमानों ने दादो द्वारा मजि जान पर सम्पत्ति को वापस देने से इन्कार कर दिया है।

(४) परिवर्तन (Conversion) — जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चल सम्पत्ति का अनधिकृत रूप से सत्कर उसको प्रयोग में लाता है अथवा उसे बर्बाद करता है या उसको आधिपत्य से किसी अन्य प्रकार का हस्तक्षेप करता है

सो उसे परिवर्तन करना (Conversion) करते हैं। परिवर्तन के पूर्व सम्पत्ति का हस्तगत किया जाना अनधिकृत है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति लेकर उसका अनधिकृत विनय करले तो उसका कृत्य परिवर्तन के अन्तगत ही आएगा। इन प्रकार के शक्तिपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध वादी को तीन प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं —

(अ) वह उस चल सम्पत्ति को पुनर्प्राप्ति (Recaption) कर सकता है, या

(ब) वह याचालय से उस सम्पत्ति को वापस ले लिए याचार्ज जारी करा सकता है, या

(स) वह शक्तिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न ८५ — चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए होने वाली विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण दीजिए।

उत्तर — चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्यवाही — चल सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं —

(१) रेप्लेविन (Replevin) — यह एक पुरानी कार्यवाही का रूप है जिसके अनुसार वादी प्रतिवादी से अपनी चल सम्पत्ति पुनः प्राप्त करता था। कार्यवाही का यह रूप अब बहुत कम प्रयुक्त होता है।

(२) ट्रोवर (Trove) — इस कार्यवाही के अनुसार वादी प्रतिवादी से शक्तिपूर्ति के रूप में, मौलिक चल सम्पत्ति के स्थान पर, धनराशि लेता था, यदि प्रतिवादी चल सम्पत्ति वापस करने को मना कर देता था। इस कार्यवाही के द्वारा वादी चल सम्पत्ति का मूल्य भर ही वसूल कर सकता था न कि वास्तविक सम्पत्ति।

(३) डेटिन्यू (Detinue) — इस कार्यवाही के अनुसार वादी प्रतिवादी से अपनी वास्तविक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करता था और साथ ही सम्पत्ति के प्रतिवादी के पास अनुचित रूप से रहने के लिए शक्तिपूर्ति भी वसूल करता था।

प्रश्न ८६ — चल सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से हस्तगत कर लेने के मुकदमे में प्रतिवादी को अपने बचाव में क्या सम्भव दलीलें उपलब्ध हैं? विवरण दीजिए।

उत्तर — बचाव की दलीलें — चल सम्पत्ति के अनधिकृत रूप से हस्तगत कर लेने के मुकदमे में प्रतिवादी अपने बचाव में निम्नलिखित दलीलें दे सकता है —

(१) स्वरक्षा अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा (Self defence or defence of Property) — जिस व्यक्ति के पास चल सम्पत्ति का अधिपत्य

है उससे यदि कोई अन्य व्यक्ति अनुचित ढंग से सम्पत्ति छीनना चाहता है तो सम्पत्ति पर प्राधिपत्य रखन वाल को अधिकार है कि वह ऐम व्यक्ति के प्रति बल का प्रयोग कर और अपने प्राधिपत्य की रक्षा करे।

(२) पूरुषाधिकारों तथा परिमित अधिकारों का उपभोग — इसका तापय यह है कि जिस व्यक्ति का किराया दूसरे व्यक्ति के जिम्मे बाकी है उसे अधिकार है कि अपने किराये को बमूल करन क लिए वह उसको सम्पत्ति ल ले।

(३) कानूनी अधिकार — कानून द्वारा अधिकृत हान पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चल सम्पत्ति पर अधिकार जमा सकता है।

(४) चादी के स्वय क्षतिपूर्ण एव असावधानीपूर्ण कृत्य — यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की राह रोके, उदाहरणार्थ, उसक भाग घाटा या गाड़ी आदि खड़ी करके माग ब द करने का प्रयत्न करे तो उस अधिकार होगा कि वह बल का प्रयोग करके अपना रास्ता साफ कर ले।

(५) पुनप्राप्ति (Recapution) — जा व्यक्ति अनुचित ढङ्ग से अपनी चल सम्पत्ति क प्राधिपत्य से वचित कर दिया गया है उस अधिकार है कि वह उस चल सम्पत्ति को जहाँ कहीं देखे या पाय वहाँ से वापस ले ले, किन्तु ऐसा करन में उसे न तो सावजनिक शांति (Public peace) भंग करने का अधिकार है और न हिंसात्मक ढंग अपनाये का।

(६) जस टटई Jus Tertii) — इस पद (Term) का शाब्दिक अर्थ है “अन्य व्यक्ति का अधिकार”। प्रतिवादी यह दलील नहीं द सकता कि वादी जिस वस्तु के लिए मुकदमा खता रहा है उस पर वास्तविक स्वामित्व का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का है न कि वादी का। एसी दलील प्रतिवादी सभी दे सकता है जब कि वह वास्तविक स्वामी द्वारा अधिकृत होकर काम कर रहा हो। यह बात भी स्मरणयोग्य है कि प्रतिवादी उक्त दलील बवल एमे वादी के बिच्छ दे सकता है जिसके पास न तो कथित वस्तु का वास्तविक प्राधिपत्य (Actual possession) है और न रचनात्मक प्राधिपत्य (Constructive possession) है।



बाधा

(NUISANCE)

प्रश्न ८७ — बाधा (Nuisance) की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का विवरण दोजिए ।

उत्तर — बाधा (Nuisance) — अंग्रेजी भाषा का शब्द 'नूंस' जिसका हिन्दी पर्यायवाची शब्द 'बाधा' प्रयुक्त हुआ है, फ्रांसीसी भाषा के नुई (Nuis) शब्द से पैदा हुआ है । नुई (Nuis) शब्द का अर्थ हानि पहुँचाना या परेशान करना है । रतनलाल धीरजलाल ने बाधा (Nuisance) की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी अथ व्यक्ति की भूमि, भवन या दायभाग्य सम्पत्ति को हानि पहुँचाना या उसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप करना कि वृत्त अनाधिकार प्रवेश (Trespass) का अन्तगत्त न रखा जा सके 'बाधा' कहलाता है । ब्लैकस्टोन (Blackstone) का मतानुसार बाधा ऐसा वृत्त है जिससे किसी की हानि पहुँचती हो या असुविधा भयवा क्षति पहुँचती हो । विनफील्ड (Winfield) का कथन है कि यद्यपि बाधा की यथेष्ट परिभाषा देना सम्भव नहीं है, लकिन क्षतिवृत्त कानून के उद्देश्यों के लिए यह एक ऐसा अनुचित वृत्त कहा जा सकता है जिससे किसी की भूमि अथ भवन में अनाधिकार हस्तक्षेप का भान हो ।

इस प्रकार बाधा किसी व्यक्ति की भूमि के प्रति किया गया अनुचित वृत्त है । इसके द्वारा किसी व्यक्ति को असुविधा हो सकती है । यह बाधा भूमि का वास्तविक क्षति पहुँचा कर भी हो सकती है अथवा सुत्ताधिकार या भूमि द्वारा होने वाले लाभों को क्षति पहुँचाकर भी हो सकती है ।

बाधा असावधानी (Negligence) के कानून का अंगोकरण नहीं है । अतएव बाधा अथवा वाद में प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि उसने उचित सावधानी से वृत्त किया ।

बाधा के दो प्रकार होते हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है —

(१) सार्वजनिक बाधा (Public Nuisance) — सावजनिक बाधा किसी सावजनिक अधिकार के भंग करने का कारण या उसमें किसी प्रकार के असावधानी

हस्तक्षेप करने के कारण उत्पन्न हो सकती है। ऐसी बाधा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह भूमि विशेष के प्रति हो हो, बल्कि इसके अंतर्गत व सभी परिणाम भी जान हैं जिनके कारण सवसाधारण को असुविधा, परेशानी या क्षति आदि पहुँचे या जिनसे उनको सुरक्षा को खतरा पैदा हो। उदाहरणार्थ किसी सावजनिक माग को रोकना, काना को बुरी लगने वाली आवाज (Noise) उत्पन्न करना, वायुमंडल को विषैली गैस आदि से दूषित करना तथा और किसी प्रकार का धु आघार आदि करना सावजनिक बाधा कहलाते हैं।

सालमण्ड (Salmand) के मतानुसार सावजनिक बाधा एक ऐसा गैरकानूनी कृत्य है जिसका करने या न करने के कारण किसी को असुविधा होती है या किसी की सुरक्षा को खतरा पैदा होना है। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरणीय है कि सावजनिक बाधा के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह निश्चित सावजनिक अधिकारों में हस्तक्षेप किए जाने से ही उत्पन्न हो, प्रत्युत वे सभी कृत्य जो जन साधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं, सावजनिक बाधा के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन यह है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर जन साधारण के प्रति होना चाहिए।

यह बात भी स्मरणीय है कि किसी सावजनिक बाधा के विरुद्ध किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि उस व्यक्ति को सव साधारण की तुलना में कुछ अधिक क्षति न पहुँची हो।

सावजनिक बाधा के विषय में यह भी याद रखना चाहिये कि यदि कोई कृत्य कानून द्वारा स्वोक्ति के पदचात् किया गया है तो वह सावजनिक बाधा के अंतर्गत नहीं आएगा। यह बात भी याद रखना चाहिये कि अथ अधिकार तो चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं पर सावजनिक बाधा का अधिकार इस आधार पर अहित नहीं किया जा सकता। इसलिए सावजनिक बाधा के आधार पर चलाए गए मुकदमे में प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि उसे सावजनिक बाधा उत्पन्न करने का अधिकार चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा प्राप्त हो गया था।

(२) व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance)—जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का उपयोग इस प्रकार करता है कि उससे अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति का गैरकानूनी रूप से क्षति पहुँचती है तो ऐसी क्षति को व्यक्तिगत बाधा कहते हैं। इसके अनिश्चित यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का इस प्रकार उपयोग करता है कि उससे दूसरे की सम्पत्ति में गैरकानूनी रूप से हस्तक्षेप होता है तो वह भी व्यक्तिगत बाधा

के अन्तर्गत आता है। स्मरण रहे कि सम्पत्ति में हस्तक्षेप अनाधिकार प्रवेश (Trespass) द्वारा होने पर बाधा नहीं कहा जायगा।

प्रश्न ८८ — सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा का अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर — सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा का अन्तर —
सार्वजनिक बाधा और व्यक्तिगत बाधा में निम्नलिखित अन्तर हैं —

सार्वजनिक बाधा (Public Nuisance)	व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance)
१ यह ऐसा गैरकानूनी कृत्य है जिसे करने या न करने के कारण आम जनता को सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा में बाधा पड़े।	१ यह सम्पत्ति का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे अथवा व्यक्ति को सम्पत्ति को गैरकानूनी रूप से क्षति पहुँचे या उसमें गैरकानूनी रूप से हस्तक्षेप हो।
२ यह सार्वजनिक अधिकार भंग करता है।	२ यह व्यक्तिगत अधिकार में हस्तक्षेप करता है।
३ क्षति सवसाधारण या उसके बड़े हिस्से को पहुँचनी चाहिए।	३ क्षति व्यक्ति विशेष को पहुँचनी चाहिए।
४ चिरमोगाधिकार से यह अधिकार प्राप्त नहीं होता।	४ चिरमोगाधिकार से यह अधिकार प्राप्त हो सकता है।
५ जब कि व्यक्ति को विशेष क्षति न पहुँची हो वह वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता।	५ व्यक्ति कानूनी बाधवाही कर सकता है।
६ बाधा उपस्थित करने वाले के विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे रोकने के लिए न्यायाज्ञ (Injunction) भी जारी कराया जा सकता है।	६ क्षति प्राप्त व्यक्ति बाधा की समाप्ति के लिए तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए बाधवाही कर सकता है।

प्रश्न ८९ — सार्वजनिक बाधा के आधार पर वाद प्रस्तुत करने का क्या नियम है ?

उत्तर — सार्वजनिक बाधा के प्रति वाद — सार्वजनिक बाधा में विरुद्ध सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। लेकिन

इस सामान्य सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। किसी सावजनिक बाधा के विरुद्ध कोई व्यक्ति तब वाद प्रस्तुत कर सकता है जब वह यह सिद्ध कर दे कि—

- (१) सबसाधारण की अपेक्षा उसको विशिष्ट क्षति (Special damage) पहुँची है,
- (२) यह क्षति कथित बाधा का प्रत्यक्ष परिणाम है, तथा
- (३) जो क्षति पहुँची है वह तुच्छ (Petty) न हारर पर्याप्त (Substantial) क्षति है।

प्रश्न ६० — सार्वजनिक बाधा के प्रति उपायों (Remedies) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर — सार्वजनिक बाधा के प्रति उपाय — सावजनिक बाधा के प्रति दो प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। एक तो दीवानी न्यायालय से याचन द्वारा बाधा को रोका जा सकता है और विशिष्ट क्षति की दशा में क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती है। दूसरे फौजदारी न्यायालय में भी सावजनिक बाधा के विरुद्ध कायवाही की जा सकती है। इंग्लैंड में दीवानी कायवाही मटार्नी जनरल (Attorney General) द्वारा की जा सकती है। भारत में भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ६१ तथा ६३ में सम्बन्धित कानूनो का प्राविधान है। इन प्राविधानों के अनुसार बलकत्ता, मद्रास और बर्मा में एडवोकेट जनरल (Advocate General) तथा अन्य नगरों में कलेक्टरों (Collectors) को सावजनिक बाधा के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। फौजदारी न्यायालयों में कायवाही करने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) में यथासंगत प्राविधान किये गए हैं।

प्रश्न ६१ — अनधिकार प्रवेश (Trespass) और बाधा (Nuisance) में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर — अनधिकार प्रवेश (Trespass) और बाधा (Nuisance) में अन्तर — इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर हैं —

(१) अनधिकार प्रवेश स्वतः अभियोग्य (Actionable per se) है पर बाधा सामान्यतः नहीं।

(२) अनधिकार प्रवेश आधिपत्य (Possession) के विरुद्ध अनुचित कृत्य है किन्तु बाधा आधिपत्य से सम्बन्धित अधिकारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ण कृत्य है।

प्रश्न ६२ —व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance) के विरुद्ध कानूनी उपायों का विवरण दीजिए ।

उत्तर —व्यक्तिगत बाधा के प्रति उपाय —व्यक्तिगत बाधा (Private Nuisance) के विरुद्ध निम्नलिखित उपाय उपलब्ध होते हैं —

(१) समाप्ति (Abatement) —यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत बाधा द्वारा असुविधा हा रही हो तो वह स्वतः सहायता (Self help) का सहारा लेकर उस बाधा को समाप्त कर सकता है । लेकिन ऐसा करने में उसे सातिपूर्ण ढंग अपनाना आवश्यक है ।

(२) न्यायादेश (Injunction) —यह उपाय तब उपलब्ध हो सकता है जब बाधा का व्यक्तिगत बाधा द्वारा होने वाली क्षति इतनी स्थायी तथा अधिक हो कि उसकी पूर्ति धन द्वारा क्षतिपूर्ति देकर न की जा सकती हो ।

(३) क्षतिपूर्ति (Damages) —व्यक्तिगत बाधा द्वारा होने वाली क्षति को पूरा कराने का अंतिम उपाय क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है ।

प्रश्न ६३ —बाधा के लिए किस व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ?

उत्तर —बाधा का दायित्व —निम्नलिखित व्यक्तियों को बाधा के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है —

(१) जो व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है वह उसका प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है । लेकिन भूमि जिस व्यक्ति के प्राधिपत्य में है उसका कर्तव्य है कि वह बाधा का कायम न रहने दे, अन्यथा दायित्व उस पर भा होगा ।

(२) मामलों पर जिस व्यक्ति के प्राधिपत्य को भूमि पर बाधा का उदय होना है उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

(३) मामलों पर भूमि पर बसने वाले किरायेदार के विरुद्ध हो उस भूमि पर उद्दिष्ट हानि वाली बाधाओं के लिए कानूनी कार्यवाही की जाती है । लेकिन भूमि का मालिक भी निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्तरदायी होता है —

(अ) जब कि भूमि के मालिक ने भूमि को किराये पर उठाने से पहले ही बाधा उत्पन्न कर दा है, या

(ब) जब कि बाधा भूमि के मालिक के कर्तव्यों को न निभाने के कारण पैदा हुई हो या

(स) जब कि भूमि के मालिक ने किरायेदार को बाधा बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनुमति दी हो ।

प्रश्न ६४ — बाधा के आधार पर चलने वाले मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलों का विवरण दीजिए।

उत्तर — बचाव की सम्भव दलीलें — बाधा के आधार पर चलने वाले मुकदमे में प्रतिवादी की ओर से बचाव की सम्भव दलीलें निम्नलिखित हो सकती हैं —

(१) स्वीकृति (Grant) — बचाव को यह एक अच्छी दलील मानी जाती है कि प्रतिवादी यह सिद्ध करे कि वादी द्वारा कथित बाधा किसी स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

(२) प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील दे सकता है कि कथित बाधा चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा अर्जित अधिकार का परिणाम है।

(३) प्रतिवादी अपने बचाव में यह दलील दे सकता है कि कानून न प्रतिवादी को कथित बाधा के लिए अधिकृत कर दिया है।

लेकिन बाधा सम्बन्धी मुकदमों में निम्नलिखित दलीलें बचाव में नहीं दी जा सकती —

(१) यह कि वादी स्वयं बाधा के पास आया और इस कारण उसकी क्षति पहुँची।

(२) यह कि अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार की बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

(३) यह कि प्रतिवादी अपनी भूमि का तथा उससे सम्बन्धित अधिकारों का उपभोग कर रहा है और यदि उससे कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह उसका लिए उत्तरदायी नहीं है।

(४) यह कि वह बाधा रोकने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर चुका है।

प्रश्न ६५ — 'क' एक मकान बनाता है। 'ख' उसके मकान के आगे गन्दा पानी इस प्रकार से इकट्ठा कर देता है जिससे बाधा उत्पन्न होती है। 'क' जानता है कि 'ख' को चिरभोगाधिकार (Prescription) द्वारा ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। 'क' 'ख' के विरुद्ध तर्जिबपूर्ति तथा न्यायादेश (Injunction) के लिए दावा करता है। 'ख' अपने बचाव में यह दलील देता है कि 'क' यह सब जानते हुए भी उस मकान में रहता रहा है।

क्या 'ख' को उपयुक्त दलील बचाव प्रस्तुत कर सकती है ?

उत्तर — समस्या — प्रस्तुत मामले में 'ख' की दलील बचाव प्रस्तुत करने

में असमय है। बाधा को कायब्राही में प्रतिवादी की यह दलील निरयक है कि वादी या बाधा का ज्ञान था और वह यह जानते हुए भी उसमें रहता रहा।

प्रश्न ६६ — प्रतिवादी की भूमि में रखे एक वृक्ष की एक शाखा सार्वजनिक मार्ग के ऊपर करीब तीस फीट की ऊँचाई पर झुकी हुई थी। जाड़ों की ऋतु में अकस्मात् वह शाखा वादी की गाड़ी पर जो उस मार्ग से जा रहा था गिर पड़ी जिसके परिष्कारस्वरूप वादी की गाड़ी को क्षति पहुँची। यह सिद्ध हुआ कि शाखा भीतर से खोलली हो गई थी किन्तु उसका खोलनापन उचित निरीक्षण द्वारा लक्षित नहीं हो सकता था।

क्या वादी प्रतिवादी की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ?

उत्तर — समस्या — प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि शाखा बाकी ऊँचाई पर झुकी हुई थी और किसी प्रकार भी सार्वजनिक मार्ग में बाधा उपस्थित नहीं करती थी। यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि वह शाखा भीतर से खोलली हो गई थी पर उसका खोलनापन प्रत्यक्ष लक्षित नहीं हो सकता था। शाखा के अकस्मात् गिरने का कारण उसका अप्रत्यक्ष खोलनापन था जिसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

प्रश्न ६७ — प्रतिवादी एक स्थान पर अपनी मशीन को दोस वर्ष से अधिक समय से चला रहे थे। उस स्थान के करीब वादी, जो एक डाक्टर था, का बगीचा था। वादी ने उस बगीचे के एक कोने पर अपने अध्ययन के लिए एक कमरा बनवाया। मशीन के शोर से उसको बड़ी असुविधा हुई।

क्या वादी बाधा के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध दावा कर सकता है ?

उत्तर — समस्या — प्रस्तुत मामले में वादी प्रतिवादी के विरुद्ध दावा कर सकता है यदि वह यह सिद्ध कर दे कि प्रतिवादी की मशीन से उसे बहुत असुविधा होती है। प्रतिवादी विरभागाधिकार (Prescription) को दलील देने में बचाव नहीं दे सकते, क्योंकि वादी के अध्ययन का कमरा बनने से पहले मशीन का शोर बगीचे के लिए हानिकारक नहीं था, किन्तु अध्ययन का कमरा बन जाने के कारण वह हानिकारक हो गया और इसलिए वह अभियोग्य (Actionable) बन गया।

प्रश्न ६८ — 'र' ने 'स' को अपनी भूमि कैमिकल पत्थरों को पसिद बनाने के लिए एकत्रित करने को किराये पर दी। 'स' के पत्थर एकत्रित

करने की प्रक्रिया से निकलने वाली गैस वायुमण्डल को विपैला करती है जिससे पास पड़ोस के रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें असुविधा होती है।

उपर्युक्त मामले में बाधा के लिए क्या 'क' उत्तरदायी है ?

उत्तर — समस्या — बानून के अन्तर्गत भूमि का स्वामी किरायेदार द्वारा पेदा की गई बाधा के लिए तब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि बाधा उपस्थित करने की उसने अनुमति दी हो। प्रस्तुत मामले में 'क' न केमिकल प्लान्टों को एक्जिन करने के लिए अपनी भूमि को किराये पर दिया है। वह जानता है कि ऐसा करने से विपैली गैस वायुमण्डल में फैलेगी। अतएव बाधा उपस्थित करने के लिए उसका यह दृश्य उसकी अप्रत्यक्ष अनुमति सिद्ध करता है, इसलिए वह उपर्युक्त बाधा के लिए उत्तरदायी है।

असावधानी

(*NEGLIGENCE*)

प्रश्न ६६ — (अ) असावधानी (Negligence) और आंशिक असावधानी (Contributory Negligence) की परिभाषाएँ दीजिए।

(ब) वादी ने एक चलती हुई ट्राम गाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्न किया किन्तु अपने प्रयत्न में असफल रहा और इस प्रयत्न में ट्राम गाड़ी के पहिये से उसके पैर का अंगूठा कट गया। वादी ने ट्राम के कम्पनी पर क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया। क्या वादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है ?

उत्तर — असावधानी (Negligence) — चम्बस के शब्द कोष में असावधानी (Negligence) का अर्थ उचित सावधानी का अभाव (Want of proper care) दिया गया है। सामण्ड (Salmond) ने असावधानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि “असावधानी दंडनीय लापरवाही है (Negligence is culpable carelessness)।” विल्लस (Willes) के अनुसार असावधानी से ऐसी सावधानी की कमी का बोध होता है जिसका बरतना प्रतिवादी का कर्तव्य हो। कहा जा सकता है कि असावधानी एक ऐसा श्रुत्य है जिसमें कि कर्ता अपने श्रुत्य के परिणाम की ओर से उदासीन हो। विनफील्ड (Winfield) ने कहा है कि असावधानी एक क्षतिकृत्य की हैसियत में उचित सावधानी बरतने के कानूनी कर्तव्य की अवहेलना करना है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्षति पहुँच जाए। दूसरे शब्दों में अपेक्षित सावधानी न बरतने के कारण कर्तव्य से विमुक्त होने को असावधानी कहते हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर असावधानी के तीन आवश्यक तत्व (Elements) हैं। पहला तो कानूनी कर्तव्य, दूसरा उस कर्तव्य से विमुक्त होना और तीसरा उस कानूनी कर्तव्य से विमुक्त होने के परिणाम स्वरूप क्षति का होना। इस प्रकार मध्य बात विशेष रूप से स्मरणीय है कि सावधानी बरतने का कर्तव्य कानूनी कर्तव्य होना चाहिये। नतिक या धार्मिक कर्तव्य से विमुक्त होने वाले के विरुद्ध क्षतिकृत्य कानून के अंतर्गत असावधानी का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

किस परिस्थिति में सावधानी बरतने का कर्तव्य विद्यमान है इस विषय पर डोनोघा प्रति स्टीबेसन का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं। एक जिजर बियर (एक प्रकार का पेय) के निर्माता ने एक अपारदर्शक बोतल की बोतल में बियर भर कर एक दुकानदार को बेच दी। दुकानदार ने उस बियर की बोतल को ज्यों की त्यों एक दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच दिया। उस व्यक्ति ने वह बियर एक स्त्री को पीने के लिये दी। उस स्त्री ने थोड़ी सी बियर पीने के बाद देखा कि उसमें मूँड मूँड घाघा मिला था जो कि कारखाने में बरतते समय बियर में मिस गया था। वह स्त्री बियर पीकर बीमार हो गई। उसने बियर के निर्माता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के निष्पत्ति में कहा गया कि यद्यपि बियर निर्माता एक बियर प्रयोग करने वाली स्त्री को कोई अनुवधाय कर्तव्य (Contractual duty) न था तो भी बियर निर्माता असावधानी के लिए उत्तरदायी है।

सावधानी बरतने के प्रसंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति को किस परिस्थिति में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। कानूनवेत्ताओं ने सावधानी का जो मापदण्ड (Standard) निर्धारित किया है, उसके अनुसार मनुष्य तीन प्रकार की सावधानी बरत सकता है। एक तो प्रत्येक परिस्थिति में अत्यधिक सतर्कता एवं सावधानी बरती जाए, दूसरे उतनी सावधानी कितनी कि साधारण व्यक्ति अपने कार्यों को करने में बरतता है और तीसरी वह, जो कि इस साधारण सावधानी से कम हो। इन तीनों बाटों की सावधानी में से दूसरे कोटि की सावधानी की प्रत्येक व्यक्ति से मांगी जाती है। लेकिन यह बात भी स्मरणीय है कि व्यक्ति को साधारण सावधानी भी परिस्थिति के अनुसार बदलती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में बत्तल लेकर भौंड में जा रहा है तो उसको उस व्यक्ति की तुलना में जो उस भौंड में छाना लेकर जा रहा है, बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। इस सम्बन्ध में यह बात याद रखिए कि सावधानी की कोटि इस बात पर निर्भर रहती है कि जिस कृत्य को किया जा रहा है और जिस परिस्थिति में किया जा रहा है, उसमें कितनी सावधानी की आवश्यकता है।

आंशिक असावधानी (Contributory negligence) — आंशिक असावधानी की परिभाषा देते हुए रतननाथ धीरजलाल ने कहा है कि आंशिक असावधानी से उक्त असावधानी का बोध होगा है जिसमें कि बादी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा होने वाले परिणामों को घटित होने से न रोके जब कि उस ऐसा करने का पूर्ण परदार प्राप्त हो। डॉक्टर अण्डरहिल (Dr Underhill) के मतानुसार बादी को

1) आशिक भसावधानी का दोषी तब बताया जाता है जब कि उसने अपनी लापरवाही द्वारा अपने को इस प्रकार क्षति पहुँचाई हो कि यदि वह सावधानी से काम करता तो उसको प्रतिवादी द्वारा की गई भसावधानी के परिणामस्वरूप क्षति न पहुँचती।

। आशिक भसावधानी के विषय में विलेस (Willes) ने कहा है कि यदि वादी और प्रतिवादी दोनों बराबर-बराबर दोषी हैं और दोनों की समुक्त भसावधानी के कारण दुर्घटना घटी है तो वादी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। यदि वादी की भसावधानी ही क्षति का कारण है तो भी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है चाहे ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की कितनी भी भसावधानी रही हो।

आशिक भसावधानी के सिद्धांत को समझने के लिये डेवीस प्रति मान [(१८४२) १० एम० डब्लू० ५४६] के मामले का उल्लेख करना हितकर होगा। इस मामले की घटनाएँ इस प्रकार हैं—एक बार एक व्यक्ति ने सारजनिक मार्ग पर एक गधे का उसका पैर बांध कर घान चलने के लिए छोड़ दिया। एक मोटर द्राइवर द्वारा सड़क पर चलते समय उस गधे को चाट पहुँच गई। गधे के स्वामी ने मोटर के स्वामी पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में कहा गया कि मोटर द्राइवर को दुर्घटना बचाने का भ्रमण था, और इस भ्रमण के होते हुए भी उमने गधे को चाट पहुँचाई। अतएव मोटर का स्वामी गधे के स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है।

आशिक भसावधानी सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो यह कहना है कि उमने विपत्ती न भसावधानी से काय किया। सामान्य प्रतिवादी ही अपने बचाव में वादी की आशिक भसावधानी की दलील देता है। यदि प्रतिवादी ऐसा सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या सबूत के आधार पर वादी की आशिक भसावधानी सिद्ध नहीं होती तो वादी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वह आशिक भसावधानी का दोषी नहीं है। यदि 'मायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने से असमर्थ रहे कि वादी और प्रतिवादी में कौन भसावधानी का दोषी है तो ऐसी परिस्थिति में याद प्रतिवादी के पक्ष में होगा।

(घ) समस्या — प्रस्तुत मामले की घटनाएँ एक प्रमुख मुकदमे सेमूल जो जमसेत जो प्रति बम्बई ट्रामवे कम्पनी (१९११) बम्बई साँ रिपोटर, ३४५) को घटनाएँ हैं। इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया है कि प्रतिवादी (ट्रामवे कम्पनी) वादी का क्षति पूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वादी ने स्वयं ही भसावधानी से काय किया है।

1. प्रश्न १०० — आशिक असावधानी के सिद्धान्त पर नवीन विधानों ने क्या प्रभाव डाला है ? व्याख्या कीजिए ।

उत्तर आशिक असावधानी पर नवीन विधानों का प्रभाव —
इंग्लैण्ड के सब साधारण कानून (Common Law) क आशिक असावधानी के सिद्धान्त को सुधारन के लिये कानून सुधार (आशिक असावधानी) अधिनियम, १९४५ [The Law Reforms (Contributory Negligence) Act] पास किया गया है। इस अधिनियम ने आशिक असावधानी के सिद्धान्त में बहुत संशोधन कर दिया है। अब तथोपहित कानून के अनुसार यह नियम बन गया है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी तथा अन्य किसी व्यक्ति की असावधानी के परिणामस्वरूप कोई क्षति पहुँचे तो ऐसा परिस्थिति में उस क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार से पूर्णतया वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसी मामलों में न्यायालयों को अधिकार होगा कि वे परिस्थितियों को देख कर न्यायानुकूल ढंग से क्षतिपूर्ति की घनराशि कम कर दें। लेकिन क्षतिपूर्ति की घनराशि को कम करने से पहले न्यायालय को यह निश्चय करना अनिवार्य है कि यदि वादी ने असावधानी से काय न किया होता तो उसको कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता।

प्रश्न १०१ — असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में वादी को क्या सिद्ध करना चाहिए ?

उत्तर असावधानी का सूत्र — असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में वादी का निम्नलिखित बातें सिद्ध करना चाहिए —

- (१) यह कि प्रतिवादी का कानूनी कर्तव्य था कि वह उचित मात्रा में सावधानी बरतता,
- (२) यह कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य वादी के प्रति था,
- (३) यह कि प्रतिवादी ने अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं किया,
- (४) यह कि वादी को जो क्षति पहुँची, वह प्रतिवादी की असावधानी का प्रत्यक्ष परिणाम (Direct consequence) था
- (५) यह कि वादी को प्रतिवादी की कथित असावधानी के परिणामस्वरूप क्षति उठानी पड़ी।

स्मरण रहे कि असावधानी सम्बंधी मुकदमों में भी कानून का यह सामान्य नियम लागू होता है कि जो व्यक्ति कोई बात कहता है, उसको सिद्ध करना उसी का

उत्तरदायित्व है। अतएव वादी को यह सिद्ध करना जरूरी है कि प्रतिवादी ने असावधानी से काय किया और उसकी असावधानी के कारण वादी को क्षति पहुँची है।

प्रश्न १०२ — 'परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं' (Res ipsa loquitur) के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।

उत्तर — परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं (Res ipsa loquitur) असावधानी के आधार पर चलने वाले मुकदमों में वादी पर यह सिद्ध करने का भार (Onus of proof) होता है कि प्रतिवादी क असावधानी से काय करने के परिणामस्वरूप ही उसको (वादी को) क्षति पहुँची है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जब वादी इतना तो सिद्ध कर सकता है कि उसके दुष्घटनावश क्षति पहुँची है किंतु वह यह सिद्ध करने की स्थिति में नहीं होता कि उसे प्रतिवादी की असावधानी के कारण क्षति पहुँची है, क्योंकि घटना की परिस्थितियाँ पूर्णतया प्रतिवादी को ही ज्ञात होती हैं और उनकी जानकारी वादी को पहुँच स परे होती है। ऐसी परिस्थिति में कानून का यह सिद्धान्त कि परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं (Res ipsa loquitur) लागू होता है और वादी को प्रतिवादी की असावधानी सिद्ध करने के भार से मुक्त कर दिया जाता है।

उपयुक्त सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए बन प्रति बोर्डल [(१८६३) २ एच० एण्ड० सी० ७२२] के मुकदमे का उल्लेख करना हितकर होगा। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि एक बार वादी एक सड़क पर जा रहा था। सड़क के किनारे एक मकान में प्रतिवादी का घाटे का भण्डार था। इस भण्डार की एक तिडकी सड़क पर खुलती थी। जब वादी उस तिडकी के ठीक नीचे से होकर सड़क से गुजर रहा था तो घाटे का एक बोरा तिडकी से निकल कर गिरा जिससे वादी को घोट पहुँची। इस मुकदमे में निगम दिया गया कि घटना की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने असावधानी से काय किया और इसी कारण यह दुष्घटना हुई, क्योंकि साधारणतया तिडकी से निकल कर घाटे का बोरा सड़क पर तब तक नहीं गिर सकता जब तक अत्यंत असावधानी से काय न किया गया हो। दुष्घटना स्वयं ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि असावधानी से काय किया गया है।

डा० अंडरहिल (Dr Underhill) ने उपयुक्त सिद्धान्त की विवेचना करते हुए कहा है कि जब कभी किसी काय की व्यवस्था प्रतिवादी या उसके सेवकों को पूर्ण देश रेत में हावी है और दुष्घटना की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि यदि उचित सावधानी से काय किया जाए तो इस प्रकार की दुष्घटना साधारणतया

घटित नहीं हो सकती तो ऐसी परिस्थिति में कानून यह निष्कप निष्कलता है कि प्रतिवादी को असावधानी के कारण ही दुःघटना हुई है और वादी को क्षति पहुँची है।

इस सिद्धांत की उत्सन्नति यह है कि यदि कथित परिस्थितियों में असावधानी सिद्ध करने का भार वादी पर डाला जाए तो वह वादी के लिये केवल दुःख या कठिन ही न होगा, बरन् प्रायः असम्भव होगा क्योंकि जिन कार्यों की व्यवस्था पूरुरूपेण प्रतिवादी की देख रेख में हुई है, वे पूरुतया उसके अधीन होती हैं और वहाँ तक प्रायः वादी की पहुँच नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कानून प्रतिवादी की असावधानी का अनुमान कर लेता है।

लेकिन यदि दुःघटना इस प्रकार है जैसा कि साधारणतया हो जाती है तो उपर्युक्त नियम लागू नहीं होगा। उदाहरणार्थ, यदि आप अपने कार में बैठे हों और आपके पैर से जूता निकल कर सड़क पर गिर जाए और किसी राह चलने वाले को चोट पहुँचे तो यह नहीं कहा जायगा कि यह एक अस्वाभाविक घटना है, क्योंकि पैर से जूता निकल कर गिर जाना कोई अस्वाभाविक या असाधारण बात नहीं है। इस सम्बन्ध में विष्णु प्रति बड़ोदा सेट्टल इंडिया रेलवे कम्पनी (२५ दिसम्बर १९०१) का मामला उल्लेखनीय है। एक बार एक व्यक्ति (वादी) एक रेल में यात्रा कर रहा था। इस यात्रा के समय रेल की बर्थ (Berth) पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी (Ladder) लगी होती है, वह वादी पर गिर पड़ी। वादी ने प्रतिवादी (रेलवे कम्पनी) पर उक्त सिद्धांत के आधार पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में निर्णय दिया गया कि इस मामले में उक्त सिद्धांत (*Res ipsa loquitur*) लागू नहीं किया जा सकता।

प्रश्न १०३ — 'ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God)' से आप क्या समझते हैं? असावधानी सम्बन्धी मुकदमों में क्या यह घटाय की एक अच्छी दलील है?

उत्तर — ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय कृत्य (Vis Major or Act of God)—कानून की तकनीकी भाषा में ईश्वरीय कृत्य का यह तात्पर्य नहीं है कि सत्कार के सभी काम असाधारण ईश्वरीय कृत्य हैं। कानून की भाषा में जब हम 'ईश्वरीय कृत्य' या 'ईश्वरीय प्रकोप' शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनसे बाढ़, तूफान, भूकम्प, भिजली गिरना आदि जैसी घटनाओं का तात्पर्य समझा जाता है जिनसे बचना या जिनकी रोकना और जिन पर नियंत्रण रखना मानव-शक्ति से परे है। ये सभी घटनाएँ प्राकृतिक घटनाएँ हैं जिनमें जाने वासी क्षति के लिए कोई व्यक्ति या संस्था उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती।

डा० अंडरहिल (Dr Underhill) के मतानुसार ईश्वरीय प्रकोप या ईश्वरीय वृत्त्य (Vis Major or Act of God) वे घटनाएँ घषवा वृत्त्य हैं जिनके परिणामों से मानवीय दूरदर्शिता द्वारा नहीं बचा जा सकता । ये ऐसी घटनाएँ घषवा वृत्त्य हैं जिनकी सम्भावना को मानवीय बुद्धि कभी भी मान्यता नहीं प्रदान कर सकती । इस कारण ईश्वरीय घटनाएँ जब घटित होती हैं तो हम उनको भाक्स्मिक सक्क कहते हैं और उनके द्वारा होने वाले परिणामों के लिए कोई उत्तरदायी नहीं माना जा सकता ।

रतनलाल धीरजलाल का कथन है कि वे वृत्त्य जो कि प्राकृतिक शक्तियों के परिणामस्वरूप घटित होते हैं और जो मानवीय एव अथवा शक्तियों से पूणतया स्वतंत्र होते हैं, ईश्वरीय वृत्त्य की कोटि में रसे जाते हैं, जैसे—घाँधी, तूफान, घसाधारण वर्षा, घसाधारण उबार घषवा घसाधारण पाला घादि ।

शक्तिवृत्त्य कानून के अंतर्गत घसावधानी के घाघार पर चलने वाले मुक्कदमों में प्रतिवादी का प्रपने बचाव में यह कहना कि शक्ति एक ईश्वरीय वृत्त्य द्वारा हुई है, एक घषठी दलील मानी जाती है यदि प्रतिवाणी अथवा कथन को सिद्ध कर सके ।

विनफील्ड (Winfield) ने इस सद्म में निकोलस प्रति मामलेड का एक प्रसिद्ध मामला अथवा तरसम्बधी पुस्तक में उद्धृत किया है । इस मुक्कदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी की कुछ पानी की भीलों थीं । उनके बनाने में किसी प्रकार की घसावधानी नहीं करती गई थी और न उनकी देल रेल में किसी प्रकार की घसावधानी करती गई । लेकिन एक बार घसाधारण वर्षा होने के कारण उन भीलों के चारों ओर के बाध टूट गए और भीलों का पानी दूर तक फल गया । इस प्रकार की घसाधारण वर्षा पहले कभी नहीं हुई थी और न ही प्रत्याशित की जा सकती थी । भीलों का पानी फैलने से चार बड़ी नावें (Barges) यह गई । नावों के स्वामी ने भीलों के स्वामी पर शक्तिपूति का मुक्कमा अथवा घनाया । इस मुक्कदमे में यह निर्णय दिया गया कि पानी का इस प्रकार बढ कर बहना एक ईश्वरीय वृत्त्य था । अतएव भीलों का स्वामी नावों के स्वामी का शक्तिपूति देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

प्रश्न १०४ —अघसावधानी के संदर्भ में अचरयम्भावी दुर्घटनाओं (Inevitable Accidents) पर टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर—अचरयम्भावी दुर्घटनाएँ (Inevitable Accidents) — अघसावधानी के घाघार पर चलने वाले मुक्कदमों में प्रतिवाणी अथवा बचाव में अचरयम्भावी दुर्घटना की दलील दे सकता है । अचरयम्भावी दुर्घटनाओं से तात्पर्य उन

दुघटनाओं से है जिनको कि साधारण सावधानी तथा विवेक द्वारा होने से बचाया न जा सके। उदाहरणार्थ, आप मोटर से जा रहे हैं और एकाएक जोर का तूफान आ जाने के कारण एक वृक्ष टूट कर आपकी मोटर पर गिर पड़ता है और आपकी मोटर टूट जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप वृक्ष के स्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वृक्ष का गिरना एक अवश्यम्भावी दुघटना है। इस सम्बन्ध में रतनलाल धीरजलाल ने अवश्यम्भावी दुघटना की परिभाषा देते हुए कहा है कि अवश्यम्भावी दुघटना से उस दुघटना का तात्पर्य है जिसको साधारण सावधानी, सतकता या दक्षता द्वारा घटित होने से न बचाया जा सक। डा० अंडरहिल (Dr Underhill) ने कहा है कि किसी व्यक्ति को अवश्यम्भावी दुघटना द्वारा होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराना 'याचित नहीं है।

प्रश्न १०५ — 'क' जिस मैलरी में बैठा फुटबाल का मैच देख रहा था, उस मैलरी का एक भाग गिर जाने से घायल हो जाता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए 'क' के अधिकार क्या हैं, यदि उसने—

- (अ) भाड़ा देकर टिकट लिया हो,
- (ब) केवल पास लिया हो तथा
- (स) अनाधिकार प्रवेश किया हो ?

उत्तर समस्याएँ — (अ) ऐसी परिस्थिति में 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि उसको हैसियत निमन्त्रित (Invitee) व्यक्ति की है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भाड़ा लेकर निमन्त्रित करे तो वह स्थान के सुरक्षित होने का आश्वासन भी देगा और यदि निमन्त्रित व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

(ब) ऐसी परिस्थिति में 'क' की हैसियत केवल अनुज्ञा प्राप्त (Licensee) व्यक्ति की है। अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति स्थान को जैसी भी देगा में है वैसे ही देगा में उपयोग कर सकता है। यदि उसमें कोई जाखिम प्रत्यक्ष है तो उसे स्वयं देखना चाहिए और यदि प्रत्यागित है तो उसे स्वयं सतकता बरतनी चाहिए। अतएव 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(स) कानून का यह सामान्य नियम है कि अनाधिकार प्रवेशकर्ता (Trespasser) के प्रति स्थान के स्वामी का कोई उत्तर नहीं है। अनाधिकार प्रवेशकर्ता जोखिम का स्वयं जिम्मेदार है। अतएव 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न १०६—वादी एक चलती हुई ट्राम में चढ़ने के प्रयत्न में गिर कर घायल हो गया। ट्राम का पायदान (Foot board) जिस पर होकर चढ़ते हैं ढाला था और इसी कारण वादी का पैर फिसल गया था। क्या वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उत्तर समस्या — प्रस्तुत मामले की घटनाएँ एक प्रमुख मामले हसर्राज प्रति वम्बई ट्रामवे कम्पनी (३१ वम्बई, ४७८) की घटनाएँ हैं। इस मामले में यह निष्पत्ति हुई है कि वाणी का यह तर्क कि ट्राम का पायदान ढीला होने के कारण ही वह गिरा और घायल हुआ नहीं माना जा सकता। यदि एही ट्राम में सवार होने समय वादी गिर कर घायल हो गया होता तो ट्रामवे कम्पनी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होती। लेकिन चलती हुई गाड़ी में सवार होते समय वाणी स्वयं प्राणिक असावधानी (Contributory Negligence) का जिम्मेदार है। इसलिये यह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न १०७ — बच्चा का आश्रित असावधानी (Contributory negligence of Children) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर बच्चों की आश्रित असावधानी (Contributory negligence of children) — चूँकि बच्चों की परिपक्व अवस्था के व्यक्तियों की तरह सीधे नहीं सोच सकते कि उनको विरदात्मक परिस्थिति में किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए प्राणिक असावधानी (Contributory Negligence) का सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता। लेकिन एक मामलों में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि बच्चा परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ था। सामन्ट (Salmond) का कथन है कि जब वाणी एक बच्चा हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसी की भाँति धमकाना (Incapacity) रखने वाला हो तो केवल इतना सिद्ध कर देना पर्याप्त है कि उसने अपनी सतर्कता बरती इतना कि उस अवस्था का व्यक्ति बरत सकता है।

उपरोक्त प्रकरण में लिख प्रति नरदिन [(१८४१) १ क्यू० बी० २०] का मुकदमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मुकदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि एक बार प्रतिवादी ने अपना घोड़ा और गाड़ी को सड़क पर अकेले छोड़ दिया। उस समय उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक सात वर्षीय बालक उसमें चढ़ गया और एक दूसरे बालक ने घोड़े को खला दिया। परिणाम यह हुआ कि एक व्यक्ति (वाणी) उस घोड़ेगाड़ी से जकड़ो हो गया। मुकदमा में कहा गया कि प्रतिवादी (घोड़ागाड़ी का स्वामी) क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी है क्योंकि बच्चा प्राणिक असावधानी का दोषी नहीं माना जा सकता।

प्रश्न १०८ — 'क' शराब पिय हुए एक जनमार्ग के सिरे पर पड़ा था। 'ख' उस जनमार्ग पर मोटर चलाता हुआ आया और 'क' को कुचलता हुआ गुजर गया। जिस जगह 'क' पड़ा था, वह जगह सावधाना से देखने पर देखी जा सकती थी।

क्या 'क' क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उत्तर —समस्या—प्रस्तुत मामले में 'क' आशिक प्रसावधानी का जिम्मेदार है, इसलिए वह 'ख' से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन बानून सुधार (आशिक प्रसावधानी) अधिनियम, १९४५ [Law Reforms (Contributory Negligence) Act, 1945] के अन्तर्गत 'क' 'ख' से उतनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जितनी प्रसावधानी के लिए 'ख' उत्तरदायी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 'क' पूर्णतया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न १०९ —खतरनाक जानवरों को रखने के दायित्व की व्याख्या कीजिए।

उत्तर : खतरनाक जानवरों के रखने का दायित्व —यदि मानवीय अनुभव के कारण जानवरों का कोई वग खतरनाक समझा जाता है, चाहे उस वग का कोई जानवर विशेष पालतू हो, तो वह व्यक्ति जो उसे पालता व रखता है, उसके द्वारा पहुँचाई गई क्षति का उत्तरदायी माना जाता है। [पिल्टन प्रति व्यूपिल्स वेल्स (१८६०) २५ एल० डी० डी० २५८] उदाहरणार्थ—घोर, चाता, भेड़िया, बंदर और हाथी आदि जानवर जंगली घोर खतरनाक समझे जाते हैं। जो व्यक्ति इन जंगली जानवरों को पालता व रखता है, वह ऐसा अपनी जिम्मेदारी पर कर सकता है और यदि उनसे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचती है तो वह उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इस सम्बन्ध में यह बात निरपेक्ष है कि ऐसे जानवरों का स्वामी उन्हें खतरनाक होना जानता है अथवा नहीं। जो जानवर आदमियों पर आक्रमण करने और उन्हें काटने के भागी होते हैं उनके मालिक इस ज्ञान के साथ ही उन्हें रख सकते हैं और वे उनके द्वारा हुई क्षति के उत्तरदायी माने जाते हैं।

उपरोक्त प्रकरण में प्रयागकुमार मुखर्जी प्रति हेरै, [(१९०९) ३६ बलकला, १०२१] का मामला उद्धृत करना हितकर होगा। इस मामले की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी के कुत्ते जो उससे नौकर की देख रेख में चलते थे, नौकर के ज्ञान से आदमियों पर आक्रमण करी और उन्हें काटने के घादी थे। एक दिन वह नौकर उन कुत्तों को एक मनोरंजन की जगह पर ले गया। घादी का सातवर्षीय बालक कुत्तों को देख कर डर गया और डर के कारण घिरता पड़ा। परिणामस्वरूप कुत्ता

ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे बुरी तरह काट लिया। पायालय ने कुत्तों के स्वामी को वादी का क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया और ४०० ६० पण्ड का प्रतिकर और ६०० ६० इलाज के व्यय की धनराशि क्षतिपूर्ति में वाणी को प्रदान की गई।

स्मरण रहे कि क्षतरनाक जानवरों को पालने का दायित्व सम्पूर्ण दायित्व (Absolute liability) नहीं है प्रत्युत वह असावधानी पर निर्भर करता है।

प्रश्न ११० — पुलिस के एक सिपाही ने देखा कि शाम के बाद भी प्रतिवादी के गोदाम के द्वार खुले हैं। अपने कुत्तों का पालन करने के लिए उसने सोचा कि गोदाम के भीतर देख लें कि सब कुछ ठीक है। इस आशय से वह भीतर गया और गोदाम के एक गढे में गिर कर जखमी हो गया। क्या वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है ?

उत्तर समस्या — प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि सिपाही अपनी इच्छा से गोदाम में गया और उसे गोदाम में जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके पास वहाँ जाने के लिए कोई अनुज्ञापत्र (Licence) नहीं था। यदि वह मान भी लिया जाए कि उसको भीतर जाने का अधिकार था तो भी प्रतिवादी पर गोदाम के भीतर का भाग सुरक्षित रखने का कोई कर्तव्य नहीं था। अतएव सिपाही क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है।

प्रश्न १११ — विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त व्यक्तियों (Persons professing to have greater skill) के लिए सावधानी का क्या मापदण्ड है ? व्याख्या कीजिये।

उत्तर विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त व्यक्ति — यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय को करते हैं जिनमें उनकी दक्षता एवं विशेष योग्यता ही व्यवसाय का आधार है तो ऐसे व्यक्तियों का धाने बाधों में पूर्ण दक्षता एवं विशेष योग्यता का परिचय देना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है —

(१) कम्पनी के निदेशक (Directors of Companies) — कम्पनी का निदेशक पर अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति का भारी विश्वास रखा जाता है। उनकी तनिक भी अयोग्यता इस सम्पत्ति को क्षणों में डुबा सकती है। अतएव कम्पनी के निदेशकों को अत्यधिक सावधानी से कार्य करने अपनी दक्षता एवं योग्यता का परिचय देना अनिवार्य है।

(२) वाहक (Carriers) — वाहक दो प्रकार के होते हैं—एक वे जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हैं और दूसरे वे जो यात्रियों को

तथा उनके सामान दोनों को ले जाते हैं। जो व्यक्ति या सस्था वाहक का कार्य करती है, उसपर सामान तथा यात्रियों को उनके इच्छित स्थान तक सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व माना जाता है। इस प्रकार के सावजनिक वाहक (Public carriers) सामान तथा यात्रियों को क्षति पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी होते हैं किन्तु केवल उन परिस्थितियों में जबकि क्षति ईश्वरीय कृत्य द्वारा या राज्य के शत्रु द्वारा या वस्तु के स्वयं के दोष के कारण न हुई हो। विंगिष्ट सवित्रा (Special Contract) के द्वारा वाहक का दायित्व कम भी किया जा सकता है।

(३) चिकित्सक (Doctors or Physicians) ऐसे विनियोग्यता के व्यवसाय में कार्य करने वालों से उच्चतम दक्षता की मांग की जाती है।

(४) बैंकर्स (Bankers) — बैंकर्स विश्वास योग्य व्यक्ति होने का दावा करते हैं और इस प्रकार जनता उनपर विश्वास एवं भरोसा करती है। अपने ग्राहकों की चेक का भुगतान करना तथा उनका हिसाब आदि रखना उनका कर्तव्य है। नबलो चेक का भुगतान कर देने पर बैंक ही उत्तरदायी माना जाता है।

(५) सालिसिटर्स (Solicitors) — डाक्टरों की भाँति ही सालिसिटर्स भी कठिन कर्तव्य का भार अपने ऊपर लेते हैं। वे अपनी भसावधानी द्वारा किए गए उन सभी परिणामों के प्रति उत्तरदायी हैं जिनसे कि उनके मुक्किलों (Clients) को क्षति पहुँचना है।

(६) सराय रक्षक (Inn keepers) सराय के घंटे दर टहरने वाले यात्रियों व उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना सराय रक्षकों का कानूनी कर्तव्य है। सराय के घंटे दर यात्रियों व उनके सामान को यदि क्षति पहुँचती है तो मामतौर पर सराय-रक्षक ही क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।

इसके अतिरिक्त वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन करनेवालों पर भी एक भारी उत्तरदायित्व रहता है। मामतौर पर वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन करने वाले तक ही उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं जब उन वस्तुओं का निर्माण करने उन्होंने अत्यधिक भसावधानी से कार्य किया हो। इस सम्बन्ध में घाट प्रति आस्ट्रेलियन नार्डिंग मिल (१६३६ ए० सी० ८५) का मुक्कदमा उल्लेखनीय है। इस मुक्कदमे की घटनाएँ इस प्रकार हैं कि बादी ने बाजार से कुछ गम कपड़ा खरीदा। उसकी पहनने से उसको घम रोग (Dermatitis) हो गया। उसने उस कपड़े को एक फुत्कर व्यापारी से खरीदा था। कपड़े में सल्फाइड (Sulphites) की घषिजता के कारण ही बादी को घम रोग हुआ था। कपड़े के इस रोग की फुत्कर विमोना नहीं

देत सकता था, क्योंकि वह एक गुप्त दोष था। बपडा उत्पादक (Manufacturer) ने उसको ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के पहने जाने के लिए बनाया था। इस मुकदमे में निष्पन्न वादों के पक्ष में दिया गया और प्रतिवादी को वादों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना गया।

प्रश्न ११२ — एक होटल के स्वामी ने अपने एक ग्राहक की रुपयों की थैली जिना किसी स्वार्थ के अमानत में रख ली। जब कि थैली होटल के स्वामी की सुपुर्दगी में थी उसकी असावधानी से गुम हो गई। ग्राहक ने होटल के स्वामी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाया। होटल के स्वामी ने यह दलील दी कि थैली उसकी अमानत में बिना किसी बदल (Consideration) के रखी गई थी इसलिए वह उसके गुम हो जाने की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

क्या होटल के स्वामी की उपर्युक्त दलील न्यायसंगत है ?

उत्तर समस्या — प्रस्तुत मामले में होटल के स्वामी की दलील न्यायसंगत नहीं है। कानून यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी की वस्तु बिना बदल के अमानत में रखता है तो वह उस वस्तु के साथ गैरकानूनी ढंग से किए गए कृत्य (Misfeasance) के लिए उत्तरदायी है। इस मामले में यह स्मरण रहे कि बिना बदल (Without consideration) किसी चीज को अमानत में रखने वाला भी बदल (Consideration) पाने वाले अमानत की तरह ही उत्तरदायी माना जाता है। प्रस्तुत मामले में थैली होटल के स्वामी की असावधानी के कारण गुम हुई है। अतएव होटल का स्वामी अपने क्षतिग्रस्त ग्राहक की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य

(TORTS FOUNDED ON CONTRACT)

प्रश्न ११३ —सविदा से स्वतन्त्र (Independent of Contract) और सविदा पर आधारित (Founded on Contract) क्षतिकृत्यों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर —सविदा से स्वतन्त्र और सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों में अन्तर —सविदा सम्बन्धी क्षतिकृत्य दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो कि सविदा से स्वतन्त्र तथा दूसरे वे जो सविदा के आधार पर उदित होते हैं। इन दोनों प्रकार के क्षतिकृत्यों में अन्तर निम्नलिखित है —

सविदा से स्वतन्त्र क्षतिकृत्य	सविदा पर आधारित क्षतिकृत्य
१ वादो और प्रतिवादो के बीच किसी प्रकार का कानूनी सम्बन्ध (privity) नहीं होगा।	१ वाणी और प्रतिवाणी में सर्वाधिक सम्बन्ध (Contractual privity) का होना अनिवार्य है।
२ इसमें कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य की व्यवहलना होती है।	२ इसमें पक्षकारों के बीच समझौते के द्वारा निर्धारित कर्तव्य की व्यवहलना होती है।
३ यह कर्तव्य बिना पक्षकारों की सहमति के कानून द्वारा आता है।	३ यह कर्तव्य पक्षकारों की सहमति पर आधारित होता है।
४ क्षतिपूर्ति की धनराशि अनिश्चित (Unliquidated) होती है।	४ क्षतिपूर्ति की धनराशि आम तौर पर निश्चित (Liquidated) होती है।

प्रश्न ११४ —सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों का उद्दय सामान्यतः किस प्रकार होता है ? व्याख्या कीजिए।

उत्तर —सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों का उद्दय —सविदा पर आधारित क्षतिकृत्यों का उद्दय दो प्रकार से हो सकता है—एक तो प्रतिवादी की घसावधानी और दूसरे प्रतिवाणी की घोषेबाजी (Fraud) से।

प्रतिवादा की असावधानी — यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य को करने में असावधानी से काय करे जिसको करने का उसने सविदा किया हो और इस प्रकार वादी को क्षति पहुँचाए तो कहा जायगा कि उसने सविदा पर आधारित क्षतिवृत्त्य किया है। उदाहरणार्थ, यदि एक डाक्टर ने किसी व्यक्ति के आपरेसन करने का सविदा किया हो किंतु उसने आपरेसन करने में असावधानी से काय किया हो जिससे रोगी को क्षति पहुँची हो तो वह सविदा पर आधारित क्षतिवृत्त्य होगा जो डाक्टर की असावधानी से उदित हुआ माना जाएगा।

प्रतिवादी की धोखेबाजी — यदि दो व्यक्ति किसी काय के लिए परस्पर सविदा करें और उनमें से एक व्यक्ति धोखेबाजी करे तथा इस प्रकार दूसरे को क्षति पहुँचे तो धोखेबाजी करने वाल व्यक्ति को विरुद्ध वादी को क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने का अधिकार है।

उपयुक्त दोनों प्रकार के क्षतिवृत्तियों के लिए वादी को अधिकार रहता है कि वह चाहे तो सविदा के भंगीकरण (Breach of Contract) के आधार पर मुकदमा चलाए या क्षतिवृत्त्य कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाए।

— प्रश्न ११५ — सविदा पर आधारित क्षतिवृत्त्य की कार्रवाई में क्षतिपूर्ति किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

उत्तर — क्षतिपूर्ति का निर्धारण — सामान्यतः सविदा पर आधारित क्षतिवृत्त्य को कार्रवाई में क्षतिपूर्ति का निर्धारण उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार सविदा भंगीकरण की कार्रवाई में किया जाता है। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति का मापण्ड (Measure of damage) वही होता है जोकि पक्षकारों ने सविदा के अंतर्गत निर्धारित किया है। इसका कारण यह है कि ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति दण्ड अथवा उदाहरण के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिफल (Compensation) के रूप में प्रदान की जाती है।

प्रश्न ११६ — सविदा से स्वतन्त्र और सविदा पर आधारित क्षतिवृत्तियों के लिए वाद का समवर्ती कारण (Concurrent Causes of action) किन परिस्थितियों में पैदा होता है ?

उत्तर — वाद का समवर्ती कारण (Concurrent Causes of action) — निम्नलिखित परिस्थितियों में सविदा से स्वतन्त्र और सविदा पर आधारित क्षतिवृत्तियों के लिए वाद का समवर्ती कारण (Concurrent causes of action) पैदा होता है —

(१) ऐसे मामलों में जब कि यह सन्देहजनक हो कि सविदा किया गया है अथवा नहीं, अर्थात् वास्तविक रूप से तो सविदा न होने पर कानून के अन्तगत सविदा उपलक्षित (Implied) हो और एक ही कृत्य समान रूप से सविदा भंगीकरण (Breach of Contract) भी कहा जा सकता हो और क्षतिकृत्य भी माना जा सकता हो ।

(२) जबकि एक व्यक्ति किन्हीं घटनाओं के अन्तगत दूसरे व्यक्ति पर क्षतिकृत्य के लिए मुकदमा चला सके और उन्हीं घटनाओं के अन्तगत किसी तीसरे व्यक्ति पर सविदा भंगीकरण के लिए मुकदमा चला सके । ऐसे मामलों में वादी एक होता है और वाद के दो समवर्ती कारण होते हैं ।

(३) जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी कृत्य के लिए जो उसके प्रति क्षतिकृत्य हो तथा किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति सविदा भंगीकरण हो, मुकदमा चला सके । ऐसे मामलों में प्रतिवादी एक होता है और उसके विरुद्ध वाद के दो समवर्ती कारण होते हैं ।

व्यापार सम्बन्धी क्षतिकृत्य

(TORTS RELATING TO BUSINESS)

प्रश्न ११७ — व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर — व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन (False statement relating to business) — व्यापार सम्बन्धी मिथ्या कथन प्रकाशित करने पर प्रकाशक के ऊपर उस प्रकाशन द्वारा व्यापार को पहुँची क्षति के लिये क्षतिपूर्ति करने का दायित्व पाना है, भले ही वह प्रकाशन अपमानकारी न हो। मिथ्या सवाद (Disparagement) का प्रकाशन ही द्वेषपूर्ण भावना का परिचायक है। यदि वह किसी कानूनगत अधिकार से प्रकाशित हुआ है तो उसे प्रकाशित करने में द्वेषपूर्ण भावना का अनुमान नहीं किया जा सकता। यह बात स्मरणीय है कि यदि एक व्यापारी यह विनापन प्रकाशित करता है कि उसकी वस्तुएँ अन्य व्यापारियों की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक सज्जे हैं तो उसका यह कृत्य अभियोग्य (Actionable) नहीं होगा चाहे वह मिथ्या एवं द्वेषपूर्ण हो। [हाइट प्रति मिलिन (१८६५) ९० सी० १५४]

प्रश्न ११८ — व्यापारिक प्रतियोग्यता (Business competition) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर व्यापारिक प्रतियोग्यता (Business Competition) — प्रत्येक व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह व्यापार करे। यदि कानून द्वारा स्वीकृत व्यापार करने में वह अपने प्रतिद्वन्दी व्यापारियों के साथ होड़ लगाता है, उनके मूल्यों से कम मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचकर उह बाजार से बाहर कर देता है तो उसका यह कृत्य कानूनी कृत्य कहलाएगा और इस प्रकार प्रतिद्वन्दियों को जो हानि पहुँचेगी, उसका उत्तरदायित्व होड़ लगाने वाले व्यापारी पर कतर ई न होगा। इसका कारण यह है कि उचित प्रतियोग्यता (Fair Competition) कानून द्वारा स्वीकृत है और ऐसी प्रतियोग्यता के परिणामस्वरूप किसी को हानि पहुँच तो हानिकर्ता उस हानि को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात् उसका हानिकारक कृत्य (Harmful act) अभियोग्य (Actionable) नहीं होगा। किन्तु यदि

प्रतियोग्यता द्वारा किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को भंग किया जाए तब हानिकर्ता का कृत्य हानिकारक होने के साथ साथ दण्डितपूर्ण (Wrongful) भी माना जाएगा और वह प्रतियोग्यता अनुचित प्रतियोग्यता (Unfair competition) कहा जायेगा। इसी अनुचित प्रतियोग्यता कानून द्वारा स्वीकृत नहीं है। अतएव ऐसी अनुचित प्रतियोग्यता करने वाले के विरुद्ध दण्डितपूर्ति वसूल करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। एक सिद्धांत के रूप में यह बात स्मरणीय है कि अनुचित प्रतियोग्यता एक सामाजिक व धार्मिक बुराई है किन्तु वह कानूनी बुराई तभी मानी जाती है जब उसके द्वारा किसी व कानूनी अधिकारों का भंगकरण हो अथवा उसमें छल, कपट, दण्डितपूर्ण मिथ्या भाषण या मानहानि आदि के तत्व सम्मिलित हो जाए।

प्रश्न ११६ — क्या सविदा भंग करने के लिए प्रेरित करना एक अभियोग्य दण्डितकृत्य है? इस दण्डितकृत्य के तत्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर — सविदा भंग करने के लिए प्रेरित करना — किसी व्यक्ति को सविदा भंग करने के लिए प्रेरित करना एक व्यापार सम्बन्धी दण्डितकृत्य है और अभियोग्य (Actionable) है। इस दण्डितकृत्य के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं —

(१) यह कि वादी तथा अन्य व्यक्ति के बीच एक कानूनी सविदा विद्यमान था,
(२) यह कि प्रतिवादी ने अन्य व्यक्ति को वादी से अपना सविदा भंग करने को प्रेरित किया, एवं

(३) यह कि इस प्रकार का कृत्य करने के लिए प्रतिवादी के पास कोई कानूनी औचित्य नहीं था।

इस सद्भ में यह बात याद रखनी चाहिये कि वाणी को इस प्रकार के मुकदमों में विशेष दण्डित सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न १२० — व्यापार सम्बन्धी दण्डितकृत्यों के सद्भ में षडयंत्र (Conspiracy) की विवेचना कीजिए।

उत्तर व्यापार सम्बन्धी दण्डितकृत्य और षडयंत्र — व्यापार करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कानूनी अधिकार है कि वे मिलकर एक सध बनाए या सामंतीरी कम खोल में और इस प्रकार मिले-जुले प्रयास से व्यापार करें। यदि इस प्रकार मिलकर व्यापार करने से किसी अन्य व्यापारी को दण्डित पहुँचती है तो कोई व्यक्ति दण्डितप्राप्त व्यक्ति को दण्डितपूर्ति देने का उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मिलकर किसी प्रकार ऐसा षडयंत्र रखने का अधिकार नहीं है, जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने व्यापार में दण्डित पहुँचे।

यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल कर किसी गैर कानूनी कृत्य के करने के